

दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2019-2020

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2020

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों 2019-2020 का दूसरा और अंतिम

वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 78 अनुदान मांगें तथा 4 विनियोग हैं। ₹4,80,881.66 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹53,963.58 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹4,26,916.61 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹147 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

की देनदारियों का भुगतान करने के लिए (₹100

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2019-2020.

The Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2019-20 includes 78 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 4,80,881.66 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 53,963.58 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 4,26,916.61 crore. Besides, token provision of ₹ 147 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(₹ करोड़ ₹	. in Crore,
Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
Cash Outgo			
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards import of Fuel (NFC). (b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18	200.00	-	200.00
crore) and Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 58.41 crore). (c) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational	170.00	-	170.00
	130.00	-	130.00
FERTILIZERS AND			
5 Department of Chemicals and Petrochemicals For 1. making payment (i) of liabilities to			
	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards import of Fuel (NFC). (b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 58.41 crore). (c) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational expenditure (₹ 94.92 crore). MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 5 Department of Chemicals and Petrochemicals	Cash Outgo DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards import of Fuel (NFC). (b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 58.41 crore). (c) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational expenditure (₹ 94.92 crore). MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 5 Department of Chemicals and Petrochemicals	Cash Outgo DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards import of Fuel (NFC). (b) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 58.41 crore). (c) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (₹ 94.92 crore). MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 5 Department of Chemicals and Petrochemicals

Assam Gas Cracker Project (AGCP) (₹ 100

करोड़)।

			(₹ करोड़ ₹	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (ii) भोपाल गैस पीडितों को अनुग्रह राशि और न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए (₹6.53 करोड़) और 2. वाराणसी में प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए केंद्रीय संस्थान की स्थापना हेतु (₹1.50 करोड़)।	crore) (ii) to ex-gratia to Bhopal Gas Victims & Salary for Judicial Officers(₹ 6.53 crore) and 2. setting up of Central Institute for Plastic Engineering & Technology Centre at Varanasi (₹ 1.50 crore).	106.53		106.53
7. भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित भारतीय औषधी और भेषज लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान औषधी और भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान न किए गए वेतन/वीआरएस की देनदारियों का भुगतान	For payment of employees' liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet.	-	166.82	166.82
करने के लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
	INDUSTRY			
(क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड), वेतन सहायता अनुदान (₹8 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड) और सब्सिडियां (₹21.14 करोड़) (ii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.29 करोड), वेतन सहायता अनुदान (₹21.24 करोड़) और सब्सिडियां (₹7.46 करोड़) (iii) 'खड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹21 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹48.80 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1 करोड) (iv) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और सब्सिडियां (₹2 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 8 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Grants-in-aid General (₹ 4.29 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 21.24 crore) and Subsidies (₹ 7.46 crore) under the scheme "Coffee Board", (iii) Grants-in-aid General (₹ 21 crore), Grants-in-aid General (₹ 21 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 48.80 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1 crore) under the scheme 'Rubber Board', (iv) Grants-in-aid General (₹ 4 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 7 crore) and Subsidies (₹ 2 crore) under the scheme 'Spices Board'. (b) For meeting expenditure towards: (i)	75.97		75.97
'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹10 करोड), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड), और सब्सिडियां (₹15.21 करोड़) (iii) 'शुल्क वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (150.55 करोड़) (iv) 'रत्न और आभूषण क्षेत्र' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5 करोड), (v) 'निर्यात स्कीमों के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹35 करोड), (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड), (vii) 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹0.01 करोड), अन्य प्रभार (₹0.01 करोड) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.01	Subsidies (₹ 10 crore) under the scheme 'Agriculture Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5 crore) and Subsidies (₹ 15.21 crore) under the scheme 'Marine Product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Subsidies (₹ 150.55 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector, (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under the scheme 'Trade Infrastructure for Export Schemes (TIES)', (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Subsidies (₹ 0.01 crore), other charges (₹ 0.01 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore)			

Professional Services (₹ 0.01 crore)

				₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों	under the scheme 'Implementation of Agriculture Export Policy'. (c) For meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and	75.00	-	75.00
का निर्गम (44.97 करोड़)। 11. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore). 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade	-	300.00	300.00
'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹166.31 करोड़) और 'प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹154.31 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Investment under the schemes 'Fund of Funds' (₹166.31 crore) and 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka' (₹154.31 crore).	<u>-</u>	250.00	250.00
	,			
संचार मंत्रालय 12. डाक विभाग वेतन (₹1135.86), पेंशन (₹128.90 करोड़), मजदूरी और अन्य कार्यात्मक आवश्यकता (₹39.11 करोड़) पर स्थापना व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 12 Department of Posts For meeting additional requirement towards establishment expenses on Salary (₹ 1135.86 crore), Pension (₹ 128.90 crore), wages and other functional requirement (₹ 39.11 crore).	1,099.39	-	1,099.39
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
 18. रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) रक्षा लेखा विभाग में न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत (₹633.87 करोड़) (ii) रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत केंट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान (₹64.45 करोड़) और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (₹1.96 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। 	 18 Ministry of Defence (Civil) (a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees in Defence Accounts Department. (b) For meeting additional expenditure (i) under various establishment related heads (₹ 633.87 crore) (ii) towards Grants-in-aid General to Cantonmnet Boards under Defence Estates Organization (₹64.45 crore) and to Institute of Defence Studies and 	0.05	-	0.05
(ग) तटरक्षक संगठन में न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय पूरा करने के	Analysis (₹ 1.96 crore). (c) For meeting expenditure arising out of court decrees in Coast Guard	695.12	-	695.12
लिए। (घ) तटरक्षक संगठन के स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Organisation. (d) For meeting additional expenditure under establishment related heads of	0.02	-	0.02
ं (ङ) जम्मू और कश्मीर लाइट इंफेंटरी के स्थापना	Coast Guard Organisation. (e) For meeting additional expenditure	90.78	-	90.78
संबंधी शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (च) कार्यालय भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	under establishment expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry. (f) For meeting additional expenditure towards maintenance & repairs of office	124.68	-	124.68
(छ) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (₹10 करोड़) (ii) सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹33 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	buildings. (g) For meeting additional expenditure towards (i) transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 10 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 33 crore) for Road works of Border Roads Organisation.	0.23 45.00	-	0.23 45.00

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gran	nt No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ज) तटरक्षक संगठन द्वारा माध्यस्थम पंचाट के कारण उत्पन्न भुगतान करने के लिए। (झ) पोतों, वायुयान और बेड़ों की अधिप्राप्ति (₹80 करोड़) और भूमि अधिग्रहण (₹15 करोड़)	(l (i	towards acquisition of Ships, Aircraft	-	5.00	5.00
हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ञ) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (₹136.64 करोड़) और सीमा सड़कों के निर्माण पर (₹31.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	G	and Fleets (₹ 80 crore) and land acquisition (₹ 15 crore). For meeting additional expenditure towards trasfers to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 136.64 crore) and on construction of boarder roads	-	95.00	95.00
		(₹ 31.50 crore).	-	22.56	22.56
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)		efence Services (Revenue)			
(क) (i) सेना के वेतन और भत्ते (₹126.62 करोड़), संबद्ध बलों के वेतन और भत्ते (₹60 करोड़), नागिरकों के वेतन और भत्ते (₹100 करोड़), (ii) पिरवहन (₹500 करोड़), (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹1591.03 करोड़), (iv) निर्माण कार्य (₹373.56 करोड़), (v) राष्ट्रीय राइफल्स (₹179.72 करोड़), (vi) राष्ट्रीय कैंडेट कोर (₹11.80 करोड़), (vii) अन्य व्यय (₹0.01 करोड़) तथा (viii) निरीक्षण-गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक (₹84 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(:	a) For meeting additional expenditure for (i) pay and allowances of Army (₹ 126.62 crore), Auxilary Forces (₹ 60 crore) and Civilians (₹ 100 crore) (ii) transportation (₹ 500 crore) (iii) Exservicemen Contributory Health Scheme (₹ 1,591.03 crore) (iv) works (₹ 373.56 crore) (v) Rashtriya Rifles (₹ 179.72 crore) (vi) National Cadet Corps (₹ 11.80 crore) (vii) other expenditure (₹ 0.01 crore) and (viii) Inspection-Director General Quality			
(ख) नौसेना के वेतन और भत्ते (₹3.80 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹94.93 करोड़), (ii) मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹373.85 करोड़), (iii) भंडार (₹71.83 करोड़) तथा (iv) संयुक्त स्टॉफ (₹89.72 करोड़) के अतिरिक्त व्यय	(1	Assurance (₹ 84 crore). For meeting additional expenditure for (i) Pay and Allowances of Navy (₹ 3.80 crore) and Civilians (₹ 94.93 crore) (ii) repairs & refits (₹ 373.85 crore) (iii) stores (₹ 71.83 crore) and (iv) Joint Staff	605.39	-	605.39
को पूरा करने के लिए। (ग) वायु सेना के लिए, वायुसेना के वेतन और भत्ते (₹1.09 करोड़), निर्माण कार्य (₹0.25 करोड़) और अन्य व्यय (₹1 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त	(((₹ 89.72 crore). For meeting additional expenditure arising out of court cases under 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 1.09 crore), works (₹ 0.25 crore) and other	475.74	-	475.74
व्यय को पूरा करने के लिए। (घ) वायुसेना के वेतन और भन्ते (₹178.91 करोड़), परिवहन (₹128.37 करोड़), भंडार (₹245.35 करोड़), विशेष परियोजना (₹0.11 करोड़) और अन्य व्यय (₹25.17 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	((expenditure (₹ 1 crore) for Air Force. f) For meeting additional expenditure for Pay and Allowances of Air Force (₹ 178.91 crore), transportation (₹ 128.37 crore), stores (₹ 245.35 crore), special project (₹ 0.11 crore) and	0.80	-	0.80
(ड.) नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹1.68 करोड़) तथा अनुसंधान और विकास के निर्माण कार्य (₹0.03 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा	(6	other expenditure (₹ 25.17 crore). For meeting additional expenditure arising out court cases under pay and allowances of civilians (₹ 1.68 crore) and works (₹ 0.03 crore) of Research	447.66	-	447.66
करने के लिए। (च) प्रशिक्षण (₹1 करोड़), अनुसंधान (₹151.90 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹157.57 करोड़), भंडार (₹139.50 करोड़) और अन्य व्यय (₹18.34 करोड़) के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(1	Defence Research and Development Organisation under training (₹ 1 crore), research (₹ 151.90 crore), Pay and Allowances of Civilians (₹ 157.57 crore), stores (₹ 139.50 crore) and	1.53	-	1.53
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (क) (i) निर्माण कार्य (₹6 करोड़) सेना और रक्षा		other expenditure (₹ 18.34 crore). Capital Outlay on Defence Services a) For meeting additional expenditure	468.88	-	468.88

				(₹ करोड़	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and desc		राजस्व evenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुसंघान तथा विकास संगठन (₹15 करोड़) (ii) वायुसेना के लिए 'भूमि' (₹5 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹1.80 करोड़) और (iii) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीन और उपकरण' (₹3.45 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	arising out of cou works (₹ 6 crore) for Research and Organisation (₹ 15 (₹ 5 crore), 'works' Air Force and and equipments' Defence Ordnance	Parmy and Defence Development Secrore) (ii) 'land' Secrore) (₹ 1.80 crore) for Secrore) (iii) 'machine Secrore) for	_	11.55	11.55
(ख) (i) सेना के लिए वायुयान और एयरो इंजन (₹121.99 करोड़), अन्य उपकरण (₹154.51 करोड़) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹25 करोड़) (ii) नौसेना के लिए अन्य उपकरण (₹100 करोड़), नौसेना बेड़ा (₹2001.99 करोड़), नौ सेना डाकयार्ड (₹967 करोड़) (iii) वायुसेना के लिए अन्य उपकरण (₹8427.38 करोड़) और निर्माण कार्य (₹523.20 करोड़) (iv) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए मशीन और उपकरण (₹8.55 करोड़) (v) गुणता आखासन महानिदेशक के निरीक्षण संबंधी निर्माण कार्य (₹5 करोड़) (vi) प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत वायु सेना की प्रक्रिया (₹33.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additio (i) 'Aircraft and Are crore), other equiporate and National crore) for Army (ii) (₹ 100 crore) ar (₹ 2,001.99 crore), (₹ 967 crore) for equipments' (₹ 8,4 'works' (₹ 523.20 c (iv) 'machinery an Defence Ordnance crore) (v) works' Director General ((₹ 5 crore) (vi) proce' under Technot (₹ 33.50 crore).	oengines' (₹ 121.99 pments (₹ 154.51 Cadet Corps (₹ 25 'other equipments' nd 'Naval Fleet' 'Naval dockyard' Navy (iii) 'other 427.38 crore) and rore) for Air Force d equipments' for Factories (₹ 8.55 of inspection for Quality Assurance procedure of Air		6,988.45	6,988.45
21. रक्षा पेंशन (i) न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न भुगतान (₹3.34 करोड़) और (ii) वृद्धित महंगाई राहत और पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय (₹5727.53 करोड़) का व्यय पूरा	1 Defence Pensions For meeting (i) payments decrees (₹ 3.34 crore) expenditure on acco dearness relief and income	and (ii) additional unt of enhanced rease in number of	5 20.05		
करने के लिए।	pensioners (₹ 5727.53 c	rore). 5,	,730.87	-	5,730.87
वित्त मंत्रालय 27. आर्थिक कार्य विभाग (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.68 करोड़) और सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 के अंतर्गत स्वर्ण प्रारक्षित निधि को अंतरण (₹228.16 करोड़)। (ख) जीआईजेड को सेवाकर (₹12 करोड़) और	TINISTRY OF FINANCE Department of Econom (a) For Grants in Aid Go and transfer to Go under Sovereign C 2015 (₹ 228.16 cross (b) For Service Tax to C	nic Affairs eneral (₹ 0.68 crore) old Reserve Fund Gold Bond Scheme re)	228.16	-	228.16
एग्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (₹373.65 करोड़)। (ग) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹2750 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (₹1003 करोड़)।	Interest Equilization Bank (₹ 373.65 cro (c) For transfer to Na Fund (₹ 2750 cro Investment and In	n Support to EXIM re). itional Investment ore) and National	350.17	-	350.17
(घ) मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता (₹858.02 करोड़) और नया विकास बैंक (एनडीबी) को अभिदान (₹2,220 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(₹ 1003.00 crore). (d) For meeting export Maintenance of Volligation (₹ 85 Subscription to N	Value (MoV)-IMF (8.02 crore) and	-	1,003.00	1,003.00
<u> </u>	Bank (NDB) (₹ 2,22	20 crore).	-	0.18	0.18
(ड) गृह निर्माण भत्ता के व्यय को पूरा करने के लिए। 28. व्यय विभाग पीएम-किसान योजना और शास्त्री पार्क, दिल्ली और हैदराबाद स्थित आंकड़ा केंद्रों तथा पीएफएमएस के विकास केंद्र के लिए प्रस्तावित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और पीएफएमएस के लिए अनुप्रयुक्त	(e) For meeting expending Building Allowance 8 Department of Expending For procurement of Harman proposed for PM-KISA Centres at Shastri I Hyderabad and Development	e. liture rdware & Software .N Yojna and Data Park, Delhi and	-	25.00	25.00

				(₹ करोड़	₹ in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
निष्पादन मानिटरिंग टूल की अधिप्राप्ति के लिए।		PFMS and for Application Performance Monitoring Tool for PFMS.	42.32	_	42.32
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services			
(क) सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए।		(a) For establishment related expenditure for Secretariat.	2.59	_	2.59
(ख) (i) किराया, दर व कर के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) (₹4.41 करोड़) और (ii) पीएफआरडीए को सामान्य सहायता अनुदान और वेतन सहायता अनुदान (₹10.57 करोड़)		(b) For (i) Debts Recovery Tribunals (DRTs) under Rent, Rates and Taxes (₹ 4.41 crore) and (ii) Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salary			_,,,
के लिए। (ग) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (₹66.80 करोड़) और सरकारी सह-अंशदान (₹68.14		to PFRDA (₹ 10.57 crore). (c) For Grants-in-aid General as Incentive (₹ 66.80 crore) and Government's co-contribution (₹ 68.14 crore) under	13.17	-	13.17
करोड़) के लिए। (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए।		Atal Pension Yojana . (d) For recapitalisaion of Regional Rural	58.08	-	58.08
		Banks.	-	470.00	470.00
31. राजस्व विभाग	31	Department of Revenue			
(क) (i) फिननेट परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम मामले (₹17.11 करोड़) और (ii) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत किराए के कार्यालय में सिविल और इलेक्ट्रीकल कार्य (₹3 करोड़) के लिए।		(a) For meeting expenditure towards (i) international arbitration matters for the project FINnet (₹17.11 crore) and (ii) civil and electrical work in hired office space under 'Minor Works'			
(ख) स्थापना संबंधी व्यय और एफएटीएफ को प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंशदान के भुगतान के		(₹ 3 crore).(b) For establishment related expenses and for payment of committed international	17.11	-	17.11
लिए। (ग) राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति		contributions to FATF. (c) For release of GST Compensation to State Governments and transfer to GST	13.66	-	13.66
निधि को अंतरण के लिए। (घ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने और लोक लेखा में जीएसटी		Compensation Fund in Public Account. (d) For release of GST Compensation to UT Governments and transfer to GST			16,200.00
क्षतिपूर्ति निधि को अंतरण के लिए। (ङ) राजस्व भवन के निर्माण के लिए।		Compensation Fund in Public Account. (e) For construction of Rajaswa Bhawan.	3,800.00	8.26	3,800.00 8.26
32. प्रत्यक्ष कर	32	Direct Taxes	_	0.20	0.20
वेतन सहित स्थापना संबंधी व्यय (₹76.96 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹105 करोड़) के लिए।	02	For establishment related expenses including Salary (₹ 76.96crore) and office expenses			
34. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग एक आईएएडी, एक प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने	34	(₹ 105 crore). Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure under Information Technology for One IAAD, One	181.96	-	181.96
के लिए। 37. पेंशन	37	System.	88.00	-	88.00
(i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करने हेतु (₹5 करोड़) (ii) पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि, सरकारी अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत होने, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/विकलांगता पर राहत और परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान की विलंबित जमाओं पर महंगाई राहत और ब्याज का भुगतान (₹1995 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	·	For meeting additional requirement (i) towards payment of leave encashment to Judges of High Court (₹ 5 crore) (ii) arising out of increase in number of pensioners, Government contribution from 10% to 14%, relief on death/disability of Government servants and dearness relief and payment of interest on delayed deposits of contribution (₹ 1995 crore) under Defined Contributory			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	Pension scheme. INISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE	2,000.00	-	2,000.00

WELFARE

43 Department of Health Research

For meeting additional requirements under

43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकता

			(₹ करोड़	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	राजस्व s Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूरी करने के लिए (i) आंतरिक तथा बाह्य अनुसंधान कार्यकलापों/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईसीएमआर (₹77.57 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की स्कीम (₹2 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत विद्यमान बजटीय प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹784.82 करोड़); (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹514.62 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹514.62 करोड़) और एनआईएफ का अंतर-लेखा अंतरण (₹1474.65 करोड़) और एनआईएफ के अंतर्गत आइंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण आईसी एमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को एनआईएफ वसुलियों	(i) Grant Aid General in respect of ICM for funding of intra mural and extra muresearch activities/projects (₹ 77.57crorestablishment of Model Rural Hea Research Units (₹ 2 crore) and for trans of existing budgetary provisions und Support from National Investment Fu (NIF) to the ICMR (₹ 784.82 crore) and Grants for Creation of Capital Ass (₹ 175.21 crore) and Grant in Aid Salar (₹ 514.62 crore) and Inter-Account Trans of NIF (₹ 1474.65 crore) and Dedice Recoveries on account of NIF (₹ 1474 crore) to the Non-NIF Heads of ICMR.	re), Ith Ifer Ider Ind I(ii) Iets Ites Ites Ites Ites Ites Ites Ites	_	50.00
की कटौती (₹1474.65 करोड़)।				
गृह मंत्रालय 46. गृह मंत्रालय (क) (i) अधीक्षण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹644.50 करोड़) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (₹40 करोड़) और (ii) महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार (अन्य प्रभार) (₹27	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 46 Ministry of Home Affairs (a) For (i) Grants in aid General (₹ 644 crore) under Superintendence a National Population Register (₹ crore) and (ii) Improvement of V	nd 40		
करोड़)। (ख) करों की निवल आय के राज्य के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य	Statistics (Other Charges) (₹ 27 cro (b) For Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh as State Share	re). 490.70 &	-	490.70
क्षेत्रों के लिए। (ग) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जनगणना (₹37 करोड़) और मोटर वाहनों के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय (₹0.08	Net Proceeds of Taxes. (c) For Census under Machinery a Equipment (₹ 37 crore) and Natio Fire Service College under Mo	nal	- 0.27	2908.15
करोड़)। 47. मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के वायुयान का अनुरक्षण (₹176.44	Vehicles (₹ 0.08 crore). 47 Cabinet For maintenance of Prime Minister	er's	9.27	9.27
करोड़) के लिए। 48. पुलिस	Aircraft (₹ 176.44 crore). 48 Police	96.42	-	96.42
(क) वेतन और राशन की लागत (₹909.20 करोड़), मजदूरी (₹3.86 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹497.94 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹13.03 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹6.76 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹5.35 करोड़), पुरस्कार (₹0.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹162.31 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹79.47 करोड़), आरआरटी (₹6 करोड़), प्रकाशन (₹11.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹375.30 करोड़), विकित्सा उपचार (₹79.40 करोड़), अन्य प्रशासिनक व्यय (₹5.28 करोड़), पीओएल (₹0.03 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹52.86 करोड़), अन्य प्रभार (₹167.42 करोड़), भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹150 करोड़), अन्य प्रभार (अनुसंधान) (₹50.29 करोड़) और अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम (₹11.26 करोड़) के लिए।	(a) For Salaries and Cost of Rati (₹ 909.20 crore), Wages (₹ 3.86 crore) Domestic Travel Expenses (₹ 497 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore), Advertising a Publicity (₹ 6.76 crore), Supplies a Materials (₹ 5.35 crore), Reward (₹ 0.25 crore), Office Expensed (₹ 162.31 crore), Arms and Ammunit (₹ 79.47 crore), RRT (₹ 6 crore) Publications (₹ 11.70 crore) Professional Services (₹ 375.30 crore) Medical Treatment (₹ 79.40 crore) Other Administrative Expenses (OA) (₹ 5.28 crore), POL(₹ 0.03 crore) Minor Works (₹ 52.86 crore), Other Charges (₹ 167.42 crore), Grants creation of Capital Assets for Land Pauthority of India (₹ 150 crore), Other Charges (Research) (₹ 50.29 crore) a Coastal Security Scheme under Other Charges (₹ 11.26 crore).	re), 94 ses nd and rds ses ion e), e), re), re, her for rort her and		708.17

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
भनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
 (ख) पूर्वोत्तर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (₹105 करोड़) और वामपंथ उग्रवाद (₹59.50 करोड़)। (ग) जेएंडके के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (₹688 		 (b) For Security Related Expenditure for North East (₹ 105 crore) and Left Wing Extremism (₹ 59.50 crore). (c) For Security Related Expenditure for 	121.34	-	121.34
करोड़) और राहत तथा पुनर्वास (₹100 करोड़)। 19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	J&K (₹ 688 crore) and Relief and Rehabilitation (₹ 100 crore). Andaman and Nicobar Islands	783.00	-	783.00
(क) सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त		(a) For meeting additional expenditure			
आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ख) वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		towards Grants-in-aid General. (b) For meeting additional requirement for expenditure towards Salaries and other	2.00	-	2.00
(ग) वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की		establishment. (c) For meeting additional requirement for	4.00	-	4.00
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		expenditure towards Salaries and other establishment.	10.00	-	10.00
(घ) मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		 (d) For meeting additional requirement for expenditure towards wages and minor works. 	4.00	-	4.00
(ड) वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(e) For meeting additional requirement for payment of Salaries, Wages and other Establishment Expenditure.	11.00	-	11.00
(च) वेतन हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।(छ) वेतन, अन्य स्थापना व्यय, ऊर्जा और जल		(f) For meeting additional requirement for expenditure towards Salaries.(g) For meeting additional requirement for	5.00	-	5.00
प्रभारों की लंबित भुगतान तथा एएनआईएसएचआई स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ज) मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय		expenditure for salary, other establishment expenses, pending payment for energy and water charges and ANISHI health insurance scheme. (h) For meeting additional requirement for	4.00	-	4.00
की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		expenditure towards wages and minor works.	6.00	-	6.00
(झ) सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(i) For meeting additional requirement for expenditure towards Grants-in-aid General.	2.00	_	2.00
(ञ) विधवा/निराश्रित/वृद्धावस्था/निःशक्तता पेंशन तथा आईसीडीएस को अन्य संघ राज्य क्षेत्र अंशदान जैसी सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने		(j) For meeting additional requirement for expenditure towards Social Welfare Schemes such as Widow/Destitute/Old age/Disability pensions and other UT			
के लिए। (ट) विद्युत उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए आईओसीएल से पीओएल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		contribution of ICDS. (k) For meeting additional requirement for procurement of POL from IOCL for Power Generation and other related	8.00	-	8.00
(ठ) तट के अगले भाग के क्षेत्र के पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता		expenses. (1) For meeting additional requirement for expenditure on POL for Foreshore	42.28	-	42.28
पूरी करने के लिए। (ड) अंतर्द्वीपीय पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Sector vessels. (m) For meeting additional requirement for expenditure on POL for Inter Island	20.00	-	20.00
(ढ) उपग्रह ट्रांसपोंडरों के किराए की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		vessels. (n) For meeting additional requirement for the cost for hiring of Satellite	3.00	-	3.00
51. दादरा और नगर हवेली आयोजना विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹3.35 करोड़) और सिलवासा स्मार्ट सिटी लि. को वर्ष 2018-19 के लिए संघ राज्य		Transponde. Dadra and Nagar Haveli For meeting additional requirement for relasing Grants-in-aid to Planning Development Authority (₹ 3.35 crore) and	20.00	-	20.00

			(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
क्षेत्र का लंबित हिस्सा जारी करने के लिए ₹74.72 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। 53. लक्षद्वीप (क) भारत रिजर्व बटालियन और पुलिस कार्मिकों के	for pending UT share for the year 2018-19 to Silvassa Smart City Limited (₹ 74.72 crore). 53 Lakshadweep	3.35	-	3.35
वेतन और भत्तों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ख) स्टाफ और लोक निर्माण विभाग के वेतन और	 (a) For meeting additional requirement for payment of allowances of India Reserve Battalion and Police Personnel. (b) For meeting additional requirement for 	7.35	-	7.35
भत्तों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ग) शिक्षा विभाग के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के	payment of allowances of staff and Public works Department. (c) For meeting additional requirement for	1.00	-	1.00
यात्रा खर्चों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	payment of travel expenses of teaching and non-teaching staff of Education Department.	0.40	-	0.40
(घ) आउटसोर्स की गई विशेष सेवाओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement for payment of outsourced speciality sevices.	2.50	_	2.50
(ङ) पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के भत्तों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional requirement for payment of allowances of Veterinary Assistant Surgeons.	1.20	<u>-</u>	1.20
(च) बीएसएनएल को इंटरनेट बैंड विथ बढ़ाने संबंधी प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(f) For meeting additional requirement for payment of charges related to augmentation of internet bandwidth to BSNL.	8.67	_	8.67
विधि और न्याय मंत्रालय 63. विधि और न्याय (i) महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (₹40 करोड़) और (ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्कीम (₹240.30 करोड़) पर अतिस्कि	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 63 Law and Justice For meeting additional expenditure (i) on Fast Track Special Courts under the National Mission for Safety of Women (₹ 40 crore) and (ii) under the scheme of Infrastructural			
व्यय पूरा करने के लिए। 65. भारत का उच्चतम न्यायालय चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.20 करोड़), कार्यालयी व्यय (₹0.51 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹4.80 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Facilities for Judiciary (₹ 240.30 crore). 65 Supreme Court of India For meeting additional expenditure on Medical Treatment (₹ 1 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore), Office Expenses (₹ 0.51 crore) and Information	118.25	-	118.25
संसदीय कार्य मंत्रालय	Technology (₹ 4.80 crore). MINISTRY OF PARLIAMENTARY	6.51	-	6.51
71. संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	AFFAIRS 71 Ministry of Parliamentary Affairs For meeting expenditure towards Grants-in- aid General uner Information Technology for implementation of National eVidhan Application.	23.23	-	23.23
करन के लिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 73. केन्द्रीय सतर्कता आयोग वेतन (₹0.88 करोड़) और कार्यालयी व्यय (₹0.22 करोड़) हेतु भुगतान करने के लिए।	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 73 Central Vigilance Commission For making payment towards Salaries (₹ 0.88 crore) and Office Expenses (₹ 0.22			
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84. ग्रामीण विकास विभाग (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	crore). MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development For (i) providing Grants for Creation of	1.10	-	1.10

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7301.81 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹11,001.81 करोड़) के लिए।	Ga Gu and Na	pital Assets under the scheme Mahatama ndhi National Rural Employment arantee Program (₹ 7,301.81 crore) d (ii) transfer of funds to tional Employment Guarantee Fund 11,001.81 crore).	5,001.81	-	5,001.81
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINIS	TRY OF TRIBAL AFFAIRS			
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय		nistry of Tribal Affairs			
(क) (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत चिकित्सीय व्यय (₹0.05 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹0.05 करोड़) (ii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹1 करोड़), निगरानी और मूल्यांकन (₹1.50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य प्रभार (iii) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता (₹45.50 करोड़), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹0.98 करोड़), लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹59.43 करोड़) और जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा (iv) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹14.68 करोड़) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹0.24 करोड़) हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		For meeting additional expenditure towards (i) Medical Expenses (₹ 0.05 crore), Office Expenses (₹ 0.30 crore), Minor Works (₹ 0.05 crore) under National Commission for Scheduled Tribes (ii) Other Charges under the schemes Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore), Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore) (iii) Grants in aid- General under the schemes Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore), Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore), Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 59.43 crore) and Tribal Festival, Research information and Mass Education (₹ 1 crore) and (iv) Grant for creation of capital assets (₹ 14.68 crore) and Grants in aid- Salary (₹ 0.24 crore)			
		under the scheme Eklavya Model			
(ख) (i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹35 करोड़) और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹92.87 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा (ii) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़)।	(b)	Residential School. For (i) Grants-in-aid General under the schemes Pre- Matric Scholarship (₹ 35 crore) and Post Matric Scholarship (₹ 92.87 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Support to Tribal Research	122.33	-	122.33
		Institutes (₹ 10 crore).	137.87	-	137.87
युवा मामले और खेल मंत्रालय		STRY OF YOUTH AFFAIRS AND ORTS			
100. युवा मामले और खेल मंत्रालय		nistry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹151.79 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹76.97 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹43.83 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹7.15 करोड़), (iii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹18 करोड़), (iv) युवा नेतृत्व कार्यक्रम स्कीम		For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 151.79 crore), Grants-in-aid Salary (₹ 76.97 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 43.83 crore) under various schemes (ii) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore) (iii) Minor Works under the scheme Youth			

Hostel (₹ 18 crore) (iv) Other Charges

under the schemes Young Leader

Programme (₹ 11 crore), special cash

award (₹ 12 crore), Pension to

Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore)

के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹11 करोड़), विशेष

नकद पुरस्कार (₹12 करोड़), मेधावी खिलाड़ियों

के लिए पेंशन (₹10 करोड़), (v) युवा नेतृत्व

कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार

(₹5 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के

			(₹ करोड़ ३	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹2.05 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹0.19 करोड़), और भारतीय खेल प्राधिकरण (₹15 करोड़) और (ii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹2 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	 (v) Advertisement & Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5 crore) and (vi) Office Expenses under National Service (₹ 2.05 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Young Leader Programme (₹ 0.19 crore) and Sports Authority of India (₹ 15 crore) and (ii) Minor 	308.00	-	308.00
(ग) पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा	 Works under the scheme Youth Hostels (₹ 2 crore). (c) For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme 	17.00	-	17.00
करने के लिए। कुल नकद व्यय	Sports University in North East. Total Cash Outgo	44,598.49	10.00 9,365.09 5	10.00 53,963.58

3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹4,26,916.61 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/ विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुरूपी बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं:

Departments. The items are as follows:

This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical

supplementary grants/appropriations for ₹4,26,916.61 crore which are matched

by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/

तकनीकी पूरक अनुदान

परमाणु ऊर्जा विभाग

3. परमाणु ऊर्जा

- (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) यूसीआईएल (एनएफसी) के बकाया का भुगतान (₹100 करोड़) और (ii) नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) के प्रचालनगत व्यय (₹70 करोड़), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (₹29 करोड़), नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) (₹26.18 करोड़) और नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) (₹58.41 करोड़)।
- (ख) (i) भाभा परमाणु अनुसंघान केंद्र (₹80 करोड़), राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹23.78 करोड़), परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंघान महानिदेशालय (₹5.63 करोड़) (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹50 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹6 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान (iii) भाभा परमाणु अनुसंघान केंद्र (₹0.07 करोड़) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंघान केंद्र (₹0.02 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान तथा भाभा परमाणु अनुसंघान केंद्र के लिए प्रचालनगत व्यय (₹94.92 करोड़) पूरा करने के लिए।
- (ग (i) फीड स्टॉक (₹177 करोड़) और भारी जल उत्पादन सुविधा (₹3.28 करोड़) (ii) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (₹0.65 करोड़) और भाभा

Technical Supplementary Demands for grants

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

- 3 Atomic Energy
 - (a) For meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears to Uranium Corporation of India Limited (Nuclear Fuel Complex) (₹ 100 crore) and (ii) operational expenditure for Nuclear Recycle Board (₹ 70 crore), Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex (₹ 58.41 crore).
 - (b) For meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 23.78 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to Atomic Energy Education Society (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.02 crore) and Bhabha Atomic Research Centre for operational expenditure (₹ 94.92 crore).
 - (c) meeting additional expenditure towards
 (i) Feed Stock (₹ 177 crore and Heavy
 Water Production Facility (₹ 3.28 crore)
 (ii) Machinery and Equipments for

11.93 - 11.93

35.41 - 35.41

			(₹ करोड़ ₹	t in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹2.84 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹2.10 करोड़) और (iv) भारी जल उत्पादन सुविधा (₹33.17 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Atomic Mineral Directorate for Exploration & Research (₹ 0.65 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.84 crore) (iii) Major Works for Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.10 crore) (iv) Heavy Water Production Facility (₹ 33.17 crore).	-	180.28	180.28
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
7. भेषज विभाग मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित भारतीय औषधी और भेषज लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान औषधी और भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान न किए गए वेतन/वीआरएस की देनदारियों का भुगतान करने	FERTILIZERS 7 Department of Pharmaceuticals For payment of employee's liabilities of unpaid salary/VRS of PSUs of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet.		1.30	1.30
के लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND		1.50	1.50
 10. वाणिज्य विभाग (क) 'सचिवालय' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज प्रशिक्षण निगम (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम (₹44.97 करोड़)। 11. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 'निधियों की निधि' (₹166.31 करोड़) और 'प्रदर्शनी 	INDUSTRY 10 Department of Commerce (a) Meeting expenditure towards: Other charges under the scheme 'Secretariat'. (b) Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and Minerals Training Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore). 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade For meeting expenditure towards Investment	0.47	44.97	0.47 44.97
एवं केन्द्र, द्वारका' (₹154.31 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	under the schemes 'Fund of Funds' (₹ 166.31 crore) and 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka' (₹ 154.31 crore).	-	20.50	20.50
संचार मंत्रालय 12. डाक विभाग वेतन (₹1135.86), पेंशन (₹128.90 करोड़), मजदूरी और अन्य कार्यात्मक आवश्यकता (₹39.11 करोड़) पर स्थापना व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 12 Department of Posts For meeting additional requirement towards establishment expenses on Salary (₹ 1135.86 crore), Pension (₹ 128.90 crore), wages and other functional requirement (₹ 39.11 crore)	. 204.48	_	204.48
कारपोरेट कार्य मंत्रालय 16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (क) विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण पीठ की स्थापना के लिए किराए के कार्यालयों के नवीकरण के लिए लघु निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 16 Ministry of Corporate Affairs (a) For meeting expenditure towards Minor Works for renovation of hired office for setting up of National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal Benches at various places.	3.33	_	3.33
(ख) भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.42 करोड़), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General for Insolvency and Bankruptcy Board of India (₹ 1.42			

					₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान (₹0.70 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (₹10.20 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।		crore), Grants-in-Aid to Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 0.70 crore) and National Company Law Tribunal towards establishment related expenses (₹ 10.20 crore).	12.32	-	12.32
रक्षा मंत्रालय 18. रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) (i) विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत (₹633.87 करोड़) (ii) रक्षा संपदा संगठन (₹64.45 करोड़) और रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (₹1.96 करोड़) के अंतर्गत कैंट बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	18]	(a) For meeting additional expenditure (i) under various establishment related heads (₹ 633.87 crore) (ii) towards Grants-in-aid General to Cantonmnet Boards under Defence Estates Organization (₹ 64.45 crore) and to Institute of Defence Studies and	5.16		5.16
(ख) आपूर्ति और सामग्री, सामान्य सहायता अनुदान और कैंटीन स्टोर विभाग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		 Analysis (₹ 1.96 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Supplies and Materials, Grantsin aid General and establishment related expenditure of Canteen Stores 	5.16	-	5.16
(ग) सामरिक सड़कों के लिए राज्य सरकारों को		Department. (c) For providing additional grants to State	1,247.84	-	1,247.84
अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए। (घ) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹136.64 करोड़) और सीमा सड़कों के निर्माण (₹31.50 करोड़) का अंतरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा		Governments for strategic roads. (d) For meeting additional expenditure towards trasfers to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 136.64	10.00	-	10.00
करने के लिए।		crore) and on construction of border roads (₹ 31.50 crore).	-	136.64	136.64
वित्त मंत्रालय		ISTRY OF FINANCE			
27. आर्थिक कार्य विभाग (क) स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अंतर्गत		Department of Economic Affairs			
जुटाए गए स्वर्ण के मूल्य के लिए। (ख) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹2,750 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (₹1,003 करोड़)।		 (a) For value of gold mobilized under Gold Monetization Scheme, 2015. (b) For transfer to National Investment Fund (₹ 2,750 crore) and National Investment and Infrastructure Fund 	-	2,900.00	2,900.00
(ग) मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता (₹858.02 करोड़) और नया विकास बैंक (एनडीबी) को अभिदान (₹2,220 करोड़)।	((₹ 1,003.00 crore). (c) For meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 858.02 crore) and	-	2,750.00	2,750.00
		Subscription to New Development Bank (NDB) (₹ 2,220 crore).	_	858.02	858.02
29. वित्तीय सेवाएं विभाग		Department of Financial Services			
(क) भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण कोष (एसएएस एफ) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए।	((a) For redemption of securities issued to Stressed Assets Stablization Fund (SASF).	299.99	-	299.99
(ख) बांड के माध्यम से भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता के लिए।	((b) For equity support to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) through bonds.	-	5,300.00	5,300.00
31. राजस्व विभाग	31	Department of Revenue			
(क) राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि		(a) For release of GST Compensation to			
जारी करने के लिए और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि का अंतरण। (ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जीएसटी	(State Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account. (b) For release of GST Compensation to	16,200.00	-	16,200.00
क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि का अंतरण।		UT Governments and transfer to GST Compensation Fund in Public Account.	3,800.00	-	3,800.00

करोड़)।

			(₹ करोड़	₹ in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
36. ऋण की पुनःअदायगी बाजार ऋणों (स्विचिंग), 91/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, नकद प्रबंधन हुंडियों आदि की पुनःअदायगी के लिए। 38. राज्यों को अंतरण (क) स्थानीय निकायों-शहरी निकायों के लिए अनुदान के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए। (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए।	 36 Repayment of Debt For repayment of market loans (switching), 91/364 days T Bills, Cash Management Bills, etc. 38 Transfers to States (a) For payment of arrears under Grants for Local Bodies- Urban Bodies. (b) For providing additional allocation to States under Additional Central Assistance for Externally aided Projects (Block loans). 	2,243.66	3,63,201.91	2 2 4 2 6 6
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL	_	3,270.72	3,210.12
40. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग (i) दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹0.51 करोड़)।	HUSBANDRY AND DAIRYING 40 Department of Animal Husbandry and Dairying For meeting additional expenditure towards (i) Supply & Materials under Delhi Milk Scheme (ii) Grants-in-aid General under National Programme for Dairy Development for Scheduled Castes Sub Plan (₹ 0.51 crore).	18.63	-	18.63
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण/	42 Department of Health and Family Welfare For meeting expenditure towards Machinery			
मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹144.69 करोड़)।	& Equipment/Major Work under the various Institutions (₹ 144.69 crore).	-	55.00	55.00
गृह मंत्रालय 48. पुलिस (क) वेतन और राशन की लागत (₹909.20 करोड़), मजदूरी (₹3.86 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹497.94 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹13.03 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹6.76 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹5.35 करोड़), पुरस्कार (₹0.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹162.31 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹79.47 करोड़), आरआरटी (₹6 करोड़), प्रकाशन (₹11.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹375.30 करोड़), विकित्सा उपचार (₹69.40 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹5.28 करोड़), पीओएल (₹0.03 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹52.86 करोड़), अन्य प्रभार (₹167.42 करोड़), भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीए आई) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹150 करोड़), अन्य प्रभार (अनुसंघान) (₹50.29 करोड़), अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम (₹11.26	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 48 Police (a) For Salaries and Cost of Ration (₹ 909.20 crore), Wages (₹ 3.86 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 497.94 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore), Advertising and Publicity (₹ 6.76 crore), Supplies and Materials (₹ 5.35 crore), Rewards (₹ 0.25 crore), Office Expenses (₹ 162.31 crore), Arms and Ammunition (₹ 79.47 crore), RRT (₹ 6 crore), Publications (₹ 11.70 crore), Professional Services (₹ 375.30 crore), Medical Treatment (₹ 69.40 crore, Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 5.28 crore), POL(₹ 0.03 crore), Minor Works (₹ 52.86 crore), Other Charges (₹ 167.42 crore), Grants for creation of Capital Assets for Land Port			

Authority of India(LPAI) (₹150 crore), Other Charges (Research)(₹ 50.29 crore) and Coastal Security Scheme

under Other Charges (₹ 11.26 crore).

- 1290.64

1,290.64

					₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
49.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	Andaman and Nicobar Islands			
विद्युत उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए		For meeting additional requirement for			
आईओसीएल से पीओएल की अधिप्राप्ति हेतु		procurement of POL from IOCL for Power			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Generation and other related expenses.	74.81	-	74.81
50.चंडीगढ़	50	Chandigarh			
(क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14वें वित्त		(a) For meeting additional requirement for			
आयोग के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता		the payment of 14th Finance			
पूरी करने के लिए।		Commission to State Legal Services	0.04		
(=) ÷ h + orbb- o		Authority.	0.04	-	0.04
(ख) नगर निगम, चंडीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(b) For meeting additional requirement for			
पूरा करन क लिए।		providing to Municipal Corporation,	75.00		75.00
(ग) अंधेरा वाली जगहों पर रोशनी करने, स्ट्रीट		Chandigarh. (c) For meeting additional requirement for	/3.00	-	75.00
लाइटों के परिरक्षण और धरोहर इमारतों आदि		removal of dark spots, street lighting			
की मरम्मत के लिए अतिरिक्त आवश्यकता		preservation and restoration of heritage			
पूरी करने के लिए।		buildings, etc.	_	12.97	12.97
(घ) (i) विभिन्न सीटीयू डिपो में अग्निशमन प्रणाली,		(d) For meeting additional requirement for		12.57	12.77
एलईडी फिटिंग्स आदि के लिए (₹0.65 करोड़)		(i) providing firefighting system, LeD			
और (ii) बसों की खरीद (₹7.29 करोड़) हेतु		fillings etc. in various CTU Depots			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(₹ 0.65 crore) and (ii) purchase of buses			
ζ,		(₹ 7.29 crore).	-	7.94	7.94
52. दमन और दीव	52	Daman and Diu			
विद्युत की क्रय की लागत में बढ़ोतरी की वजह से		For meeting additional requirement under			
अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी		Other Charges due to increase in cost of			
करने के लिए।		purchase of Power.	203.00	-	203.00
53. लक्षद्वीप	53	Lakshadweep			
लक्षद्वीप द्वीप समूह में विद्युत उत्पादन के लिए		For meeting additional requirement for			
डीजल की खरीद की लागत के भुगतान हेतु अतिरिक्त		payment of cost of purchase of Diesel for	10.15		10.15
आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Power generation in Lakshadweep Islands.	18.15	-	18.15
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN			
56.आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56	AFFAIRS Ministry of Housing and Luban Affairs			
(क) जनपथ होटल के नवीकरण तथा अफ्रीका	56	Ministry of Housing and Urban Affairs			
एवेन्यू पर इस्पात संरचना के निर्माण हेतु		(a) For meeting expenditure towards renovation of Janpath Hotel and			
व्यय पूरा करने के लिए।		construction of steel structure at Africa			
(ख) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत संसद सदस्य		Avenue	_	8.50	8.50
फ्लैट (₹70.43 करोड़) और केलोनिवि द्वारा		(b) For meeting expenditure for (i) M.P.		0.50	0.50
अननुरक्षित कॉलोनियों के पूंजीगत कार्यों के		Flats under Major Works (₹ 70.43 crore)			
लिए (₹0.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के		and for capital work of Non-CPWD			
लिए।		maintained Colonies (₹ 0.50 crore)	-	70.93	70.93
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE			
		DEVELOPMENT			
57.विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	57	Department of School Education and			
		Literacy			
(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता		For meeting expenditure towards (i) Grants-			
अनुदान एनसीईआरटी (₹81.42 करोड़), केंद्रीय		in-Aid General under the Schemes NCERT			
विद्यालय संगठन (₹1892.22 करोड़), नवोदय		(₹ 81.42 crore), KVS (₹ 1892.22 crore),			
विद्यालय संगठन (₹85.63 करोड़) और समग्र शिक्षा		NVS (₹85.63 crore) and Samagra Shiksha			
(₹21 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत		(₹ 21 crore) (ii) Grants for Creation of			
पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान एनसीईआरटी (₹21.79 करोड़), केंद्रीय विद्यालय		Capital Assets under the Schemes NCERT			
एनसाइआस्टा (₹21.79 कराड़), कद्राय विद्यालय संगठन (₹486.78 करोड़), नवोदय विद्यालय संगठन		(₹ 21.79 crore), KVS (₹ 486.78 crore), NVS (₹ 316.18 crore) and Samagra Shiksha			
(रे486.78 करोड़), नेपादय पिद्यालय संगठन (रे316.18 करोड़) और समग शिक्षा (रे2.50 करोड़)		(₹ 2.50 crore) (iii) Grants-in-Aid Salary			

(₹ 2.50 crore) (iii) Grants-in-Aid Salary

under the Schemes KVS (₹4,256.52 crore)

(₹316.18 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹2.50 करोड़)

(iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता

			(₹ करोड़	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹4256.52 करोड़), नवोदय विद्यालय संगठन (₹397.29 करोड़) (iv) केंद्रीय सड़क अवसरंचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹5012 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	and NVS (₹ 397.29 crore) (iv) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (₹ 5,012 crore).	5,012.00	-	5012.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63. विधि और न्याय	63 Law and Justice			
(i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक	For meeting additional expenditure (i) on			
विशेष न्यायालय (₹40 करोड़) और (ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्कीम	Fast Track Special Courts under the National Mission for Safety of Women (₹ 40 crore)			
(₹240.30 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा	and (ii) under the scheme of Infrastructural			
करने के लिए।	Facilities for Judiciary (₹ 240.30 crore).	65.00	-	65.00
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में	For investment in National Minorities			
निवेश के लिए।	Development and Finance Corporation.	-	60.00	60.00
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
72.कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS 72 Ministry of Personnel, Public Grievances			
72.47.147 (147 147 617 1617 177 177	and Pensions			
(क) विभिन्न अभिकरणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा लंबित बिलों का	(a) For making payment of pending bills by Staff Selection Commission (SSC)			
भुगतान करने के लिए। (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्मिकों	for various agencies.	50.00	-	50.00
को वेतन और भत्तों का भुगतान करने के	(b) For payment of of Pay and allowances to staff of Central Bureau of			
लिए।	Investigation (CBI).	7.03	_	7.03
(ग) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लाल बहादुर	(c) For Lal Bahadur Shastri National			
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए।	Academy of Administration under Professional Services.	9.37	-	9.37
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
74.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	NATURAL GAS 74 Ministers of Potroloum and Natural Cos			
(i) 'एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' स्कीम	74 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (i) providing additional funds to clear			
के अंतर्गत सब्सिडियों की बकाया राशि का निपटान	the arrears of Subsidies under the scheme			
करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए	DBT for LPG (₹ 127.76 crore) and (ii)			
(₹127.76 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सड़क और	transfer of funds to Central Road and	202.77		202.77
अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹345.51 करोड़) के लिए।	Infrastructure Fund (₹ 345.51 crore).	393.77	-	393.77
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
76.विद्युत मंत्रालय	76 Ministry of Power			
(क) (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण स्कीम के	(a) For providing additional (i) Grants for			
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए	Creation of Capital assets under the scheme Stregnthening of Transmission			
अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए	System in the States of Arunachal			
(₹204.58 करोड़) और (ii) अरुणाचल प्रदेश	Pradesh and Sikkim (₹ 204.58 crore)			
और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में	and (ii) Grants-in-aid General (₹ 26.50			
विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अंतर्गत	crore) and Grants for Creation of			
सामान्य सहायता अनुदान (₹26.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए	Capital Assets (₹ 173.50 crore) under the scheme Power System Improvement			
अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए	in North Eastern States excluding			
(₹173.50 करोंड़)।	Arunachal Pradesh and Sikkim.	200.00	-	200.00
(ख) (1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन	(b) For providing additional 1. funds for			
के संवितरण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान	disbursement of salaries under Central			

			(₹ करोड़	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करने के लिए (₹5.42 करोड़) (2) (i) ब्याज भुगतानों तथा भारत सरकार पूर्णतः शोधित बांड निर्गमन व्यय और ब्याज (आरईसी बांड) स्कीम के अंतर्गत निर्गमन खर्चों के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹319.79 करोड़) और (ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत एनएचपीसी और पीजीसीआईएल द्वारा जारी बांड पर प्रतिबद्ध ब्याज भुगतानों और खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹0.06 करोड़) तथा (3) एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत	Electricity Authority (₹ 5.42 crore) 2. Grants-in-aid General (i) for Interest Payments and issuing expenses under the scheme GoI fully serviced bond (₹ 319.79 crore) on REC bond and (ii) for committed for interest payments and expenses on the Bond issued by NHPC & PGCIL under the scheme Power System Development Fund (₹ 0.06 crore) and 3. Grants for creation for Capital Assets for financial closer of projects under the scheme Integrated Power Development System (₹ 382.27 crore).	378.00		378.00
आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान	(1302.27 61616).	370.00		270.00
प्रदान करने के लिए (₹382.27 करोड़)।				
रेल मंत्रालय 82. रेल मंत्रालय न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting additional expenditure arising out of court degrees. 	-	817.49	817.49
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) एशियाई विकास बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण (₹140 करोड़), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (₹140 करोड़), अंडमान और निकोबार (₹0.20 करोड़), चंडीगढ़ (₹0.05 करोड़), दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (₹2.89 करोड़), लद्मख (₹103.82 करोड़) और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹103.82 करोड़) पर मुख्य निर्माण कार्यों पर (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्यं - जनजातीय उप-योजना (₹150 करोड़), सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों हेतु (₹90 करोड़) और राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य-सामान्य घटक (₹1922 करोड़) तथा सीआरआईएफ को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹1000 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Major Works (i) on construction of Roads under Externally Aided Projects from Asian Development Bank (₹ 140 crore), Japan International Cooperation Agency (₹ 140 crore) and in Andaman and Nicobar (₹ 0.20 crore), Chandigarh (₹ 0.05 crore), Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (₹ 2.89 crore) and Ladakh (₹ 103.82 crore) and interaccount transfer of funds to CRIF (₹ 103.82 crore) (ii) under National Highways Original Works-Tribal Sub Plan (₹ 150 crore), for Road Development Works under Road Wing (₹ 90 crore) and under National Highways Original Works-General Component (₹ 1,922 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 1,000 crore).	_	2,167.64	2,167.64
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84.ग्रामीण विकास मंत्रालय (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹7301.81 करोड) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹11,001.81 करोड़) के लिए।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 7,301.81 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 11,001.81 crore).	11,001.81	- 1	11,001.81
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			

पोत परिवहन मंत्रालय 89. पोत परिवहन मंत्रालय

(क) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति तक हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के भारत सरकार के ऋण (₹60.74 करोड़) और उस पर प्रोद्भूत

MINISTRY OF SHIPPING

89 Ministry of Shipping

(a) For write off of Government of India Loan (₹ 60.74 crore) and accrued interest (₹ 54.43 crore) outstanding

			(र करोड़	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of it	राजस्व tems Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
बकाया ब्याज (₹54.43 करोड़) को बट्टे खाते डालने के लिए। (ख) प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशालय के अंतर्गत जहाज यातायात प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए अन्य पूंजीगत व्यय हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	against Hoogly Dock Port Eng Limited as on 31.03.2019. (b) For meeting expenditure towards Capital Expenditure for upgra and maintenance of vessel T System under Directorate Gene Lighthoses and Lightships.	115.17 s Other dation	33.00	115.17 33.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96.कपड़ा मंत्रालय (क) "अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजना" स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को ऋण प्रदान करने के लिए।	 96 Ministry of Textiles - (a) For meeting expenditure towards Works under the scheme 'Infrastr and Technology Development S (b) For providing loans to British In Corporation. 	ructure scheme'	8.79 17.00	8.79 17.00
कुल तकनीकी	Total Technical	42,987.01	3,83,929.60	4,26,916.61

4. नीचे दिए गए मदों के संबंध में लिए जाने के लिए 4. प्रत्येक ₹1 लाख का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, इसके प्रति इंगित व्यय को प्रासंगिक अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।

सांकेतिक पूरक अनुदान

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

1. कृषि और कृषक कल्याण विभाग

- (क) 1. निम्नलिखित के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) पादप किरमों और किसानों के अधिकार का संरक्षण (₹1.48 करोड़) (ii) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹1.79 करोड़) 2. निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) बीज और पौध रोपण सामग्री पर उप-मिशन (14 करोड़) (ii) राष्ट्रीय बांस मिशन (₹2.25 करोड़) (iii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन (₹16 करोड़) तथा 3. कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹0.98 करोड़) और विज्ञापन और प्रचार के लिए व्यय (₹10 करोड़) पर अतिरिक्त प्रदान करने के लिए।
- (ख) किसानों को लघु आवधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत सामान्य घटक को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए।
- (ग) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैव मूल्य श्रृंखला विकास (₹10 करोड़) और (ii) एकीकृत कृषि सहयोग स्कीम (₹5.25 करोड़) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

Token Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

- 1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare
 - (a) For providing additional 1. Grants-inaid Salaries under (i) Protection of Plant Varieties and Farmer's Right (₹ 1.48 crore) (ii) National Institute of Plant Health Management (₹ 1.79 crore) 2. Grants-in-aid General under (i) Sub-Mission on Seeds & Planting Material (₹ 14 crore) (ii) National Bamboo Mission (₹ 2.25 crore) (iii) National Bee Keeping and Honey Mission (₹ 16 crore) and 3. Grants-in-aid Salaries (₹ 0.98 crore) and expenditure for Advertising and Publicity (₹ 10 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes under Sub Mission on Agriculture Extension.
 - (b) For providing additional Subsidy to General Component under Interest Subsidy for Short Term Credit to Farme.
 - (c) For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under (i) Organic Value Chain Development for NE Region (₹ 10 crore) and (ii) Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 5.25 crore).
- 46.50 46.50
- 4.50 4.50
- 15.25 15.25

अनुदाना का पूरक माग,	2019	9-2U2	U SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	K UKAN1S		(X1X)
					(₹ करोड़ ₹	in Crore
				राजस्व	पूंजी	जोड़
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant	No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
		(4)	Francisia Contribution 11 Consulta			
(घ) राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अंतर्गत		(a)	For providing Grants-in-aid General for			
सामान्य घटक (₹1.03 करोड़), अनुसूचित			General Component (₹ 1.03 crore),			
जातियों के लिए विशेष घटक (₹0.30 करोड़)			Special Component for Scheduled			
और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.20			Castes (₹ 0.30 crore) and Tribal Area			
करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान			Sub Plan (₹ 0.20 crore) under	1.50		1.50
करने के लिए।	_		National Project on Agro Forestry.	1.53	-	1.53
.कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2	_	partment of Agricultural Research and			
(क) (:) कृषि में मौद्रिक कर्मनीदिक और मीमांच			ucation For masting (i) Crants in aid Canaral			
(क) (i) कृषि में मौलिक, कार्यनीतिक और सीमांत		(a)	For meeting (i) Grants-in-aid General			
अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि			to Indian Council of Agricultural			
स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान			Research under the schemes National			
परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹15.06			Fund for Basic, Strategic and Frontier			
करोड़), कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा			Application Research in Agriculture			
स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन			(₹15.06 crore), Other Natural Resource			
संस्थान, अनुसंघान और शिक्षा स्कीम (₹4.67			Management institutes, Research and			
करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			Education Schemes including Agro-			
(₹0.20 करोड़), जलवायु अनुकूल कृषि पहल			Forestry Research and Education			
स्कीम (₹5.51 करोड़), डेयरी अनुसंधान,			Scheme (₹ 4.67 crore) and under Tribal			
संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान,			Area Sup-plan (₹ 0.20 crore), Climate			
अनुसंघान और शिक्षा स्कीम (₹13.87 करोड़)			Resilient Agriculture Initiative (₹ 5.51			
और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹1.64			crore), Animal Science institutes,			
करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत			Research and Education Schemes			
बागवानी संस्थानों के लिए अनुसंधान और			including Dairy Research Institutes &			
शिक्षा स्कीमें (₹1.66 करोड़), विशेष घटक			Schemes (₹ 13.87 crore) and under			
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के			Tribal Area Sup-plan (₹ 1.64 crore),			
लिए जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम			Research and Education Schemes			
(₹0.21 करोड़) (ii) अनुसंधान और शिक्षा			(₹ 1.66 crore) for Horticulture Institutes			
स्कीमों के अंतर्गत कृषि इंजीनियरी संस्थानों			under Tribal Area Sup-plan, Scheduled			
के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को			Castes of Climate Resilient Agriculture			
पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान			Initiative scheme (₹ 0.21 crore) under			
(₹1.15 करोड़) और अनुसूचित जातियों के			Special Component Plan (ii) Grants for			
लिए इंजीनियरी संस्थान, अनुसंघान और शिक्षा			creation of Capital Assets to Indian			
स्कीमों की विशेष घटक योजना (₹0.80			Council of Agricultural Research for			
करोड़), राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना			Agricultural Engineering institutes			
(विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं) के लिए			under Research and Education Schemes			
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹4.82			(₹ 1.15 crore) and under Special			
करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत			Component Plan for Scheduled Castes			
फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा			(₹ 0.80 crore), Agricultural Research			
स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद			for National Agricultural Higher			
(₹0.01 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			Education Project (Externally Aided			
के अंतर्गत बागवानी संस्थान, अनुसंधान और			Projects) (₹ 4.82 crore), Agricultural			
शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान			Research for Crop Science Institutes			
परिषद (₹0.57 करोड़) और केन्द्रीय कृषि			Research and Education Schemes			
विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड (रैं6.80 करोड़) तथा			(₹ 0.01 crore) under Tribal Area			
(iii) मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि						
			Sup-plan, Agricultural Research for			
अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान			Horticulture Institutes, Research and			
(₹2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान			Education Schemes (₹ 0.57 crore)			
(₹9.48 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।			under Tribal Area Sup-plan and Central			
			Agricultural Universities Bundelkhand			
			(₹ 6.80 crore) and (iii) Grants-in-aid			
			General (₹ 2 crore) and Grants-in-aid			
			Salaries(₹ 9.48 crore) to Indian			
			Council of Agricultural Research for			
			Handquarter Administration	60 15		60 15

Headquarter Administration.

(b) For meeting (i) Grants-in-aid General

to Indian Council of Agricultural

68.45

68.45

(ख) (i) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

			in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹9.01 करोड़), कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹8.26 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान। (ii) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹3.31 करोड़) और इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम (₹0.21 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान तथा (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान (₹0.22 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 9.01 crore), Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8.26 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 12 crore), Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 3.31 crore) and Agricultural Engineering institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.21 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural Universities, Imphal (₹ 0.22 crore).	33.01	_	33.01
परमाणु ऊर्जा विभाग 3. परमाणु ऊर्जा (क) परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय सामान्य	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 3 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure			
सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹13.62 करोड़) (ii) निर्माण, सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम) (₹25 करोड़) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (₹60 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	towards Grant in aid General to DAE Secretariat. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipments for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 13.62 crore) (ii) Major Works for Directorate of Constructions, Service and Estate Management (₹ 25 crore) and DAE R&D Projects (₹ 60 crore).	0.42	98.62	98.62
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) 4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	Naturopathy, Unani, Siddha And			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹20.34 करोड़) (ii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.55 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25.50 करोड़) (iii) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹22.50 करोड़) (iv) "केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.19 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3 करोड़) (v) "राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.11 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के स्वतन होते अनुदान (₹8.11 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के	Homoeopathy (AYUSH) (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 20.34 crore) under various schemes (ii) Grants-in- aid-General (₹ 7.55 crore) and Grant for creation of capital assets, (₹ 25.50 crore) under the scheme All India Institute of Ayurveda (iii) Grants-in- aid-General (₹ 6 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 22.50 crore) under the scheme National Institute of Ayurveda (iv) Grants-in-aid-General (₹5.19 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 3 crore) under the scheme Central Council for Research in Ayurveda Sciences (v) Grants-in- aid General (₹ 8.11 erore) and Grant			

aid-General (₹ 8.11 crore) and Grant

for creation of capital assets (₹25 crore)

सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़) (vi) ''केंद्रीय

होम्योपैथी अनुसंधान परिषद" स्कीम के अतर्गत

	2019-2020 SOTTLEMENTART DEMANDS FOR		# क्रजीस ३	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	<i>in Crore)</i> जोड़ Total
अनुदान संख्या और शीषक तथा मदो का विवरण सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4.50 करोड़) (vii) "राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) (viii) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंघान परिषद" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़) (ix) "राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस)" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹10.68 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.45 करोड़) तथा एनआईएफ से जीबीएस को निधियों के अंतरण की वजह से व्यावसायिक सेवाएं (₹0.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के	under the scheme National Institute of Homoeopathy (vi) Grants-in-aid-General (₹ 3.50 crore) Grant for creation of capital assets (₹ 4.50 crore) under the scheme and Central Council for Research in Homoeopathy (vii) Grants-in-aid-General (₹ 2.50 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 10 crore) under the scheme National Institute of Siddha (viii) Grants-in-aid-General (₹ 2 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 20 crore) under the scheme Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (ix) Grants-in-aid-General (₹ 10.68 crore), Grant for creation of capital assets	Revenue	Capital	Total
लिए।	(₹ 0.45 crore) and Professional Services (₹ 0.65 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) due to transfer of funds from NIF	177 47		177.47
(ख) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹21.82 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	to GBS. (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 21.82 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 25.39 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM)	177.47	-	177.47
(₹25.39 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹277.70 करोड़), एससीएसपी (₹22 करोड़), टीएसपी (₹10 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹148.43 करोड़) एससीएसपी (₹20 करोड़ तथा टीएसपी (₹12 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(GBS). (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 277.70 crore), Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 22 crore) and Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 148.43 crore) Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 20 crore) and Tribal Sub- Plan (₹ 12 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM)	47.21	-	47.21
(घ) एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.10 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.28 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	 (GBS). (d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 1.10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.28 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) due to transfer of funds from NIF 	490.13	-	490.13
	to GBS.	2.38	-	2.38
रसायन और उर्वरक मंत्रालय 6. उर्वरक विभाग पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सिटी कम्पोस्ट के लिए। 7. भेषज विभाग (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹10 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा जन औषधी स्कीमों के	 MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS Department of Fertilisers For City Compost under the scheme Nutrient based Subsidy. Department of Pharmaceuticals For (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (₹ 10 crore) and (ii) Special Component for Scheduled Caste and 	1.85	-	1.85
लिए अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र उप- योजना के लिए विशेष घटक।	Tibal Area Sub Plan for NIPER and Jan Aushadhi Schemes.	10.00	-	10.00

			(₹ करोड़ ₹	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय 8. नागर विमानन मंत्रालय कौशल विकास के लिए नागर विमानन सेक्टर में संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 8 Ministry of Civil Aviation For Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development.	0.05	-	0.05
कोयला मंत्रालय 9. कोयला मंत्रालय (i) कोयला खान में परिरक्षण और सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.11 करोड़) अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.11 करोड़) और (ii) कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.71 करोड़) अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.71 करोड़) पर सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COAL 9 Ministry of Coal For meeting additional expenditue towards subsidies (i) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.11 crore) and Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.11 crore) under the scheme Conservation and Safety in Coal Mines and (ii) Tribal Area Sub Plan (₹ 0.71 crore) and Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.71 crore) under the scheme Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas.	1.64	_	1.64
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
11. उद्योग और आंतिरक व्यापार संवर्धन विभाग (क) 'पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईआईपीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹100 करोड़) और 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीसी-2017)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹1 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	INDUSTRY 11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade (a) For meeting expenditure towards Subsidies under the schemes 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIPP)' (₹ 100 crore) and 'North East Industrial Development Scheme (NEIDS-2017)' (₹ 1 crore).	101.00	_	101.00
(ख) 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएल डीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the Scheme 'Indian Leather Development Programme (ILDP)'.	124.50	_	124.50
(ग) (i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹95 करोड़) तथा (ii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 95 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)' and (ii) Subsidies (₹ 30 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan			
संचार मंत्रालय 13. दूरसंचार विभाग (i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए (₹5,000 करोड़) और (ii) बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	States'. MINISTRY OF COMMUNICATIONS 13 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure (i) for payment of ex-gratia to the employee opting for VRS (₹5,000 crore) and (ii) implementation of voluntary, retirement, in	130.00	-	130.00
के कार्यान्वयन (₹527.71 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	implementation of voluntary retirement in BSNL/MTNL (₹527.71 crore).	5527.71	-	5527.71

			्रिकरोड़ र	tin Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय 14. उपभोक्ता मामले विभाग एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 14 Department of Consumer Affairs For release of Grants-in-aid General to Indian Institute of Public Administration under the scheme Integrated Consumer Grievenness Redressel System	2.50		2.50
15. खाद्य और सार्वजनिक संवितरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यानों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति हेतु खाद्य सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Grievances Redressal System. 15 Department of Food and Public Distribution For providing additional expenditure towards Food Subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under National Food Security Act.	508.35		508.35
	1 ood Security Net.	300.33		300.33
संस्कृति मंत्रालय 17. संस्कृति मंत्रालय (क) (i) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों (₹3 करोड़), टीएसपी (₹0.10 करोड़) और अनुदानग्राही निकाय (₹3.07 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारक स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3.35 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CULTURE 17 Ministry of Culture (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3 crore), TSP (₹ 0.10 crore) and Grantee Bodies (₹ 3.07 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Buddhist Tibetan Institutions and Memorials			
(ख) अनुदानग्राही निकायों के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों हेतु सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	 (₹ 3.35 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Grantee Bodies. 	9.52 0.49	-	9.52 0.49
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF			
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	NORTH EASTERN REGION 22 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना का अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	 (a) For providing additional allocation of externally aided project under North East Road Sector Development Scheme. 	12.64		12.64
(ख) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing additional funds for Interest fee loan to North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	12.64	30.00	30.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) (i) एनआईओटी परिसर के अनुरक्षण और कॉर्पस निधि के सृजन के लिए 'राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान' स्थानीय निकाय को सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹14.78 करोड़) (ii) राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और इसके कर्मचारियों के वृद्धित वेतन और भत्तों के कारण स्वायत्त निकाय को वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (iii) गहरा महासागर मिशन के अंतर्गत नए कार्यकलापों के लिए महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएम	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 23 Ministry of Earth Sciences (a) For providing additional Grant under (i) Grants-iniaid General (₹ 1 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 14.78 crore) to Autonomous Body "National Institute of Ocean Technology" for maintenance of NIOT campus and creation of corpus fund (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 2 crore) to Autonomous Body "National Centre for Polar and Ocean Research" on account of increased pay and allowances of Scientist and its staff (iii) Grants-in-aid General (₹ 13.04 crore)			

			(₹ करोड़ ₹	
भनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
एआरटी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹13.04 करोड़) (iv) ध्रुवीय प्रयोगशाला, कंटेनर यार्ड के निर्माण और मौजूदा प्रयोगशाला खंड के विस्तार के लिए ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फेयर (पीएसीईआर) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹12 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	to Ocean Services Modelling Application Resources and Technology (OSMART) for new activities under Deep Ocean Mission and (iv) Grants for Creation Capital Assets (₹ 12 crore) under Polar Science and Cryosphere (PACER) for construction of Polar lab, container yard and extension of existing lab block.	42.82		42.82
(ख) (i) वृद्धित व्यय के लिए वायुमंडल एवं जलवायु अनुसंधान - मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (अक्रॉस) को सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹15.50 करोड़) तथा (ii) अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के लिए भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (एसएजीई) को सामान्य सहायता अनुदान (₹25.73 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grant under (i) Grants-in-aid General (₹8 crore) and Minor Works (₹15.50 crore) to Atmosphere & Climate Research- Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) for increased expenditure and (ii) Grants-in-aid General (₹25.73 crore) to Seismological and Geosciences (SAGE) for International Geological	42.02		72.02
	Congress.	49.23	-	49.23
हलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम' के संबंध में सामान्य सहायता	 24 Ministry of Electronics and Information Technology (a) For meeting an expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of 			
अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) (i) आईटी-आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन	"National Knowledge Network Programme" for development of North Eastern Region. (b) For meeting and expenditure towards	17.80	-	17.80
(₹20 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (₹18.70 करोड़), अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी (समीर) (₹10 करोड़) और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम (जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत) (₹21.84 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (ii) इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सीमेट सामग्री केंद्र के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.25 करोड़) (iii) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन के संबंध में व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़) और (iv) नाबार्ड को प्रतिपूर्ति के लिए अन्य प्रभार और सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास (₹0.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(i) Grants-in-aid General in respect of Promotion of IT/ITeS Industries (₹ 20 crore), R&D in Information Technology/Electronics/CCBT (₹ 18.70 crore), Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research SAMEER (₹ 10 crore) and National Knowledge Network Programme (under Tribal Sub-Plan) (₹ 21.84 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.25 crore) in respect of Centre for Materials for Electronic Technology-C-MET (iii) Professional Services (₹ 1 crore) in respect of Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing and (iv) Other Charges for reimbursement to NABARD and R&D in Information Technology/Electronics/CCBT (₹ 0.30 crore).	75.09		75.09
(ग) डाटा केंद्र और क्लाउड सेवाओं के लिए 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र' के संबंध में मशीनरी और उपकरणों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting an expenditure towards Machinery & Equipment in respect of "National Informatics Centre" for Data	73.03		73.07

Centres and Cloud Services.

10.00

10.00

अनुदाना का पूरक माग,	2019-2020 SUPPLEMENTARY DEMANDS FC	OR GRANTS		(XXV)
			(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 25.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Indian			
(ख) जीबी पंत हिमालयीं पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Institute of Forest Management. (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development.	1.00 7.50	-	1.00 7.50
0 :				
वित्त मंत्रालय 28. व्यय विभाग क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों, मुंबई और चेन्नई के नवीकरण के लिए। 31. राजस्व विभाग	MINISTRY OF FINANCE 28 Department of Expenditure For renovation of Regional Training Centers, Mumbai and Chennai. 31 Department of Revenue	1.78	-	1.78
माल और सेवा कर नेटवर्क - विशेष प्रयोजन व्यवस्था में निवेश के लिए। 32. प्रत्यक्ष कर	For investment in Goods and Services Tax Network-Special Purpose Vehicle. 32 Direct Taxes	-	2.56	2.56
(क) इरोड में कार्यालय भवन (₹5 करोड़), एरनाकुलम, कोच्चि, केरल में आयकर भवन (₹2 करोड़) और डिब्रुगढ़ में कार्यालय भवन (₹1 करोड़) के निर्माण के लिए। (ख) आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण, अजमेर से भूमि की खरीद के लिए।	 (a) For construction of office building at Erode (₹ 5 crore), Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 2 crore) and office building at Dibrugarh (₹ 1 crore). (b) For purchase of land from Development Authority, Ajmer for construction of residential colony 	-	8.00 18.45	8.00 18.45
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय 39. मत्स्य पालन विभाग	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 39 Department of Fisheries	-	10.43	10.43
एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए। 40. पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	For release of Grants-in-aid General under Tribal Area Sub Plan under Integrated Development & Management of Fisheries. 40 Department of Animal Husbandry and Dairying	2.12	-	2.12
(क) (1) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) खुर एवं मुख रोग तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹253.56 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹46.89 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹29.05 करोड़) तथा विज्ञापन और प्रचार (₹9.30 करोड़) और (ii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम (₹0.01 करोड़) और (2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹ 253.56 crore), Schedule Caste Sub Plan (₹ 46.89 crore), Tribal Area Sub Plan (₹ 29.05 crore) and Advertisement & Publicity (₹ 9.30 crore) under the scheme National Animal Disease Control Programme for Foot & Mouth Disease and Brucellosis and (ii) Livestock Health and Disease Control scheme (₹ 0.01 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Veterinary	220 11		220.11
(ख) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान	Council of India (₹ 0.30 crore) (b) For providing Grants-in-aid General under scheme Live Stock Census and	339.11	-	339.11
प्रदान करने के लिए।	Integrated Sample Survey.	2.00	-	2.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (1) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 41 Ministry of Food Processing Industries For meeting fund towards 1. Grants-in-aid			

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(i) एकीकृत प्रशीतन और मूल्य वृद्धि अवसंरचना (₹36.66 करोड़) (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिस्क्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (₹42.02 करोड़) (iii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन (₹9.96 करोड़) (iv) अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कृषि संसाधन क्लस्टर (₹2.45 करोड़) (2) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.37 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹3.34 करोड़) हेतु निधि पूरी करने के लिए।		General under the schemes (i) Integrated Cold Chain and Value addition Infrastructure (₹ 36.66 crore) (ii) Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹ 42.02 crore) (iii) Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 9.96 crore) (iv) Agro Processing Clusters (₹ 2.45 crore) under Scheduled Caste Sub Plan and 2. Grants-in-aid General (₹ 6.37 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 3.34 crore) for National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM).	100.80	-	100.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42	Department of Health and Family Welfare			
(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1449.72 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1040.07 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹1850.33 करोड़) और अन्य व्यय (₹471.30 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1,449.72 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1,040.07 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 1850.33 crore) and Other expenditure (₹ 471.30 crore) under various schemes.	4,811.42		4,811.42
(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹60.69 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹58.13 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹42.70 करोड़) और अन्य व्यय (₹45.11 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(b) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General (₹ 60.69 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 58.13 crore), Grants in aid Salaries (₹ 42.70 crore) and Other expenditure (₹ 45.11 crore) under various schemes.	206.63		206.63
(ग) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तेजपुर के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1883.88 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹255.33 करोड़) और (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹5 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid General (₹ 1,883.88 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 255.33 crore) under various schemes and (ii) Grants in aid Salaries (₹ 5 crore) under Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional	2,144.21	_	2,144.21
(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹14041.51 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹894.83		Institute of Medical Sciences, Tejpur. (d) For additional towards Grants in aid General (₹ 1,4041.51 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 894.83	2,144.21	- 1	2,144.21
करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ड) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹123.82 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹8.71		crore) under various schemes. (e) For additional towards Grants in aid General (₹ 123.82 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 8.71	14,936.34	- 1	4,936.34
करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (च) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए मुख्य निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त		crore) under various schemes. (f) For additional expenditure towards Major Works for Family Welfare	132.53	-	132.53
व्यय पूरा करने के लिए। 43.स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (i) आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹2 करोड़) और (ii)	43	Training and Research Centre Mumbai. Department of Health Research For meeting additional requirement towards (i) Grant-in-Aid General for North East Areas under the scheme establishment of Model Rural Health Research Units	-	2.40	2.40

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹64 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6 करोड़) तथा एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईसी के अंतर्गत आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(₹ 2 crore) and for transfer of provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR (₹ 64 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grant in Aid Salaries (₹ 10 crore) to the Non-NIF Heads of ICMR under North East Areas.	82.00	-	82.00
गृह मंत्रालय 46. गृह मंत्रालय कार्यालय भवन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	MI 46	NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs For meeting expenditure towards Major Works to National Institute of Disaster Management under Office Building.	_	4.09	4.09
48.पुलिस (i) विभिन्न संगठनों के संबंध में कार्यालय भवन (₹223 करोड़) और आवासीय भवन (₹245 करोड़) हेतु मुख्य निर्माण कार्यों (ii) मशीनरी और उपकरण (₹81.96 करोड़) (iii) मोटर वाहन (₹34.76 करोड़) और (iv) सीमा पर पोस्ट (आईटीबीपी) (₹6 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	48	Police For meeting expenditure towards (i) Major Works for Office Building (₹ 223 crore) and Residential Building (₹ 245 crore) for various organisations (ii) Machinery and Equipments (₹ 81.96 crore) (iii) Motor Vehicles (₹ 34.76 crore) and (iv) Border			
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) वक्फ बोर्ड के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	49	Out Post (ITBP) (₹ 6 crore). Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries for Waqf	0.02	590.72	590.72
(ख) पौध संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Board. (b) For meeting additional expenditure towards Subsidies under Plant Protection Scheme.	0.03	-	0.03
(ग) जनजातीय क्षेत्रों में विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.15 करोड़) और सब्सिडियां (₹0.43 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(c) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.15 crore) and Subsidies (₹ 0.43 crore) under Development in Tribal Areas.	0.58		0.58
(घ) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त		(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries for Zila		-	0.36
आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ड) सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Parishads and Panchayat Samitis. (e) For meeting additional expenditure	3.00	-	3.00
(च) लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास स्कीम (एलएएनआईडीएस)2018 के लिए व्यय पूरा करने के लिए।		towards Grants-in-aid General. (f) For meeting expenditure for Lakshadweep and Anadaman & Nicobar Islands Industrial Development	0.10	-	0.10
(छ) पुलिस भवन की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		scheme (LANIDS)-2018. (g) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of Police	0.01	-	0.01
(ज) अन्य विभाग के सिविल कार्यों के अंतर्गत लोक निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त		Building. (h) For meeting additional requirement for Public Works and under civil works of	-	1.00	1.00
आवश्यकता पूरी करने के लिए। (झ) विभिन्न अग्निशमन भवनों की मरम्मत/निर्माण/ नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Other Department. (i) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of	-	7.65	7.65
(ञ) स्कूल की इमारत, कॉलेजों, स्टेडियमों आदि की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		various Fire Station Buildings. (j) For meeting additional requirement for repair/construction/renovation of School Building, Colleges, Stadiums,	-	1.00	1.00
		etc.	-	2.15	2.15

क्षण्डम संख्या और सीर्यक तथा मध्ये का विवरण (ट) अस्पत्तालों, औपधालयों और विकित्य विमान के अन्य विविद्य कारों की सरमान,अलुख्या मों को अनित सिर्या कारवे के विष्ण ((ट) नई पाइय लाइने निर्याभे, पानी की पाइप लाइन की मरमान, अलुख्या, प्रतिक्यान तथा पानी को दिखेगों के निर्याभ कि इंत अनित्य आवश्यकता पूर्व करने के लिए। (उ) सड़क किनारे से इत्तर नालों के निर्याभ मध्या के कियो कि निर्याभ के अल्य के किए। (अ) सड़क किनारे से इत्तर नालों के निर्याभ मध्या के कियो कि निर्याभ के किए। (अ) महिल्य आवश्यकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य आवश्यकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य आवश्यकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य का व्यवस्था के अवश्यकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य का वास्थकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य का वास्थकते के विर्य का कि के लिए का वास्थकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य का वास्थकता पूर्व करने के लिए। (अ) महिल्य का वास्थकते के विर्य का के किए का का के लिए का का के लि			
के आच सिविद कार्यों की सम्मान्/अनुमुख्या की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (उ) नई पाइप लाइने बिछने, पानी की पाइप लाइन को मस्मान, अनुख्या, प्रतिख्याचन तथा पानी की विद्या के आवश्यकता पूरी करने के लिए। (उ) सामान्य पूल व्यवस्था के अंतर्गाल आवासीय मन के मिर्माण/नवीकरण हेचु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (उ) सहक किनारे से इतर नालों के निर्माण/नवीकरण हेचु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) श्वाकत की मिर्माण,नवीकरण हेचु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) मुख्यन को प्रतिख्या के अंतर्गाल आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) मुख्यन को प्रतिख्या के अंतर्गाल आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) मुख्यन को प्रतिख्या के अंतर्गाल आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) मुख्यन को प्रतिख्या के अंतर्गाल मान्य का जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (अ) मुख्यन को के लिए। (म) मोर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मोर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मोर्माण कार्यों के मिर्माण मान्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मोर्माण कार्यों के मिर्माण मान्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मोर्माण कार्यों के मिर्माण के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मार्माण कार्यों के मिर्माण के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मोर्माण कार्यों के मिर्माण मंग्यकता कार्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मार्माण कार्यों के मिर्माण मंग्यकता कार्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मार्मिक कार्यों के मिर्माण मंग्यकता कार्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मार्मीण कार्यों के मिर्माण मंग्यकता कार्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मार्मीण कार्यों के मिर्मीण मंग्यकता कार्यों के लिए अतिरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त में मुक्त के लिए अतिरक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त में मुक्त के लिए अतिरक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त में मुक्त के लिए अतिरक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त में मुक्त के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त में मुक्त मुक्त में के लिए अतिरक आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) मिर्मीण मंग्यक्त मुक्त मुक्त मुक्त मुक		Grant No. & title and description of items	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण
श्रावह को सन्मस्त, अनुरक्षण, प्रतिख्याण तथा पानी की टिकियों के निर्माण हे तु अतिरिक्त आवश्यकता पूर्च करने के लिए।	ruction/ ensaries	undertaking repair/construction/ renovation of Hospitals, Dispensaries & Other civil works of Medical	के अन्य सिविल कार्यों की मरम्मत/अनुरक्षण
(ब) 'वामान्य पुल व्यवस्था' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) सडक किनारे से इतर नालों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) विभिन्न आंगनवादी केन्नों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) आईटीआई कार्यशाला भवन, बाल छात्रवास आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) पुणालन और पश्च चिकित्सा सेवा के जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) पायावत निश्चाला भवन के जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) पंचायत निश्चाला भवन के जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) पंचायत निश्चाला भवन के जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) पंचायत निश्चाला भवन के जारी सिवित कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) मानिरमण के विल्य पोक्तिरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों कही के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों कि लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी गवीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी प्रतिक कि लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) निभान बागरी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका कार्यक्त के किए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लिए। (य) सागरिका अवश्यकता पूरी करने के लि	repairs, ater pipe	laying of new water lines, repairs, maintenance, replacement of water pipe	लाइन की मरम्मत, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन तथा पानी की टंकियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त
(द) सड़क किनारे से इतर नालों के निर्माण/ नवीकरण हुंच अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हुंच अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हुंच अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हुंच अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) पशुणात्न और पशु चिकिरसा सेवा के जारी सिविल कार्यों के लिए अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) पशुणात्न और पशु चिकिरसा सेवा के जारी सिविल कार्यों तथा अन्य जारी सिविल कार्यों के लिए अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) पशुणात्म अर्थ एक अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सम्मिक्त सरकारी इंपोरियम के जारी सिविल कार्यों के लिए अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सम्मिक्त सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सहकों के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए अविरक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए। (ण) सेव स्टैकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए) (ण) सेव स्टेकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की अध्रामिक के लिए। (ण) सेव स्टेकर तथा एस्टी कंटेनर ईंडलर की किए। (प) सेव स्टिकर को किए। (प) सेव स्टेकर तथा एस्टिकर को किए। (प) सेव स्टेकर तथा एस्टिकर को के लिए। (प) सेव स्टेकर तथा एस्टिकर को किए। (प) सेव स्टेकर तथा एस्टीकर को लिए। (प) सेव स्टेकर तथा एस्टिकर को किए। (प) सेवरकर के लिए। (प) सेवरकर के लिए। (प) सेवरकर के लिए। (प) सेवरकर के लिए। (प	ment for sidential	(m) For meeting additional requirement for construction/renovation of residential	(ड) 'सामान्य पूल व्यवस्था' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त
(0) For meeting additional requirement for construction/renovation of various Anganwadi Cente. (a) आईटीआई कार्यशाला भवन, बाल छात्रावास आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (b) पशुपातन और पशु चिकित्सा सेवा के जारी सिविल कार्यों के लिए। (c) मानिरक्यों के बिए। (d) मिलन बेले के लिए। (d) मानिरक्यों के बिए। (d) मानिरक्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निदेशालय भवन के जारी निवक्त कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) पंचायत निवक्त कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (d) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) चेच स्टैकर तथा एम्प्टी केटीनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) चिन्त सर्वक्र के अर्थ पुत के निक्त। (v) निवल सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (d) जिला सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) चेच स्टैकर तथा एम्प्टी केटीनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) चेच स्टैकर तथा एम्प्टी केटीनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (e) चेच स्टैकर तथा एम्प्टी केटीनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (v) निक्त सरकारी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने		(n) For meeting additional requirement for construction/renovation of non-road	नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने
(त) आईटीआई कार्यशाला मवन, बाल छात्रावास आदि के निर्माण के लिए। अितरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निर्माण अवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत विर्माण अवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) सार्वेष्ठ के विर्माण अवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) सार्वेष्ठ के विर्माण अवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) जिल्ला अवश्यकता पूरी करने के लिए। (व		(o) For meeting additional requirement for construction/renovation of various	(ण) विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण
सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (द) मास्स्यिकी क्वार्यरुं के जारी सिविल कार्यों तथा अन्य जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निवेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निवेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निवेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) पंचायत निवेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (क) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए। (व) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (व) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए। (व) अंकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) जिला सडकों के अंतर्गत सडक और पुल के लिए। (म) जिला सडकों के अंतर्गत सडक और पुल के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) निम्न वर्ग अद्वें के निम्ण/नवीकरण, ज्वाटें अंस अन्य निर्माण/नवीकरण, व्वाटें अंस अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) निम्न वर अर्डु के निर्माण/नवीकरण, व्वाटें अंस अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) निर्माण/नवीकरण, ज्वाटें अंस अन्य निर्माण/नवीकरण, व्वाटें अंस अन्य निर्माण/नवीकरण व्याणकर्य के लिए। (म) निर्माण कर्या क्या प्राप्त कर्य के लिए। (म) निर्माण कर्य कर्	ilding of -	(p) For meeting additional requirement for construction of workshop building of ITI, Boys Hostel, etc.	आदि के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।
आवश्यकता पूरी करने के लिए। (घ) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए। (त्र) विभिन्न बिजली घरों पर जारी सिविल कार्यों के लिए। (प) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों करने के लिए। (प) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए। (प) जिला सड़कों के अंतर्गत सड़क और पुल के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना कर किए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, ववार्टरं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, ववार्टरं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न वस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न वस अड्डों के निर्माण कार्यों के लिए। (म) विभिन्न वस अड्डों के लिए। (म) विभावका प्राच्याका के लिए। (म) विभावका प्राच्याका के लिए। (म) व	Animal rices ment for	ongoing civil works of Animal Husbandary & Veterinary Services. (r) For meeting additional requirement for	सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (द) मात्रियकी क्वार्टरों के जारी सिविल कार्यों
(न) विभिन्न बिजली घरों पर जारी सिविल कार्यों अंग मशीनरी एवं उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (प) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (क) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (क) रीज सहकों के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) जिला सड़कों के अंतर्गत सड़क और पुल के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें और अन्य सड़कों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें अत्र वस्त कर्यों के लिए। (प) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District & Other Roads and for General Roads. (प) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works. 2.47	ment for	and other ongoing civil works.(s) For meeting additional requirement for	आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ध) पंचायत निदेशालय भवन के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी
(प) सागरिका सरकारी इंपोरियम के जारी नवीकरण कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ब) बॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) जिला सड़कों के अंतर्गत सड़क और पुल के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त अवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अनुस्याक्त के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अनुस्याक्त के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अनुस्याक्त के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों अनुस्याक्त के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नविकरण, क्वार्टरों अनुस्याक्त के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के निर्माण/नविकरण, क्वार्य के लिए। (म) विभन्न बस अड्डों के लिए। (म) विभन्न वस अड्डों के लिए। (म) विभन्न वस अड्डों के लिए। (म) वस स्टेकर के लिए। (म) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District & Other Roads and for General Roads. (म) विभन्न वस अड्डों के निर्माण/नविकरण, क्वार्य के लिए। (म) विभान के लिए। (म) विभान वस अड्डों क	r Houses	(t) For meeting additional requirement for ongoing works at various Power Houses and procurement of machinery and	(न) विभिन्न बिजली घरों पर जारी सिविल कार्यों और मशीनरी एवं उपकरण की अधिप्राप्ति के
(फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ब) डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ब) डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए। अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (फ) For meeting additional requirement for various civil works of Dockyard. (w) For meeting additional requirement for various civil works of Dockyard. (x) For meeting additional requirement for various civil works of Dockyard. (x) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan for District & Other Roads and for General Roads. (y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus suagevabant पूरी करने के लिए। (y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works. - 2.47	rernment	(u) For meeting additional requirement for ongoing works of Sagarika Government	कार्यों तथा अन्य सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त
(ब) डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (भ) जिला सड़कों के अंतर्गत सड़क और पुल के निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (w) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan for District & Other Roads and for General Roads. (y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works. 2.35	ment for	(v) For meeting additional requirement for procurement of Reach Stacker & Empty	(फ) रीच स्टैकर तथा एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी
निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सङ्कों के construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal सङ्कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के Area sub plan for District & Other लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें (y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus आवश्यकता पूरी करने के लिए। (y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus terminus, quarters and other works. - 25.80	rd	(w) For meeting additional requirement for various civil works of Dockyard.	(ब) डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।
(म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरें (y) For meeting additional requirement for silve अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त construction/renovation of various bus salayaban पूरी करने के लिए। terminus, quarters and other works 2.47	loads & s, Tribal	construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan for District & Other	निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के
	ious bus	(y) For meeting additional requirement for construction/renovation of various bus	(म) विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त
मरम्मत, अनुरक्षण और रख-रखाव तथा अन्य annual repair, maintenance & upkeep निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी of Rajiv Gandhi Water Sports Complex and other works 1.00	ment for upkeep	(z) For meeting additional requirement for annual repair, maintenance & upkeep of Rajiv Gandhi Water Sports Complex	(य) राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर की वार्षिक मरम्मत, अनुरक्षण और रख-रखाव तथा अन्य निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी

				(₹ करोड़ ₹	in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
50. चंडीगढ़ (क) वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ख) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत	(a)	andigarh For meeting additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA, etc. For meeting additional requirement for	0.52	-	0.52
कर्मचारियों के वेतन, बकाया पेंशन, मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		the payment of Salaries, pension Arrears, monthly pension and retirement pensionary benefits of employees working in Punjab Engineering College.	7.01	-	7.01
(ग) चंडीगढ़ की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा वृद्ध एवं असहाय लोगों हेतु घर के लिए अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम को भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c)	For meeting additional requirement for the payment to chandigarh Scheduled Castes, Backward Classes and Minorities Financial and Development Corporation for Home to Old age and			0
(घ) चंडीगढ़ होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के	(d)	Destitutes people. For meeting additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. to Chandigarh Institute of Hotel Management &	0.75	-	0.75
लिए। (ड) (i) आपदा अनुक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित करने, विभिन्न पुलिस स्टेशनों के नवीकरण के लिए (₹4.03 करोड़) और (ii) धनस में 336 टाइप-II पुलिस आवासों के निर्माण (₹14.99 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e)	Catering Technology. For meeting the additional requirement for (i) setting up of Emergency Response Support System, renovation of various Police Stations (₹ 4.03 crore) and (ii) construction of 336 Type-II Police Houses at Dhanas (₹ 14.99	0.06	-	0.00
(च) आदर्श कारागार, बुरेल में सुरक्षा बैरकों के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने	(f)	crore). For meeting additional requirement for construction of Security Barracks at	-	19.02	19.02
के लिए। (छ) (i) खेल परिसर में बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के लिए लघु खेल अवसंरचना के निर्माण (₹2.83 करोड़) और (ii) शौचालयों के नवीकरण, कला महाविद्यालय में एसी और पानी कूलरों का प्रावधान करने (₹0.27 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(g)	Model Jail, Burail. For meeting additional requirement for (i) construction of Mini Sport Infrastructure for Billiards and Snookers in Sports Complex (₹ 2.83 crore) and (ii) renovation of toilets, provision of ACs and Water Coolers in Arts College (₹ 0.27 crore).	-	3.10	3.10
(ज) किशनगढ़ ग्राम में पानी के ट्यूबवेल भाग-4 के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h)	For meeting additional requirement for construction of Water Tubewell Part- 4	-	0.10	0.10
(i) विभिन्न सरकारी आवासों में 5 केडब्ल्यूपी के एसपीवी सौर संयंत्र प्रदान करने की अतिरिक्त	(i)	in village Kishangarh. For meeting additional requirement for providing SPV Solar Plant of 5 KWP	-		
आवश्यकता पूरी करने के लिए। (झ) (i) विभिन्न जगहों पर क्रेचों के निर्माण और मलोया, नाबालिग गृह सेक्टर 25 आदि में लिफ्टों और रेम्पो के प्रावधान करने (₹1.84 करोड़) (ii) नारी निकेतन में लिफ्टों का प्रावधान करने (₹0.15 करोड़) और (iii) वृद्ध आश्रम के नवीकरण करने (₹0.06 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(j)	in various Government Houses. For meeting additional requirement for (i) construction of creches at various locations and provision of lifts and ramps for street children at Maloya, Juvenile Home Sector-25 etc. (₹ 1.84 crore) (ii) provision of lifts in Nari Niketan (₹ 0.15 crore) and (iii) renovatio of Old Age Home (₹ 0.06 crore).	-	2.05	2.05
(ञ) गहरे बोर ट्यूबवेल तथा 11 फिश टेंकों और शौचालयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(k)	For meeting additional requirement for installation of Deep Bore Tubewell and 11 Number of Fish Tanks and toilets.	-	0.20	0.20

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ट) पक्षी पार्क के निर्माण तथा एक जल प्रपात बढ़ाने आदि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ठ) विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों		 (1) For meeting additional requirement for construction of Bird Park and raising a Water Fall, etc. (m) For meeting additional requirement for 	-	1.00	1.00
के चौड़ीकरण और उनकी री-कारपेटिंग की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। 52. दमन और दीव	52	widening and re-carpeting of various links/phirni roads of various villages. Daman and Diu	-	0.59	0.59
(क) दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए कार्य को पूरा करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(a) For meeting additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Circuit Houses at Diu.	_	10.00	10.00
(ख) दीव में शिक्षा हब के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(b) For meeting additional requirement under Major Works for Education Hub at Diu.	_	10.00	10.00
 (ग) एमडीआर और ओडीआर सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़करण और चार लेन करने, भूमि का अधिग्रहण और दमन जिला में विभिन्न एमडीआर सड़कों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (घ) दमन किले का सौंदर्यीकरण और विकास, मोती दमन शिशु स्मारक उद्यान और जेट्टी उद्यान आदि और दीव जिला में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुख्य निर्माण कार्य के 		 (c) For meeting additional requirement under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of various MDR Roads in Daman District. (d) For meeting additional requirement under Major Works for development and beautification of Daman fort, beautification and extension of Moti 	-	50.00	50.00
अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। 53. लक्षद्वीप	53	Daman children memorial garden and jetty garden etc. and various projects in Diu District.	-	20.00	20.00
लक्षद्वीप द्वीपों में विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की खरीद की लागत का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		For meeting additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands.	-	0.25	0.25
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	Ml	INISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क) अन्य प्रशासनिक व्यय, लघु निर्माण कार्य, किराया, दर व कर के अंतर्गत राष्ट्रपति संपदा के लिए प्रावधान करने के लिए।	56	Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For provision for President's Estate under various OAE, Minor Works and RRT	8.60	-	8.60
(ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) के माध्यम से जुटाए गए ऋणों के लिए ब्याज का भुगतान करने (₹330 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.49 करोड़) के अंतर्गत स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को भुगतान, (iii) सामान्य पूल आवासीय आवास (₹24 करोड़) और संसदीय आवासों (₹4 करोड़) का रखरखाव (iv) जीपीआरए पर सेवा शुल्क किराया, बैद्युत और पानी के बिलों का भुगतान (₹20 करोड़)।		(b) For (i) making payment of interest for loan raised from National Small Savings Fund (NSSF) under PMAY(U) (₹ 330 crore), (ii) payment to Real Estate Regulatory Authority (RERA) under Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.49 crore), (iii) maintenance of General Pool Residential Accomodation (₹ 24 crore) and Parliamentary residences (₹ 4 crore) and (iv) payment of service charges Rent, Electricity and Water bills on GPRA (₹ 20 crore)	381.99	_	381.99
(ग) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि से आहरित		(c) For recouping an advance drawn from Contingency Fund of India towards making payment to pension scheme for Delhi Urban Art Commission (DUAC)'s employees as per CAT order	361.99	-	301.99
अग्रिम की प्रतिपूर्ति।		under Grants-in-aid Salaries.	15.44	-	15.44

			(₹ करोड़ ₹ in Cro	ore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description	राजस्व of items Revenue	पूंजी जो Capital To	-
(घ) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत उत्तर- पूर्व क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)। (ङ) विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए गौण ऋण में वृद्धि।	 (d) For North Eastern Region Development Project (NERU Grants-in-aid General. (e) For augmentation of Subord for various Metro Projects. 	JDP) under 37.23	- 37 361.17 361	1.23
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RES	SOURCE	301.17 301	.17
0 00 1	DEVELOPMENT			
57. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	7 Department of School Educa	ition and		
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i)केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹74.80 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹69.72 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹13.34 करोड़) और समग्र शिक्षा (₹40 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और	Literacy (a) For meeting expenditure to Grants-in-Aid General uschemes KVS (₹74.80 c Samagra Shiksha (₹69.72 Grants for Creation of Cap under the Schemes KVS (₹13 and Samagra Shiksha (₹40)	under the rore) and crore) (ii) ital Assets 3.34 crore)		
(iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹46.40 करोड़)। (ख) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹472.15 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹180 करोड़) की अतिस्क्ति व्यय को पूरा करने के	 (iii) Grants-in-Aid Salary Scheme KVS (₹46.40 crore) (b) For meeting additional extowards Grants-in-Aid (₹472.15 crore) and Grant for Grapital Asset (₹ 180 cross) 	penditure General or Creation	- 244	.26
लिए। (ग) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹581.61 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹118.39	the scheme Samagra Shiksha (c) For meeting additional ex towards Grants-in-Aid (₹ 581.61 crore) and Grant for	a. 652.15 ependiture General or Creation	- 652	.15
करोड़) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	of Capital Asset (₹ 118.) under the scheme Samagra S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 700	00
58. उच्चतर शिक्षा विभाग (क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1000.12 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹193 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान	8 Department of Higher Educati (a) For meeting expenditure to Grants-in-aid General (₹ 1000 Grants for creation of cap (₹ 193 crore) and Grants-in-a (₹ 2478.27 crore) under the	owards (i) 0.12 crore), ital assets iid Salaries	, , ,	.00
(₹2478.27 करोड़)। (ख) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1149.86 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1404.02 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1956.20 करोड़) और (ii) शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्ति (₹10 करोड़)।	schemes. (b) For meeting additional extowards (i) Grants-in-aid (₹ 1149.86 crore), Grants for of Capital Assets (₹ 1404.02 Grants-in-Aid Salaries (₹ crore) under various scheme Scholarship/ Stipends' uscheme Programme for Appr Training Scholarships and	3671.39 Expenditure I General or Creation crore) and E 1956.20 es and (ii) under the renticeship d Stipends	- 3671	
(ग) अन्य संस्थानों के लिए सहायता स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹265.39 करोड़) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 (₹ 10 crore). (c) For meeting additional extowards Grants-in-aid Gecrore) and Grants for creation assets (₹ 265.39 crore) under the Assistance to other institutes 	eneral (₹8 n of capital the scheme	- 4520 - 273	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	IINISTRY OF INFORMATIO	ON AND		
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	BROADCASTING 9 Ministry of Information	on and		
ि ं निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i)	Broadcasting For meeting expenditure toward			

			(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यवसायिक सेवाएं, सामान्य सहायता अनुदान और अन्य प्रभार (₹0.50 करोड़), (ii) भारतीय जन संचार संस्थानों (आईएमसी) के क्षेत्रीय केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.67 करोड़), (iii) भारत के सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता देने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.65 करोड़) (iv) भारतीय प्रेस परिषद् के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹1.55 करोड़) और (v) सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान (एसआरएफटीआई) के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़)।	Administrative Expenses, Professional Services, Grants-in-aid General & Other Charges (₹ 0.50 crore) under Champion Services Sector schemes (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.67 crore) for Regional Centres of Indian Institutes Mass Communication (IMC) (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.65 crore) for Supporting Community Radio Movement India (iv) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.55 crore) for Press Council of India (PCI) and (v) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) for Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI).	6.17	-	6.17
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
60. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (क) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (a) For meeting expenditure for Development of Water Resource Information System under Machinery 			
(ख) भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य के लिए व्यय को पूरा	& Equipment. (b) For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Grount Water	-	5.65	5.65
करने के लिए। 61. पेयजल और स्वच्छता विभाग	Management and Regulation. 61 Department of Drinking Water and Sanitation	-	9.47	9.47
(i) सामान्य कार्यक्रम घटक(₹194.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹49.06 करोड़) (iii) जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (₹22.30 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to State Governments for (i) Normal Programme component (₹ 194.44 crore) (ii) Special component Plan for Scheduled Caste (₹ 49.06 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 22.30 crore) under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).	265.80		265.80
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND	203.00		203.00
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय (क) (i) असंगठित कर्मचारियों के लिए बीमा योजना (₹175.59 करोड़) और कर्मचारी पेंशन योजना (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत अंशदान (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	EMPLOYMENT 62 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the schemes Employees Pension Scheme (₹ 10 crore) and Bima Yojana for Unorganized Workers (₹ 175.59 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 3 crore) under the scheme Employees			
(ख) 'कर्मचारी पेंशन योजना' स्कीम के अंतर्गत अंशदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Pension Scheme. (b) For meeting expenditure towards Contribution under the scheme 'Employees Pension Scheme'.	188.59 90.00	-	188.59 90.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 विधि एवं न्याय (क) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए समान्य	63 Law and Justice (a) For meeting additional expenditure			
सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	towards Grant in Aid General to National Judicial Academy.	5.00	-	5.00

अनुदानों की पूरक मांगें,	2019-202	20 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(xxxiii)
				(₹ करोड़ ३	₹ in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यायिक हेतु अवसंरचना सुविधा के स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b)	For meeting additional expenditure under the scheme of Infrastructure Facility for Judiciary in North Eastern Region.	26.70	_	26.70
(ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स की आपूर्ति के लिए भुगतान करने हेतु मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के	(c)	For meeting additional expenditure under Machinery & Equipment for making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter		50.00	50.00
लिए।		Verifiable Paper Audit Trails.	-	50.00	50.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MI	STRY OF MICRO, SMALL AND EDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	En	nistry of Micro, Small and Medium terprises			
(क) (i) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम	(a)	For meeting expenditure towards (i)			
के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.26 करोड़), 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित		Grants-in-aid General under the scheme Promotional Service Institution			
जनजाति हब केन्द्र' स्कीम के अंतर्गत सामान्य		Programme (₹ 9.26 crore), National			
सहायता अनुदान (₹5.23 करोड़), 'खादी		Schedule Caste/Schedule Tribe Hub			
अनुदान' (₹3.25 करोड़), (ii) 'निधियों की		Centre (₹ 5.23 crore) and Khadi Grant			
निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹10.10		(₹ 3.25 crore) (ii) Contribution (₹ 10.10			
करोड़), (iii) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भवन		crore) under the scheme Fund of Funds			
के लिए निधि की योजना' स्कीम के अंतर्गत		(iii) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore)			
सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़)		and Grant for creation of Capital Assets			
और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए		(₹2.50 crore) under the scheme Scheme			
अनुदान (₹2.50 करोड़) तथा (vi) 'प्रधानमंत्री		for Fund for Regeneration of			
रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹9.90 करोड़) हेत्		Traditional Industries and (iv) Subsidies (₹ 9.90 crore) under the scheme Prime			
व्यय पूरा करने के लिए।		Minister Employment Generation			
		Programme.	43.74	_	43.74
(ख) (i) 'ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी	(b)	For meeting expenditure towards (i)			
उन्नयन योजनां स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां	. ,	Subsidies (₹ 115.16 crore) under the			
(₹115.16 करोड़), (ii) 'अधिप्राप्ति और		scheme Credit Linked Capital Subsidy			
विपणन सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत		and Technology Upgradation Scheme			
सामान्य सहायता अनुदान (₹53.64 करोड़),		(ii) Grants-in-aid General under the			
संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम (₹57.91		scheme Procurement and marketing			
करोड़) और अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (₹51.18 करोड़) (iii) 'निधियों की		Support Scheme (₹ 53.64 crore), Promotional Services Institutions and			
निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹89.90		programme (₹ 57.91 crore) and			
करोड़), (iv) 'नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की		Infrastructure Development and			
स्थापना' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹ 0.01		Capacity Building (₹ 51.18 crore) (iii)			
करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के		Contribution (₹ 89.90 crore) under the			
लिए अनुदान (₹8 करोड़), (v) 'खादी अनुदान'		scheme Fund of Funds (iv) FTE (₹ 0.01			
स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान		crore) and Grant for creation of Capital			
(₹50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹8.75 करोड़), (vi) 'प्रधानमंत्री रोजगार		Assets (₹ 8 crore) under the scheme			
(४८.७५ कराङ्), (VI) प्रधानमंत्रा राजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के		Establishment of New technology Centres (v) Grants-in-aid General (₹ 50			
अंतर्गत सब्सिडियां (₹120.72 करोड़) और		crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 8.75			
सामान्य सहायता अनुदान (₹6.80 करोड़),		crore) under the scheme Khadi Grant			
(vii) 'क्वॉयर विकास योजना' (₹3 करोड़)		(vi) Subsidies (₹ 120.72 crore) and			
TOTAL POINT POINT POINT OF THE PROPERTY OF THE		C : 1 C 1 (\$\frac{1}{2}\$ (00)			

Grants-in-aid General (₹ 6.80 crore)

under the scheme Prime Minister

Employment Generation Programme (vii) Grants-in-aid Salary under the

scheme Mahatma Gandhi Institute for

तथा 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण

संस्थान' (₹0.20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत

वेतन सहायता अनुदान (viii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भवन के लिए निधि की योजना

स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान

(₹32.65 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के स्वाचन के लिए अनुवान (₹21.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। अत्यसंख्यक मामले मंत्रालय 88. अत्यसंख्यक मामले मंत्रालय 88. अत्यसंख्यक मामले मंत्रालय (क) विकास के लिए पांचरिक कला/शित्य में कौशल का उच्चयन और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान को पूरा करने के लिए। (अ) अयानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत प्रामान्य आहायता आनुवान को पूरा करने के लिए। (अ) अयानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत प्रामान्य आहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अत्यनि तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय क्रिंगित तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय क्रिंगित समाम्य सहायता अनुवान (१४ करोड़) और पूंजीगत आस्त्रियों के स्वन के लिए अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन विकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन विकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन विकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायन विकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का सुरा ले के लिए। कर्मिक लोक शिकायत के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक शिकायत के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने के लिए। कर्मिक लोक सामान्य सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यव को पूरा करने क					tin Crore)
सुजन के लिए अनुवान (१७ १८ १६ करोड) हेतु	मुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items		पूंजी Capital	जोड़ Total
68 Ministry of Minority Affairs (क) विकास के विरए पांचरिक कला/विराय में कोशत का ज्ञाज्यन और प्रशिक्षण रकिंग के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान को पूरा करने के लिए। (ख) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रकिंग के कंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए। ज्ञानीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सहित्यों के लिए राष्ट्रीय पवन ज्ञानी संख्यान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान रि.व. करोड़ प्रवास के विराध अनुदान करने के लिए। ज्ञानीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सहित्यों के लिए राष्ट्रीय पवन ज्ञानी संख्यान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान रि.व. करोड़ प्रवास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान रि.व. करोड़ प्रवास करने के लिए। ज्ञामिक लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय (क) हम्मान्य करो प्रवास करोकन संख्यान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान करने के लिए। ज्ञामिक लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय (क) स्वायत निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुदान करने के लिए। के लिए। वोजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्ए एंजनमं मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्ए एंजनमं मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंजनमं मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मके किए। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंजनमं मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मके किए। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मके किए। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मके कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मकेत कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मकेत कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मकेत कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (रि.5 करोड़) केत्र एंज वर्मकेत कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एंजोस्वाक केत्र) केत्र एंज वर्मकेत कित्र। योजना मंत्रालय (व) अटल नवाचार मिशन (एंजोस्वाक केत्र) केत्र प्राप्ताक केत्र केत्र वेत्र केत्र करोड़ केत्र केत्र केत्र केत्र केत्र केत्र केत्र केत्र केत्र केत	सृजन के लिए अनुदान (₹21.65 करोड़) हेतु	and Coir Vikas Yojana (₹ 3 crore) (viii) Grants-in-aid General (₹ 32.65 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 21.65 crore) under the scheme Scheme for Fund for Regeneration of	619.57	-	619.57
(क) विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल का जन्मना और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान को पूज करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सुंजान सुंजान करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सुंजान सुंजान करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सुंजान सुंजान करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सुंजान होतु व्यय को पूज करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सुंजान होतु व्यय को पूज करने के लिए। (व) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए। वेष्य कार्यक्रम कार्यक्रम के लिए। वेष्य कार्यक्रम कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यवक्रम कार्यक्रम के लिए। (व) प्रधानमंत्री अपना प्रधास कार्यक्रम के लिए। वेष्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम के लिए। वेष्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यवक्रम कार्यक्रम कार					
(ख) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रकीम के अंदार्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए। नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सब्सिडियों के लिए शाह्रीय पवन ज्जा संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान (दें करोड) अरान करने के लिए। कार्यिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कोर्या के सिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कोर्या के लिए। कोर्या वास मंत्रालय (व) अन्त्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आयुनिकीकरण और उसके लिए भृमि की खरीय कार्यालय/आवास मवनों के निर्माण के लिए। वोजना मंत्रालय (व) अन्त्रीय विकास तथ्यों के लिए जापान अंतर्गस्त्रीय सहयां प्रवास (श्री कि करेड) और (ii) वहनीय विकास तथ्यों के लिए जापान अंतर्गस्त्रीय सहयां प्रवास (है. 15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त क्या को पूरा करने के लिए। वोजना मंत्रालय (अ) अन्त्रीय विकास तथ्यों के लिए जापान अंतर्गस्त्रीय सहयां प्रवास (है. 15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। वोजना मंत्रालय (अ) अन्त्र नवाचार मिशन (एआईएम) (रै15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। वोजना मंत्रालय (अ) अन्त्र नवाचार मिशन (एआईएम) (रै15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास तथा सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास सहायता (है. 15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास सहायता (है. 15 करोड) हेतु सामान्य सहायता (है. 15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास तथा अपूरा सहायता (है. 15 करोड) होतु सामान्य सहायता (है. 15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) विकास तथा अपूरा सहायता (है. 15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(क) विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान को पूरा करने के	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General under the scheme Upgrading Skill and Training			
स्वीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय 69. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान (₹4 करोड) और पूंजीगत आस्तियों के स्वान के लिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 72. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत्त निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। कोर्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत्त जीन क्षामान्य सहायता अनुवान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। वोजना मंत्रालय (क) कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए। वोजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड) और (ii) वहनीय विकास तक्ष्यों के लिए जापान अतर्यस्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। शोजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। शोजना मंत्रालय (i) उसल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। शोजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (ई15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। शोजना मंत्रालय (i) उसल नवाचार मिशन (एआईएम) (ई15 करोड) होतु सामान्य सहायता अनुवान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। शोजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 75 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting expenditrue towards Grants-in-aid General for Autonomous bodies. (b) For Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/residence building for Central Bureau of Investigation. MINISTRY OF PLANNING 75 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting expenditrue towards Grants-in-aid General for Autonomous bodies. (b) For Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/residence building for Central Bureau of Investigation. - 10.00 MINISTRY OF PLANNING 75 Cometing additional expenditure towards Grants-in-aid General fo	(ख) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets	10.00	-	10.00
69. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रातय सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन उर्जा संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (हैं4 करोड) अर्थ पूंजीगत आसियों के सुजन के लिए अनुदान (हैं2 करोड) प्रदान करने के लिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तक्षिक लोक शिकायत और पेंशन म		Vikas Karyakram.	118.86	-	118.86
72. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत्त निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए। योजना मंत्रालय 75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER GRIEVANCES AND PENSIONS Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting expenditrue towards Grants-in-aid General for Autonomous bodies. (b) For Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/residence building for Central Bureau of Investigation. - 10.00 MINISTRY OF PLANNING 75 Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹6.15 crore). 21.15 48 MINISTRY OF POWER	59. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	ENERGY 69 Ministry of New and Renewable Energy For providing Grants-in-aid General (₹ 4 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under National Institute	6.00	-	6.00
72. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) स्वायत्त निकाय के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीय को लिए। योजना मंत्रालय 75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड) और (ii) वहनीय विकास सहायता (₹6.15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। सीधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। सिद्युत मंत्रालय 72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting expenditrue towards Grants-in-aid General for Autonomous bodies. (b) For Comprehensive Modernisation and purchase of land/construction of office/residence building for Central Bureau of Investigation. 73. MINISTRY OF PLANNING 75. Ministry of Planning 76. For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹ 6.15 crore). 78. MINISTRY OF POWER	ठार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। अन्दाय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए। योजना मंत्रालय 75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास विकास विश्व के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। जाधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 crore). अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अाधिकारिक विकास करने के लिए। अाधिकारिक विकास सहायता अनुदान के अविकास करने के लिए। अधिकारिक विकास करने के लिए। अधिकारिक विकास करने के ल		72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए। of Investigation 10.00 योजना मंत्रालय 75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 75 Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹6.15 crore). 21.15 daga मंत्रालय MINISTRY OF POWER	` '	Grants-in-aid General for Autonomous	0.85	-	0.85
75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। विद्युत मंत्रालय 75 Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹ 6.15 crore). 21.15	आधुनिकीकरण और उसके लिए भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण	purchase of land/construction of office/ residence building for Central Bureau	_	10.00	10.00
	75. योजना मंत्रालय (i) अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को	75 Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals	21.15	-	21.15
खातों का निपटान करने के लिए कारगिल के For meeting additional expenditure in 220 रास्ते श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. पारेषण KV transmission line from Srinagar to Leh लाइन में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। via kargil to settle the accounts 0.01	'6. विद्युत मंत्रालय खातों का निपटान करने के लिए कारगिल के रास्ते श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. पारेषण	76 Ministry of Power For meeting additional expenditure in 220 KV transmission line from Srinagar to Leh		0.01	0.01

			•
Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
79 Rajya Sabha For augmentation of funds towards Subsidies for Members.	0.20	-	0.20
MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways			
For meeting expenditure on additional	-	4,000.00	4000.00
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 Ministry of Road Transport and Highways			
Professional Services on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project.	55.00	-	55.00
(b) For Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter- account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF)			
	275.70	-	275.70
84 Department of Rural Development (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural	3 483 45	_	3,483.45
(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural			
	216.55	-	216.55
86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure	93.55		93.55
	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 79 Rajya Sabha For augmentation of funds towards Subsidies for Members. MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting expenditure on additional transfer (₹ 2,000 crore) to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway safety works (₹ 2,000 crore) to be from Central Road and Infrastructure Fund. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting expenditure towards Professional Services on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project. (b) For Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter- account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore) MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards1. Grants-in-aid General for (i) Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 52.50 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹ 4.50 crore) for Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (iii) Research and Development (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 3 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Autonomous	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 79 Rajya Sabha For augmentation of funds towards Subsidies for Members. 0.20 MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting expenditure on additional transfer (₹ 2,000 crore) to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway safety works (₹ 2,000 crore) to be from Central Road and Infrastructure Fund. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting expenditure towards Professional Services on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project. (b) For Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter- account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore) MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. 216.55 MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards1. Grants-in-aid General for (i) Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 52.50 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹ 4.50 crore) for Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (iii) Research and Development (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 3 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Autonomous	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 79 Rajya Sabha For augmentation of funds towards Subsidies for Members. 0.20 - MINISTRY OF RAILWAYS 82 Ministry of Railways For meeting expenditure on additional transfer (₹ 2,000 crore) to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway safety works (₹ 2,000 crore) to be from Central Road and Infrastructure Fund. - 4,000.00 MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting expenditure towards Professional Services on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project. (b) For Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter- account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore) MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. 216.55 - MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 86 Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards1. Grants-in-aid General for (i) Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (ii) Research and Deployment (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 18.55 crore) and (iv) Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 18.55 crore) and 2. Grants-in-aid Salary for Autonomous

				(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (i) स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹9.89 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अंशदान (₹17.35 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	87	Department of Biotechnology For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid Salary for Autonomous Institutions (₹ 9.89 crore) and (ii) Contributions under Research and Development (₹ 17.35 crore).	27.24	_	27.24
88. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए 1. (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर (₹50 करोड़), (ii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के खोजकर्ताओं और नवोन्मेषकों को अभिप्रेरित करने का कार्यक्रम (₹1.88 करोड़) (iii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के वाणिज्यिकरण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास (पीडीटीसी) हेतु कार्यक्रम (₹0.18 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और 2. प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एशिया एवं प्रशांत केंद्र को अंशदान (एपीसीटीटी) (संयुक्त राष्ट्र निकाय) (₹1.40 करोड़)।	88	Department of Scientific and Industrial Research For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 50 crore) (ii) Programme for Inspiring Inventors & Innovators (PIII) of NRDC (PSE) (₹ 1.88 crore) (iii) Programme for Development of Technologies for Commercialization of NRDC (PSE) (₹ 0.18 crore) and 2. Contribution to Asian & Pacific Centre for Transfer of Technology (UN Body) (₹ 1.40 crore).	53.46	-	53.46
पोत परिवहन मंत्रालय	MI	NISTRY OF SHIPPING			
89. पोत परिवहन मंत्रालय (क) मुख्य पत्तन के अंतर्गत मोरमुगांव पत्तन न्यास के लिए सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए। (ख) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) और भारत और मालदीव के बीच अनुसूचित कार्गो सेवा चलाने के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.52 करोड़)।	89	 Ministry of Shipping (a) For release of Grants-in-aid General to Mormugao Port Trust under Major Port. (b) For Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) to Indian Maritime University for implementation of Public Finance Management System and (ii) Grants-in-aid General to Shipping Corporation of India for running a scheduled cargo service between India and Maldives (₹ 3.52 crore). 	15.00 3.53	-	15.00 3.53
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (क) (i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹50 करोड़) और ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेश अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/	91	Department of Social Justice And Empowerment (a) For (i) Grants in aid General under the schemes Pre Matric Scholarship for SCs (₹ 50 crore) and Assistance for Skill Development of OBCs, DNTs and EBCs (₹ 10 crore) (ii)Scholarships/ Stipend under the schemes Interest Subsidy on Educational Loans for			
वृत्तिका (₹12 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा (₹40 करोड़)। (ख) भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।		Overseas Studies for OBCs and EBCs (₹ 12 crore) and Top Class Education for SCs (₹ 40 crore). (b) For Grants in aid General under the scheme Integrated Programme for	112.00	-	112.00
(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्कीम के अंतर्गत निवेश के लिए।		Rehabilitation of Beggars (c) For investments under the scheme National Backward Classes Finance and Development Corporation.	20.00	30.00	20.00
92. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	92	Department of Empowerment of Persons with Disabilities		30.00	50.00
(क) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹17.38		(a) For Grants-in-aid General under the			

			(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़), राष्ट्रीय संस्थानों (₹14.36 करोड़) और निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 (₹15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) राष्ट्रीय संस्थान स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹20.55 करोड़)। (ख) दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन स्कीम (₹15 करोड़) और दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास	schemes Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 17.38 crore), National Institutes (₹ 14.36 crore) and Implementation of Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016 (₹ 15 crore) and (ii) Grants-in-aid Salary under the scheme National Institutes (₹ 20.55 crore) (b) For Grants in aid General under the Schemes Implementation of the Persons	67.29	-	67.29
स्कीम (₹2.50 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	with Disabilities Act (₹ 15 crore) and Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 2.50 crore).	17.50	-	17.50
अंतिरक्ष विभाग 93. अंतिरक्ष विभाग (क) (i) सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के वेतन सहायता अनुदान के लिए (₹10 करोड़) और (ii) इसरो प्रणोदन परिसर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	DEPARTMENT OF SPACE 93 Department of Space (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) for Semi-conductor Laboratory and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for ISRO Propulsion Complex.	10.01	-	10.01
(ख) पीएसएलवी संयोजन सुविधा के लिए मशीनरी एवं उपकरण/प्रमुख निर्माण कार्य (₹25 करोड़), सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹18 करोड़), कार्टोसेट 3 (₹22 करोड़), ट्रायसोनिक विंड टनल सुविधा (₹35 करोड़) और (ii) सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹65 करोड़) रिर्सोससेट 3एस एवं 3एसए (₹3.50 करोड़), आदित्य एल1 (₹7.01 करोड़) और सेमी-क्रायोजेनिक चरण विकास परियोजना (₹18 करोड़) हेतु अन्य पूंजी व्यय के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Major Works for PSLV Integration Facility (₹ 25 crore), for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 18 crore), for Cartosat 3 (₹ 22 crore), for Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 35 crore) and (ii) Other Capital Expenditure for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 65 crore), Resourcesat 3S & 3SA (₹ 3.50 crore), Aditya L1 (₹ 7.01 crore) and for Semi-cryogenic Stage Development Project (₹ 18 crore).	_	193.51	193.51
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (i) क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत (₹31.46 करोड़) और (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹51.98 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 94 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting an additional expenditure (i) under the scheme Capacity Development (₹ 31.46 crore) and (ii) towards Grants-in-aid Salary to Indian Statistics Institute,			
वर्गाक) हतु जातारता व्यव यूरी करन के लिए।	Kolkata (₹ 51.98 crore).	83.44	-	83.44
वस्त्र मंत्रालय 96. वस्त्र मंत्रालय (क) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) (i) 'वस्त्र आयुक्त' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.64 करोड़) (ii) 'वस्त्र समिति के लिए सहायता' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) और (iii) 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' स्कीम	MINISTRY OF TEXTILES 96 Ministry of Textiles - (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme 'National Handloom Development Programme'. (b) For meeting expenditure towards (i) Other Charges (₹ 0.64 crore) under the scheme 'Textile Commissioner' (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) under the scheme 'Assistant	0.47	-	0.47

			(₹ करोड़ ₹	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹26.50 करोड़)।	to Textile Committee' and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.50 crore) under the scheme 'Scheme for Integrated Textile Parks.	37.14	-	37.14
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनआई डब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन केटरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार होटल संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	97 Ministry of Tourism For providing Grants-in-aid General to Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under scheme Assistance to IHMs/FCIs/IITTM NIWS.	1.30	-	1.30
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child			
(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Development (a) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. (b) For meeting additional expenditure towards Grants in aid General under the scheme National Nutrition Mission-	319.70	-	319.70
51.01.10	Programme Component.	764.00	-	764.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.95	0.52	1.47

पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी।

5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5. An advance of ₹ 15,44,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of भारत की समेकित निधि में से ₹15,44,00,000 करोड़ India for meeting Contingency requirement. This will be recouped to the fund after की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की the Supplementary Demand for Grants are approved.

कुल जोड़
निवल नकद व्यय
तकनीकी पूरक
सांकेतिक पूरक

GRAND TOTAL	87,586.45	3,93,295.21	4,80,881.66
Net Cash Outgo	44,598.49	9,365.09	53,963.58
Technical Supplementary	42,987.01	3,83,929.60	4,26,916.61
Token Supplementary	0.95	0.52	1.47

विषय सूची CONTENTS

							•	करोड़ in र	,
	. , , , , , ,					राजस्व	पूंजी		पृष्ट
माग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि	एवं कृषक		MI	NISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कल्याण मंत्रालय			FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान		1.	Department of Agriculture, Cooperation	l				
	कल्याण विभाग	स्वीकृत		and Farmers' Welfare	Voted	0.04		0.04	1-2
2.	कृषि अनुसंधान और		2.	Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.02		0.02	3-4
परमा	णु ऊर्जा विभाग		DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3.	Atomic Energy	Voted	547.35	180.29	727.64	5-6
आयुव	र्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,	, यूनानी,	MI	NISTRY OF AYURVEDA, YOGA ANI)				
	सिद्ध तथा होम्योपैथी			NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA					
	(आयुष) मंत्रालय			AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित	सा,	4.	Ministry of Ayurveda, Yoga and					
	यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष)	0		Naturopathy, Unani, Siddha and					
	मंत्रालय	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.04		0.04	7-8
रसार	ान और उर्वरक मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS					
	, , , , ,	0		AND FERTILIZERS					
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	5.	Department of Chemicals and					
		0		Petrochemicals	Voted	106.53		106.53	9
6	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	10
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	168.12	168.13	11
	र विमानन मंत्रालय			NISTRY OF CIVIL AVIATION		0.04			
8.	नागर विमानन मंत्रालय —	स्वीकृत	8.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01		0.01	12
	ला मंत्रालय			NISTRY OF COAL		0.04			
9. 	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	13
	ज्य और उद्योग मंत्रालय			NISTRY OF COMMERCE AND INDU		0.45		0.45	
10.	वाणिज्य विभाग	भारित	10.	Department of Commerce	Charged	0.47		0.47	14-15
	उद्योग तथा आंतरिक व्यापार	स्वीकृत	1.1		Voted	150.97	344.97	495.94	
11.	संवर्धन विभाग		11.	Department for Promotion of Industry	V7-4-4	0.02	270.50	270.52	16
		स्वीकृत	MI	and Internal Trade	Voted	0.03	270.50	270.53	16
٠,	चार मंत्रालय डाक विभाग	-		NISTRY OF COMMUNICATIONS	X7 . 1	1202.07		1202.07	17
	दुरसंचार विभाग	स्वीकृत		Department of Posts	Voted	1303.87	•••	1303.87	17
	C1	स्वीकृत		Department of Telecommunications	Voted	0.01	•••	0.01	18
उपम	ोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MII	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,	. . . T				
	उपभोक्ता मामले विभाग	-	1.4	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTIO		0.01		0.01	10
	उपमाक्ता मामल विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत		Department of Consumer Affairs	Voted	0.01		0.01	19
15.	खाद्य आर सावजानक वितरण विभाग	-	15.	Department of Food and Public	X7 . 1	0.01		0.01	20
	<u> </u>	स्वीकृत		Distribution	Voted	0.01	••••	0.01	20
	गेरेट कार्य मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	-		NISTRY OF CORPORATE AFFAIRS	X7 . 1	15.65		15.65	21
16.		स्वीकृत		Ministry of Corporate Affairs NISTRY OF CULTURE	Voted	15.65	•••	15.65	21
•	ृति मंत्रालय	ज ी क च			Vatad	0.02		0.02	22
	संस्कृति मंत्रालय मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Culture	Voted	0.02		0.02	22
•		a nd a		NISTRY OF DEFENCE	Cl 1	0.07	5.00	5.07	22.24
۱ ۲ .	रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	<i>भारित</i> गरीकत	18.	Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.07	5.00	5.07	23-24
		स्वीकृत			Voted	2218.81	254.20	2473.01	

						(₹	करोड़ in र	₹crore)
					राजस्व	9		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	19.	Defence Services (Revenues)	Charged	2.33		2.33	25-26
	स्वीकृत			Voted	1997.67		1997.67	
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	20.	Capital Outlay on Defence Services	Charged		11.55	11.55	27
	स्वीकृत			Voted		6988.45	6988.45	
21. रक्षा पेंशन	भारित	21.	Defence Pensions	Charged	3.34		3.34	28
	स्वीकृत			Voted	5727.53		5727.53	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		MI	NISTRY OF DEVELOPMENT OF					
मंत्रालय			NORTH EASTERN REGION					
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		22.	Ministry of Development of					
मंत्रालय	स्वीकृत		North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	29
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MI	NISTRY OF EARTH SCIENCES					
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02		0.02	30
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना		MI	NISTRY OF ELECTRONICS AND					
प्रौद्योगिकी मंत्रालय			INFORMATION TECHNOLOGY					
24. इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगि		24.	Ministry of Electronics and Information					
मंत्रालय	स्वीकृत		Technology	Voted	0.02	0.01	0.03	31
पर्यावरण, वन और जलवायु		MI	NISTRY OF ENVIRONMENT,					
परिवर्तन मंत्रालय			FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिव	र्तन	25.	Ministry of Environment, Forests					
मंत्रालय	स्वीकृत		and Climate Change	Voted	0.02		0.02	32
वित्त मंत्रालय		MI	NISTRY OF FINANCE					
27. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27.	Department of Economic Affairs	Voted	578.33	7536.20	8114.53	33-34
28. व्यय विभाग	स्वीकृत	28.	Department of Expenditure	Voted	42.33		42.33	35
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29.	Department of Financial Services	Voted	373.83	5770.00	6143.83	36
31. राजस्व विभाग	स्वीकृत	31.	Department of Revenue	Voted	40030.77	8.27	40039.04	37-38
32. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32.	Direct Taxes	Voted	181.96	0.02	181.98	39
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34.	Indian Audit and Accounts Department	Voted	88.00		88.00	40
36. ऋण की वापसी अदायगी	भारित	36.	Repayment of Debt	Charged		363201.91	363201.91	41
37. पेंशन	भारित	37.	Pensions	Charged	5.00		5.00	42
	स्वीकृत			Voted	1995.00		1995.00	
38. राज्यों को अंतरण	भारित	38.	Transfers to States	Charged	2243.66	5276.72	7520.38	43
मत्स्यपालन, पशुपालन और		MI	NISTRY OF FISHERIES, ANIMAL	Ü				
डेरी कार्य मंत्रालय			HUSBANDRY AND DAIRYING					
39. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39.	Department of Fisheries	Voted	0.01		0.01	44
40. पशुपालन और डेरी	c		Department of Animal Husbandry					
कार्य विभाग	स्वीकृत		and Dairying	Voted	18.65		18.65	45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	C	MI	NISTRY OF FOOD PROCESSING					
मंत्रालय			INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41.	Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01		0.01	46
स्वास्थ्य एवं परिवार			NISTRY OF HEALTH AND					
कल्याण मंत्रालय			FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग		42.	Department of Health and Family					
	स्वीकृत		Welfare	Voted	0.05	55.01	55.06	47-51
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43	Department of Health Research	Voted	50.01		50.01	52
गृह मंत्रालय			NISTRY OF HOME AFFAIRS	, otou	50.01	•••	50.01	32
46. गृह मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Home Affairs	Voted	3398.85	9.28	3408.13	53
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47.		Voted	96.42	<i>)</i> .20	96.42	54
48. पुलिस	स्वीकृत	48.		Voted	2903.15	0.01	2903.16	55-56
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	4 9.	Andaman and Nicobar Islands	Voted	216.15	0.20	216.35	57-60
50. चंडीगढ़	स्वीकृत		Chandigarh	Voted	75.08	21.00	96.08	61-63
51. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत		Dadra and Nagar Haveli	Voted	3.35		3.35	64
ા. ત્રાંત્રા ગાર વધા	रमान्द्ररा	JI.	Dadia and Magai Haven	v oteu	5.55		5.55	04

					(₹ द	करोड़ in र	₹crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
52. दमन और दीव	स्वीकृत	52. Daman & Diu	Voted	203.00	0.04	203.04	65-66
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	39.27	0.01	39.28	67-68
आवास और शहरी		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN					
कार्य मंत्रालय		AFFAIRS					
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	भारित	56. Ministry of Housing and Urban Affairs C	Charged	0.01		0.01	69-70
	स्वीकृत		Voted	0.03	79.44	79.47	
मानव संसाधन विकास		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE					
मंत्रालय		DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता		57. Department of School Education					
विभाग	स्वीकृत	and Literacy	Voted	5012.03		5012.03	71-72
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03		0.03	73-74
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION					
		AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01		0.01	75
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
60. जल संसाधन, नदी विकास		60. Department of Water Resources,					
और गंगा संरक्षण		River Development and Ganga					
विभाग	स्वीकृत	Rejuvenation	Voted		0.02	0.02	76
61. पेयजल एवं स्वच्छता		61. Department of Drinking Water					
विभाग	स्वीकृत	and Sanitation	Voted	0.01		0.01	77
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND					
		EMPLOYMENT					
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02		0.02	78
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
63. विधि और न्याय	स्वीकृत	63. Law and Justice	Voted	183.27	0.01	183.28	79-80
65. भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	65. Supreme Court of India	Charged	6.51		6.51	81
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		MINISTRY OF MICRO, SMALL					
मंत्रालय		AND MEDIUM ENTERPRISES					
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		66. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	82
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.02	60.00	60.02	83
नवीन तथा नवीकरणीय		MINISTRY OF NEW AND					
ऊर्जा मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		69. Ministry of New and Renewable					
मंत्रालय	स्वीकृत	Energy	Voted	0.01		0.01	84
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY					
		AFFAIRS					
71. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	23.23		23.23	85
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS					
72. कार्मिक, लोक शिकायत और		72. Ministry of Personnel, Public					
पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	Grievances and Pensions	Voted	66.41	0.01	66.42	86
73. केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित	73. Central Vigilance Commission	Charged	1.10		1.10	87
पेट्रोलियम और प्राकृतिक		MINISTRY OF PETROLEUM					
गैस मंत्रालय		AND NATURAL GAS					
74. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	393.77		393.77	88
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
75. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Planning	Voted	0.01		0.01	89
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
76. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Power	Voted	578.00	0.01	578.01	90

(₹ करोड़ in ₹crore) पुंजी जोड राजस्व पुष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION सेवा आयोग और PUBLIC SERVICE COMMISSION उप-राष्ट्रपति का AND THE SECRETARIAT OF सचिवालय THE VICE PRESIDENT 79. राज्यसभा स्वीकृत Voted 0.01 0.01 91 79. Rajya Sabha रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS 82. रेल मंत्रालय भारित 817.49 817.49 92 82. Ministry of Railways Charged स्वीकृत Voted 0.01 0.01 सडक परिवहन और MINISTRY OF ROAD TRANSPORT राजमार्ग मंत्रालय AND HIGHWAYS 83. सड़क परिवहन और 83. Ministry of Road Transport and राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत Highways Voted 0.02 2167.64 2167.66 93-94 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 84. Department of Rural Development Voted 16003.64 16003.64 95-96 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 0.01 86. Department of Science and Technology Voted 0.01 97 जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 87. Department of Biotechnology Voted 0.01 0.01 98 ... वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान Department of Scientific and विभाग स्वीकृत 0.01 99 Industrial Research Voted 0.01 पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत 89. Ministry of Shipping 115.19 33.00 148.19 100-101 Voted सामाजिक न्याय और MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE अधिकारिता मंत्रालय AND EMPOWERMENT 91. सामाजिक न्याय और 91. Department of Social Justice and अधिकारिता विभाग स्वीकृत 0.01 0.03 Empowerment Voted 0.02 102 विकलांगजन सशक्तीकरण 92. Department of Empowerment of विभाग स्वीकृत Persons with Disabilities Voted 0.02 0.02 103 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 93. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 93. Department of Space Voted 0.01 0.01 0.02 104 सांख्यिकी और कार्यक्रम MINISTRY OF STATISTICS AND कार्यान्वयन मंत्रालय PROGRAMME IMPLEMENTATION 94. सांख्यिकी और कार्यक्रम 94. Ministry of Statistics and Programme कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत Voted 0.01 0.01 105 Implementation कपडा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 96. कपड़ा मंत्रालय भारित 96. Ministry of Textiles Charged 17.00 17.00 106 ... स्वीकृत 8.79 Voted 0.02 8.81 पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM 97. पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत 97. Ministry of Tourism Voted 0.01 0.01 107 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 98. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारित 98. Ministry of Tribal Affairs Charged 137.87 137.87 108 स्वीकृत Voted 122.33 122.33 महिला और बाल विकास MINISTRY OF WOMEN AND मंत्रालय CHILD DEVELOPMENT 99. महिला और बाल विकास मंत्रालय 99. Ministry of Women and Child स्वीकृत Development 0.02 0.02 109 Voted युवा कार्यक्रम और MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS खेल मंत्रालय AND SPORTS 100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 100. Ministry Of Youth Affairs And Sports Voted 325.00 10.00 335.00 110-111 कुल जोड़ GRAND TOTAL 87586.45 393295.21 480881.66 भारित Charged 2400.36 369329.67 371730.03 स्वीकृत Voted 85186.09 23965.54 109151.63 ANNEXURE अनुबंध 112-115

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS" WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 130450.51 130450.51 पूंजी Capital 34.70 34.70 जोड 130485.21 130485.21 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue 0.05 0.05 पूंजी Capital जोड Total 0.05 0.05 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.04 0.04 Revenue पूंजी Capital जोड़ Total 0.04 0.04 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 130485.30 130485.30 राजस्व 130450.60 130450.60 Revenue पुंजी 34.70 34.70 Capital ॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401-कृषि कार्य 0.01 0.01 2401-Crop Husbandry (**क**a) 2416-कृषि विनीय मंस्थान 2416-Agricultural Financial Institutions 0.01 (खb) 0.01 0.01 (गc) 0.01 0.01 (ঘd) 0.01 0.04 0.04

2416-	रुाष ।वत्ता	यि सस्थान 2416-Agricultural Financial I	nstitutions		0.01 (खb)	0.01		
2552-	यूर्वीतर क्षे	র 2552-North Eastern Areas			0.01 (गc)			
३६०२-२ अनुदान		ा क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union	Territory G	overnm	ents	0.01 (ঘd)	0.01	
जोड़ (रा	जस्व भा	ग) Total (Revenue Section)			•••	0.04	0.04	
यह पूर	म अन् दाव	ने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:	The	supplem	entary Grants are required for:			
(क)	(i)	राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनु (₹ 2.25 करोड)।	दान (a)	(i)	Grants-in-aid General under (₹ 2.25 crore).	National B	Bamboo Mission	
	(ii)	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन' के अंतर्गत अतिरिक्त सामा सहायता अन्दान (₹ 16 करोड़)।	न्य-	(ii)	Grants-in-aid General under Na Mission (₹ 16 crore).	tional Bee Ke	eeping and Hone	
	(iii)	'पादप किस्म एवं कृषक अधिकार का संरक्षण' के अंतर्गत की अतिरि सहायता अनुदान-वेतन (₹ 1.48 करोड़)।	रेक्त	(iii)	Grants-in-aid Salaries under F Farmer's Rights (₹ 1.48 crore).	rotection of F	Plant Varieties an	
	(iv)	'बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन' के अंतर्गत सामान्य सह। अनुदान(र 14 करोड़)।	ायता	(iv)	Grants-in-aid General under St Material (₹ 14 crore).	ıb-Mission on	Seeds & Plantin	
	(v)	'राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान' के अंतर्गत की अतिरिक्त व सहायता अनुदान (₹ 1.79 करोड़)।	वेतन	(v)	Grants-in-aid Salaries under N Management (₹ 1.79 crore).	ational Institu	ite of Plant Healt	
	(vi)	'कृषि विस्तार पर उपिमशन' के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घ योजना के तहत अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.98 करोड़) अतिरिक्त विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 10 करोड़)।		(vi)	Grants-in-aid Salaries (₹ 0 expenditure for Advertising and Special Component Plan for S Mission on Agriculture Extension	Publicity (₹ Scheduled Ca	10 crore) under	
		अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पू अनुदान मांगा जाता है।	र्क		Taking into account the savings of the Grant, a token supplemen			
ख)		कसानों को अल्पाविध ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सामा घटक के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी (₹ 4.50 करोड़)।	()		additional Subsidy for General Subsidy for Short Term Credit to	ll Componen Farmers (₹ 4	t under Interes .50 crore).	
		अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पू अनुदान मांगा जाता है।	•		Taking into account the savings of the Grant, a token supplemen			
ग)	(i)	पूर्वीतर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत जनजातीय । उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (र 10 करोड़)।	क्षोत्र (c)	(i)	Grants-in-aid General for Tribal Value Chain Development for NI		•	
	(ii)	कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योज के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (र 5.25 करोड़)।	नना	(ii)	Grants-in-aid General for Tri Integrated Scheme on Agricultur			

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए (₹ 1.03 करोड़) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹ 0.30 करोड़) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए (₹ 0.20 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।

(ঘ)

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for General Component (₹ 1.03 crore), for Special Component for Scheduled Castes (₹ 0.30 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.20 crore) under National Project on Agro Forestry.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(र कराड़) (II	n < crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	8078.76	8	078.76	
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total	•••	8078.76	8	078.76	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		0.01		0.01	
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total	•••	0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8078.79	8	078.79	
राजस्व	Revenue	•••	8078.79	8	078.79	
प्ंजी	Capital					
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major I	Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2415-कृषि अनु संधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	(कa)	0.01	
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने	निम्नत्रिखित	' हेत अपेक्षित है [.]
AC XLAL DISTAIL	I TO THE STATE OF	ect or marci e.

- (क) (i) जलवायु अनुकूल कृषि पहल स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.51 करोड़)।
 - (ii) डेयरी अनुसंधान, संस्थान और स्कीमों सिहत पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.87 करोड़)।
 - (iii) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 0.57 करोड़)।
 - (iv) अनुस्चित जातियों के लिए जलवायु अनुक्ल कृषि पहल स्कीम की विशेष घटक योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.21 करोड़)।
 - (v) अनुस्चित जातियों के लिए कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों की विशेष घटक योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 0.80 करोड़)।
 - (vi) अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत कृषि इंजीनियरी संस्थानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान(₹ 1.15 करोड़)।
 - (vii) राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं) के लिए भारतीय कृषि अनु संधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.82 करोड़)।
 - (viii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.48 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 5.51 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research institutes & Schemes (₹ 13.87 crore).
- (iii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.57 crore).
- (iv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Special Component Plan for Scheduled Castes for Climate Resilient Agriculture Initiative scheme
- (v) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Special Component Plan for Scheduled Castes for the scheme of Agricultural Engineering Institutes Research and Education Schemes (₹ 0.80 crore)
- (vi) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering institutes under Research and Education Schemes (₹ 1.15 crore).
- (vii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for National Agricultural Higher Education Project (Externally Aided Projects) (₹ 4.82 crore).
- (viii) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 9.48 crore) to Indian Council of Agricultural Research for Headquarter Administration.

(b)

- (ix) अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत बागवानी संस्थानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अन्दान(₹ 1.66 करोड़)।
- (x) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सिंहत अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान(₹ 0.20 करोड़)।
- (xi) डेयरी अनुसंधान, संस्थान और स्कीमों सिहत पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.64 करोड़)।
- (xii) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।
- (xiii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 6.80 करोड़)।
- (xiv) कृषि में मौलिक, कार्यनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.06 करोइ)।
- (xv) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सिंहत अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.67 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.22 करोड़)।
 - (ii) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।
 - (iii) कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीम सिंहत अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.26 करोइ)।
 - (iv) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड)।
 - (v) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.31 करोड़)।
 - (vi) कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनु संधान और शिक्षा स्कीमों के लिए भारतीय कृषि अनु संधान परिषद को प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.21 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ix) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes under Tribal Area Supplan under the scheme of Research and Education Schemes (₹ 1.66 crore).
- (x) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Tribal Area Sup-plan under the scheme of Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 0.20 crore).
- (xi) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research institutes & Schemes (₹ 1.64 crore).
- (xii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Tribal Area Sup-plan for Crop Science Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.01 crore).
- (xiii) Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities Bundelkhand (₹ 6.80 crore).
- (xiv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 15.06 crore).
- (xv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 4.67 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural Universities, Imphal (₹ 0.22 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 9.01 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8.26 crore).
- (iv) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 12 crore).
- (v) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 3.31 crore).
- (vi) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.21 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

					(₹ करो	ड़) (In ₹ crore.
			भारित	स्वीकृत		जॊड़
			Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	:	I. ORIGINAL GRANT:				
५ ५ जस्व		Revenue	1.00	14957.52		14958.52
जी		Capital	10.00	9399.37		9409.37
ोड़		Total	11.00	24356.89		24367.89
रक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
ा उ		Revenue		0.01		0.01
जी		Capital		0.03		0.03
ोड़		Total	***	0.04		0.04
समय आवश्य	क रकम का	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:			
क अनुमान:						
जस्व 🖁		Revenue		547.35		547.35
जी		Capital		180.29		180.29
ोड़ 		Total		727.64		727.64
Iड़ (मूल और प <u>ू</u> र	(क)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	25084.57		25095.57
जस्व जस्व	,	Revenue	1.00	15504.88		15505.88
जी		Capital	10.00	9579.69		9589.69
		 इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों 		33.3.3		0000.00
		II. This Supplementary Grants will be accounted for		d		
		ii. This dappementary crants will be accounted in	आरित	 स्वीकृत		ऒड़
			Charged	Voted		Total
जस्व भाग		REVENUE SECTION	Charged	Voted		Total
ज <i>रूप जान</i> ज्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	- आर्थिक सेवाएं			0.01	(T a)	0.01
	- आयक सवार	3451-Secretariat-Economic Services	···	0.01	(कa)	0.01
801-विद्युत 852-उदयोग		2801-Power 2852-Industries		200.00 181.93	(खb)	200.00
52-उद्याग 101-परमाणु ऊर	र्जा अस्तर्गहरू				(गc)	181.93
		3401-Atomic Energy Research		165.41	(घd)	165.41
ड़ (राजस्व भाग <i>जी भाग</i>	'')	Total (Revenue Section)	···	547.35		547.35
		CAPITAL SECTION				
ज्य शीर्ष १०४	_ :	MAJOR HEAD		100.00	(-)	100.00
361-परमाणु ऊर जी परिव्यय		4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries		180.28	(še)	180.28
101-परमाणु ऊ (पूंजी परिव्यय		5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research		0.01	(चf)	0.01
ोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)	···	180.29		180.29
ोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		727.64		727.64
			गानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को ध	गामिल नहीं किया गय	ा है जिन्हें व्य	य में से घटाकर
		Note: The above estimates of additional requirement	ents do not take into account the	recoveries shown	below wh	ich are
		adjusted in reduction of expenditure.				
जस्व भाग		REVENUE SECTION				
अस्य माग 352-उद्योग		2852-Industries		(₋ \3 72		(-)3.73
ज्ञ2-उद्याग जीभाग			•••	(-)3.73		(-)3.73
	ਜੀ ਕਰਤਮੇਸ਼ਮੇਂ ਦਦ	CAPITAL SECTION 4861 Capital Outlay on Atomic Energy Industries		/ \400.00		()400 00
361-परमाणु ऊर जी परिव्यय	जा उद्यागा पर	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries		(-)180.28		(-)180.28
		Total (Supplementary)		-184.01		-184.01
र पूरक अन्दाने	ने निम्नलिखित हेतु ३	भपेक्षित है:	The supplementary Grants are	required for:		
5)	परमाणु ऊर्जा विभा	ग (डीएई) सचिवालय को सामान्य सहायता अनुदान हेतु	(a) meeting addition	al expenditure tow	ards Grant	in aid General to
		करने के लिए (₹ 0.42 करोड़)।	DAE Secretariat			
		ग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		unt the savings ava		e same section o
	अनुदान मांगा जाता			n supplementary is		
		गएफसी) हेतु ₹ 200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के		al expenditure of F	Rs 200 cro	re towards impor
	लिए। इसमें नकद व्यय हो		of Fuel (NFC).			
				diture will entail a		

meeting additional expenditure towards (i) payment of arrears

(i) यूसीआईएल (एनएफसी) के बकाया का भुगतान (₹ 100 करोड़) (ii) (c)

(ग)

नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) के प्रचालनगत व्यय (गैर-वेतन) (₹ 70 करोड़) और (iii) भाभा परमाणु अनु संधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (गैर-वेतन) (₹ 29 करोड़), नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) (₹ 26.18 करोड़) नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) (₹ 58.41 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 3.73 करोड़ की अनुरूपी वस्िलयों ₹ 8.20 करोड़ की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 170 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ঘ)

(ङ)

(핍)

(i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 80 करोड़), राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरसीएटी) (₹ 23.78 करोड़) और परमाणु खिनज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (एएमडीईआर) (₹ 5.63 करोड़) के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए (ii) सहायता प्राप्त संस्थानों को (₹ 50 करोड़) और एईईएस को वेतन सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) और (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 0.07 करोड़) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) (₹ 0.02 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए प्रचालनगत व्यय (वेतन-भिन्न) (₹ 94.92 करोड़) पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 35.41 करोड़ की अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 130 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(i) फीड स्टॉक (₹ 177 करोड़) और भारी जल उत्पादन सुविधा (₹ 3.28 करोड़) (ii) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान महानिदेशालय (एएमडीईआर) (₹ 0.65 करोड़) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 2.84 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹ 2.10 करोड़) और (iv) भारी जल उत्पादन सुविधा (₹ 33.17 करोड़) हेत् प्रचालन व्यय (वेतन-भिन्न) पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान में उपलब्ध ₹ 180.28 करोड़ की अनुरूपी वस््लियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(i) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी और उपकरण (₹ 13.62 करोड़) (ii) निर्माण, सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम) (₹ 25 करोड़) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (₹ 60 करोड़) हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। to UCIL (NFC) (₹ 100 crore) and operational expenditure (non-salary) of Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 70 crore) (iii) operational expenditure (non-salary) for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 29 crore), Nuclear Recycle Board(NRB) (₹ 26.18 crore) and Nuclear Fuel Complex(NFC) (₹ 58.41 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, matching recoveries of \mathfrak{F} 3.73 crore and receipts of \mathfrak{F} 8.20 crore available in this grant, this will entail a cash outgo of \mathfrak{F} 170 crore.

meeting operational expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 80 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT) (₹ 23.78 crore) and Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research(AMDER) (₹ 5.63 crore) (ii) Grant in aid Salary to Aided Institutes (₹ 50 crore) and to AEES (₹ 6 crore) and (iii) Grant in aid General to Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 0.07 crore) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (₹ 0.02crore) and (iv) for meeting operational expenditure (nonsalary) for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 94.92 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant and matching Receipts of ₹ 35.41 crore in the grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 130 crore. meeting 1. additional expenditure towards (i) Feed Stock (₹ 177 crore and Heavy Water Production Facility (₹ 3.28 crore) (ii) Machinery and Equipments for Atomic Mineral Directorate for Exploration & Research(AMDER) (₹ 0.65 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 2.84 crore) (iii) Major Works for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 2.10 crore) and 2. operational expenditure (non salary) for Heavy

Taking into account the savings available in the same section of the grant and matching recoveries of ₹ 180.28 available in the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Water Production Facility (₹ 33.17 crore) .

meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipments for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (T 13.62 crore) (ii) Major Works for Directorate of Constructions, Service and Estate Management (DCSEM) (T 25 crore) and DAE R&D Projects (T 60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(₹ कराड़		ाड़) (In र crores	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2445.55		2445.55	
प्ंजी	Capital		0.21		0.21	
जोड़	Total	***	2445.76		2445.76	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		0.02		0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.04		0.04	
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.04		0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2445.82		2445.82	
राजस्व	Revenue		2445.61		2445.61	
प्ंजी	Capital	***	0.21		0.21	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	ति दिखाया जायेगाः				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ajor Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(क a)	0.01	
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ਬd)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04	

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

यह पूरक अनुदान निम्नालाखत हतु अपादात

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन" (₹ 5.37 करोड़) (2) "केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद" (₹ 0.25 करोड़) (3) "अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान" (₹ 7.55 करोड़) (4) "केंद्रीय होम्योपैथी परिषद" (₹ 0.25 करोड़) (5) "आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान" (₹ 1.50 करोड़) (6) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान" (₹ 6 करोड़) (7) "केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद" (₹ 5.19 करोड़) (8) "राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान" (₹ 8.11 करोड़) (9) "केंद्रीय होम्योपैथी अन् संधान परिषद" (₹ 3.50 करोड़) (10) "राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान" (₹ 5.72 करोड़) (11) "केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अन् संधान परिषद" (₹ 4.50 करोड़) (12) "राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान" (₹ 2.50 करोड़) (13) "केंद्रीय सिद्ध अनु संधान परिषद" (₹ 2.75 करोड़) (14) "राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस)" स्कीम के अतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.68 करोड़) (15) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अन् संधान परिषद" (₹ 2 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और (iii) (1) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 25.50 करोड़) (2) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 22.50 करोड़) (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 3 करोड़) (4) राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान (₹ 25 करोड़) (5) केंद्रीय होम्योपेथी अनुसंधान परिषद (₹ 4.50 करोड़) (6) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (₹ 10 करोड़) (7) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद (₹ 20 करोड़) तथा (8) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) (₹ 0.45 करोड़) (iii) एनआईएफ से जीबीएस को निधि के अंतरण के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.65 करोड़)। [एनएएम के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना (सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)]

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid-General under the scheme (1) Promotion of International Cooperation ₹ 5.37 crore, (2) Central Council for Indian Medicine (₹ 0.25 crore), (3) All India Institute of Ayurveda (₹ 7.55 crore), (4) Central Council for Homeopathy (₹ 0.25 crore), (5) Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda(₹ 1.50 crore), (6) National Institute of Ayurveda (₹ 6 crore), (7)Central Council for Research in Ayurveda Science (₹ 5.19 crore), (8) National Institute of Homeopathy (₹ 8.11 crore), (9) Central Council for Research in Homeopathy (₹ 3.50 crore), (10) National Institute of Unani Medicin(₹ 5.72 crore), (11) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 4.50 crore), (12) National Institute of Siddha (₹ 2.50 crore), (13) Central Council for Research in Siddha (₹ 2.75 crore), (14) National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 10.68 crore) and (15) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (₹ 2 crore). (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme (1) All India Institute of Ayurveda (₹ 25.50 crore), (2) National Institute of Ayurveda (₹ 22.50 crore), (3) Central Council for Research in Ayurveda Science (₹ 3 crore), (4) National Institute of Homeopathy (₹ 25 crore), (5) Central Council for Research in Homeopathy (₹ 4.50 crore), (6) National Institute of Siddha(₹ 10 crores), (7) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy(₹ 20 crores) and (8) National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 0.45 crores). (iii) Professional Services under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS)(₹ 0.65 crores) due to transfer of funds from NIF to GBS [Opening of new head of account under NAM (Gross Budgetary Support (GBS)].

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) एनआईएफ से जीबीएस को निधियों के अंतरण, एनएएम (सकल बजटीय सहायता) (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना की वजह से (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.82 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएएम (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत प्ंजीगत आस्तियों के सुजन हेतु अनुदान (₹ 25.39 करोड़)।

(ग)

(ঘ)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण, एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण, एनएएम (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के परिणामस्वरूप व्यय को नियमित करने हेतु (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 277.70 करोड़) एससीएसपी (₹ 22 करोड़), टीएसपी (₹ 10 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 148.43 करोड़) [एससीएसपी (₹ 20 करोड़ तथा टीएसपी (₹ 12 करोड़)]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

एनआईएफ से जीबीएस में निधियों के अंतरण, एनएएम (जीबीएस) के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलने के फलस्वरूप (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.10 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (जीबीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 1.28 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

[Due to transfer funds from NIF to GBS, opening of new head of account under NAM (GBS)]. (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 21.82 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM)(GBS) (₹ 25.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component, due to transfer of funds from NIF to GBS, opening of new head under NAM (GBS) (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 277.70 crore) SCSP (₹ 22 crore), TSP (₹ 10 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (₹ 148.43 crore) [SCSP (₹ 20 crore) and TSP (₹ 12 crore)].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

[Due to transfer of funds from NIF to GBS, opening of new head of accounts under NAM (GBS)] (i) Grants-in-aid-General under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (\mathfrak{T} 1.10 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (GBS) (\mathfrak{T} 1.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़) (In ₹	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	263.65	263.65
पूंजी	Capital		•••	
जोड़	Total		263.65	263.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		106.53	106.53
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		106.53	106.53
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		370.18	370.18
राजस्व	Revenue		370.18	370.18
प्ंजी	Capital			
	II. इस प्र्क अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखार	पा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the foll	owing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		106.53	106.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) की देनदारियों का भुगतान करने के लिए (₹ 100 करोड़) (ii) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि और न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए (₹ 6.53 करोड़) और (iii) वाराणसी में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) की स्थापना (₹ 1.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 106.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) making payment of liabilities of Assam Gas Cracker Project (AGCP)(₹ 100 crore), (ii) making payment to ex-gratia to Bhopal Gas Victims & Salary for Judicial Officers(₹ 6.53 crore) and (iii) setting up of Central Institute for Plastic Engineering & Technology (CIPET) Centre at Varanasi(₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 106.53 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 83514.95 83514.95 Revenue पूंजी Capital 0.05 जोड 83515.00 83515.00 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड 0.01 0.01 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 83515.01 83515.01 ... राजस्व 83514.96 83514.96 Revenue पूंजी Capital 0.05 0.05 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401-कृषि कार्य 2401-Crop Husbandry 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पोषण आधारित सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत सिटी कम्पोस्ट के लिए भुगतान (₹ 1.85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

payment for City Compost under Nutrient Based Subsidy scheme(₹ 1.85 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(7	97(15)	(III X CTO
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व ।	Revenue		230.45		230.45
र् ग्जी	Capital		5.06		5.06
गोड़	Total		235.51		235.51
रूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
गजस्व	Revenue				
् जी	Capital		160.00		160.00
गेड़	Total	•••	160.00		160.00
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue	***	0.01		0.01
<u> </u>	Capital		168.12		168.12
गोड़	Total		168.13		168.13
गोड़ (मूल और प् रक)	Total (Original plus Supplementary)		563.64		563.64
ाजस्व	Revenue		230.46		230.46
<u>र्</u> जी	Capital		333.18		333.18
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	वाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	following Major He	ead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries		168.12	(खb)	168.12
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		168.13		168.13

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
 (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) (₹ 10.00 करोड़) और (ii) एनआईपीईआर तथा जन औषधि योजना के अनुसूचित जाति विशेष घटक और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए नया लेखा शीर्ष खोलना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक फूक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय औषध एवं भेषज लि. (आईडीपीएल), राजस्थान औषध एवं भेषज लि. (आरडीपीएल) और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक लि. (एचएएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भुगतान नहीं किए गए/ वीआरएस देयताओं का भुगतान (₹ 168.12 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 166.82 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research(NIPERs) (₹ 10.00 crore) and (ii) opening of new heads of account for Special Component for Scheduled Caste(SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) for NIPER and Jan Aushadhi Schemes.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

payment of employee's liabilities of unpaid salary/Voluntary Retirement Scheme(VRS) of Public Sector Undertakings(PSUs) of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) as approved by Cabinet(₹ 168.12 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 166.82 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 471)	ş / (III X CIOIE.	3/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4474.99	4474.99	
पूंजी	Capital	***	25.01	25.01	
जोड़	Total	•••	4500.00	4500.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		4500.02	4500.02	
राजस्व	Revenue		4475.01	4475.01	
पूंजी	Capital		25.01	25.01	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कौशल विकास के लिए नागर विमानन सेक्टर में संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.05 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development ($\overline{\mathbf{c}}$ 0.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र करा	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1159.05	1159.05
पूंजी	Capital			
जोड़ जोड़	Total		1159.05	1159.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1159.06	1159.06
राजस्व	Revenue		1159.06	1159.06
प्ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "कोयला खान में संरक्षण एवं सुरक्षा" स्कीम की जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.11 करोड़) और अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.11 करोड़)। (ii) कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास स्कीम की जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.71 करोड़) और अनसूचित जनजाति उप-योजना के अंतर्गत (₹ 0.71 करोड़) के सिर्धित व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on subsidies (i) under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.11 crore) and under Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.11 crore) of scheme "Conservation and Safety in Coal Mines" (ii) under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.71 crore) and under Scheduled Caste Sub Plan (₹ 0.71 crore) of scheme "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores,

			(₹	करोड़)	(In ₹ crore	:5)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.01	5709.31		5709.32	
पूंजी	Capital		510.00		510.00	
जोड़	Total	0.01	6219.31		6219.32	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	0.02	218.03		218.05	
पूंजी	Capital		65.00		65.00	
जोड़	Total	0.02	283.03		283.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	0.47	150.97		151.44	
पूंजी	Capital		344.97		344.97	
जोड़	Total	0.47	495.94		496.41	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6998.28		6998.78	
राजस्व	Revenue	0.50	6078.31		6078.81	
प्ंजी	Capital	•••	919.97		919.97	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acco		the following Major I	Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.47	(क a)		0.47	
2407-पौधरोपण	2407-Plantations		75.97	(खb)	75.97	
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion		75.00	(गc)	75.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.47	150.97		151.44	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
5465-सामान्य वितीय और व्यापारिक संस्थानों	5465-Investments in General Financial and Trading		344.97	(घd)	344.97	
में निवेश	Institutions					
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)	0.47	495.94		496.41	

(a)

(b)

यह पूरक अन्दाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) 'सचिवालय' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों (₹ 0.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिव्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) निम्निलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए: 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड), वेतन सहायता अनुदान (8 करोड), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5 करोड) और सिल्सिडियां (₹ 21.14 करोड़) (ii) 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.29 करोड), वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.24 करोड़) और सिल्सिडियां (₹ 7.46 करोड़) (iii) 'रबड़ बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 48.80 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1 करोड) (iv) 'मसाला बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड), वेतन सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) और सिल्सिडियां (₹ 2 करोड़)

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 75.97 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) निम्निलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिएः (i) 'कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 10 करोड), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़), और सब्सिडियां (₹ 15.21 करोड़) (iii) 'शुल्क

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Meeting expenditure towards: Other charges (₹ 0.47 crore) under the scheme 'Secretariat'.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 3.50 crore), GIA Salary (₹ 8.00 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) and Subsidies (₹ 21.14 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) GIA General (₹ 4.29 crore), GIA Salary (₹ 21.24 crore) and Subsidies (₹ 7.46 crore) under the scheme 'Coffee Board", (iii) GIA General (₹ 21.00 crore), GIA Salary (₹ 48.80 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Rubber Board', (iv) GIA General (₹ 4.00 crore), GIA Salary (₹ 7.00 crore) and Subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Spices Board'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 75.97 crore.

Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Agriculture Product Export Development Authority (APEDA)', (ii) GIA General (₹ 5.00 crore) and Subsidies (₹ 15.21 crore) under the scheme 'Marine Product

(d)

वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 150.55 करोड़) (iv) 'रत्न और आभूषण क्षेत्र' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5 करोड़), (v) 'निर्यात स्कीमों के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 35 करोड़), (vi) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50 करोड़), (vii) 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 0.01 करोड़), अन्य प्रभार (₹ 0.01 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 75 करोड़ का नकद व्यय होगा।

निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिएः (i) 'ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) में निवेश' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 300 करोड़) और (ii) भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम (₹ 44.97 करोड़)।

(ঘ)

₹ 44.97 करोड़ की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 300 करोड़ का नकद व्यय होगा। Export Development Authority (MPEDA)′, (iii) Subsidies (₹ 150.55 crore) under the scheme 'Duty Draw Back', (iv) Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Gem & Jewellery Sector, (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 35.00 crore) under the scheme 'Trade Infrastructure for Export Schemes (TIES)′, (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' (vii) Subsidies (₹ 0.01 crore), other charges (₹ 0.01 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Implementation of Agriculture Export Policy'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 75.00 crore

Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 300 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)' and (ii) Issue of Bonus Shares by Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC) (₹ 44.97 crore).

Taking into account the receipts of ₹ 44.97 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 300 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 11

औदयोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 11 of the First Supplementary

Demands	for Grants for the year 20°	19-2020)					
					((₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	5001.79		5001.79
पूंजी		Capital			672.72		672.72
जोड़		Total			5674.51		5674.51
पूरक अनुदा	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ा राजस्व		Revenue		***	400.50		400.50
पूंजी		Capital		***	165.00		165.00
जोड़		Total			565.50		565.50
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am-	ount now requi	ired:			
राजस्व	, ,	Revenue			0.03		0.03
पूंजी		Capital			270.50		270.50
जोड़		Total			270.53		270.53
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6510.54		6510.54
राजस्व		Revenue			5402.32		5402.32
पूंजी		Capital			1108.22		1108.22
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलि	खित मख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be			lead		
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	Τ	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर	· क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		***	0.01	(क a)	0.01
्र 2852-उदयोग		2852-Industries			0.01	(खb)	0.01
2885-उदयो <i>ग</i>	T और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries a	nd Minerals		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)			0.03		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
•	उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Indus	stries	***	270.50	(घd)	270.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			270.53	. ,	270.53
यह पूरक अनु	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are required for	or:		
(क)	(i) 'पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश र	Hंवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी)' स्कीम के	(a)	Meeting expenditure toward	ls: (i) Subsidie	s (₹ 100.	00 crore) under
	अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 100 करोड़)) और (ii) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम		the scheme 'North Eastern	Industrial an	d Investr	nent Promotion
	(एनईआईडीसी-2017)' स्कीम के ३	अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 1 करोड़) हेतु व्यय पूरा		Policy (NEIIPP)' and (ii) Sub	sidies (₹ 1.00	crore) un	der the scheme
	करने के लिए।			'North East Industrial Develo	opment Schem	ne (NEIDS	S-2017)'.
		बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	vings availabl	e in the s	ame section of
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supplem	nentary is sou	ght.	
(ख)	'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	(आईएलडीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य	(b)	Meeting expenditure toward	s: GIA Genera	al (₹ 124.	50 crore) under
	सहायता अनुदान (₹ 124.50 करोड़	ട)		the Scheme Indian Leather	Development I	Programn	ne (ILDP)'.

(d)

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (ग) (एनआईसीडीआईटी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 95 करोड़) तथा (ii) 'पूर्वीतर क्षेत्र एवं हिमालयी राज्यों में औदयोगिक इकाइयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 30 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के लिए।

(ঘ)

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 166.31 करोड़) और (ii) 'प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, दवारका' स्कीम के अंतर्गत निवेश (₹ 154.31 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 20.50 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें ₹ 250 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 5.00 crore) & Grants for Creation of Capital Assets (₹ 95.00 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)' and (ii) Subsidies (₹ 30.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Investment (₹ 166.31 crore) under the scheme 'Fund of Funds' and (ii) Investment (₹ 154.31 crore) under the scheme 'Exhibition-Cum-Convention Centre, Dwarka'.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.50 crore available in the Revenue Section of the Grant and after utilizing the savings with in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 250.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ 478)	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	30411.20	30412.00
पूंजी	Capital		947.74	947.74
जोड़	Total	0.80	31358.94	31359.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		1303.87	1303.87
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	1303.87	1303.87
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	32662.81	32663.61
राजस्व	Revenue	0.80	31715.07	31715.87
पूंजी	Capital		947.74	947.74
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ead:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services		1303.87	1303.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन ($\overline{\tau}$ 1,135.86 करोड़), पेंशन ($\overline{\tau}$ 128.90 करोड़) मजदूरी तथा अन्य प्रयोजनमूलक आवश्यकताओं ($\overline{\tau}$ 39.11 करोड़) पर संस्थापना व्यय के लिए $\overline{\tau}$ 1,303.87 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1,099.39 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional requirement of \mathfrak{T} 1,303.87 crore towards establishment expenses on salary (\mathfrak{T} 1,135.86 crore), Pension (\mathfrak{T} 128.90 crore), wages and other functional requirement (\mathfrak{T} 39.11 crore).

Taking into account the savings available in the capital section of the grant, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 1,099.39 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14-15 देखिये)

(See page 14-15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(<i>र</i> करा	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		30693.64	30693.64
पूंजी	Capital		9719.72	9719.72
जोड़	Total		40413.36	40413.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***		***
प् ंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
<u>र्</u> ची	Capital			
नोड़	Total		0.01	0.01
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		40413.37	40413.37
गजस्व	Revenue		30693.65	30693.65
ग ूंजी	Capital		9719.72	9719.72
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		ead:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
नु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने हेतु ₹ 5,000 करोड़ तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्योन्वयन के लिए ₹ 527.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए। अनुदान इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 5,000 crore for payment of ex-gratia to the employees opting for voluntary retirement scheme and ₹ 527.71 crore towards implementation of voluntary retirement scheme in BSNL/MTNL. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought;

This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 4/1/	\$ / (III \ CI OI C3)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2240.32	2240.32
पूंजी	Capital		51.50	51.50
जोड़	Total		2291.82	2291.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2291.84	2291.84
राजस्व	Revenue		2240.34	2240.34
पूंजी	Capital		51.50	51.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General to Indian Institute of Public Administration under the scheme of Integrated Consumer Grievances Redressal System (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17-18 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 17-18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 9	(1) (11) ((10) (3)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		190914.27	190914.27
पूंजी	Capital		51326.12	51326.12
जोड़	Total	•••	242240.39	242240.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total	0.01	0.03	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	242240.43	242240.44
राजस्व	Revenue	0.01	190914.29	190914.30
प्ंजी	Capital		51326.14	51326.14
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	5 अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद हेतु राज्यों को अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी प्रदान करना (₹ 508.35 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक फूक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Providing additional Food Subsidy to States for Decentralized Procurement of Foodgrains under National Food Security Act (₹ 508.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 16

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1	(97 <i>(15)</i>	III & CIOLES	/	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		570.34		570.34		
पूंजी	Capital	•••	41.00		41.00		
जोड़	Total	•••	611.34		611.34		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue	***	12.85		12.85		
पूंजी	Capital	***					
जोड़	Total		12.85		12.85		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:					
राजस्व	Revenue		15.65		15.65		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total		15.65		15.65		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		639.84		639.84		
राजस्व	Revenue		598.84		598.84		
प्ंजी	Capital		41.00		41.00		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
- 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		3.33	(क a)	3.33		
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	•••	12.32	(खb)	12.32		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		15.65		15.65		

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विभिन्न स्थानों यथा अमरावती, इंदौर, इलाहाबाद में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण पीठ की स्थापना के लिए किराए के कार्यालयों के नवीकरण, नई दिल्ली स्थित एमटीएनएल भवन हेतु लघु निर्माण कार्यों, ब्लॉक 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, 8वां तल का एचटी हाउस, नई दिल्ली के नवीकरण और आरओसी देहरादून के लिए किराए पर ली गई जगह के नवीकरण के लिए (₹ 3 करोड़) (ii) एमसीए-21 परियोजना के चरण-॥ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी,सीसीएन एन के माध्यम से ई-फार्म में परिवर्तन और एमसीए-21 वी2 परियोजना के तहत अलग-अलग जगहों पर नेटवर्क संपर्कता बदलने के लिए (₹ 0.33 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिव्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.42 करोड़), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को सहायता अनुदान (₹ 0.70 करोड़), स्थापना संबंधी व्यय हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (₹ 10.20 करोड़)।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिव्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(i) minor works towards renovation of hired offices for setting up of National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal Benches at various places viz. Amravati, Indore, Allahabad, MTNL Building at New Delhi, Renovation of Block 12 CGO Complex, New Delhi, 8th floor, HT House, New Delhi and renovation of space hired for ROC Dehradun (₹ 3 crore). (ii) Information Technology for Phase-II MCA21 Project, Changes in eForm through CCNs and Shifting of network connectivity at different location under MCA21 v2 project (₹ 0.33 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants-in-Aid General for Insolvency and Bankruptcy Board of India (₹ 1.42 Crore), Grants-in-Aid to Indian Institute of Corporate Affairs (₹ 0.70 crore), National Company Law Tribunal towards establishment related expenses (₹ 10.20 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 2953.21 2953.21 पूंजी Capital 89.14 89.14 जोड़ 3042.35 Total 3042.35 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड Total 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital जोड़ Total 0.02 0.02 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3042.39 3042.39 ... 2953.24 राजस्व Revenue 2953.24 पूंजी 89.15 89.15 Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों (₹ 3 करोड़) (2) जनजातीय उपयोजना (₹ 0.10 करोड़) और (3) अनुदानग्राही निकाय (₹ 3.07 करोड़) और (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारक स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.35 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अनुदानग्राही निकायों के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थाओं और स्मारकों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.49 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants in aid General under the scheme (1) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3 crore) (2) Tribal Sub Plan (₹ 0.10 crore) and (3) Grantee Bodies (₹ 3.07 crore) and (ii) Grant in Aid Salaries under the scheme Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 3.35 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

Grants in aid General for Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.49 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (नागरिक) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(ঘ)

(량)

अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

जम्मू एवं काश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री के स्थापना व्यय के अंतर्गत ₹ 124.68 करोड़

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21-22 देखिये) (See page 21-22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 27270.00 27270.66 Revenue 0.66 पूंजी Capital 35.00 6932 85 6967 85 जोड 35.66 34202.85 34238.51 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.07 2218.81 2218.88 पूंजी 259.20 Capital 5.00 254.20 जोड़ Total 5.07 2473.01 2478.08 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 40.73 36675.86 36716.59 राजस्व 29488.81 29489.54 Revenue 0.73 पूंजी 7187.05 7227.05 Capital 40.00 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 0.05 700.28 (खb) 700.33 (कa) 2037-सीमा शुल्क 2037-Customs 90.80 0.02 (गc) 90.78 (घd) 2055-पुलिस 2055-Police 124 68 124.68 (ङe) 2059-लोक निर्माण कार्य 2059-Public Works 0.23 (चf) 0.23 2075-विविध सामान्य सेवाएं 2075-Miscellaneous General Services 1247.84 1247.84 (छg) 3054-सड़क और पुल 3054-Roads and Bridges 45.00 (जh) 45.00 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 10.00 10.00 (**झi**) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.07 2218.81 2218.88 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD -4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर प्रंजी 4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services 100.00 5.00 (टi) 95.00 (ਨk) परिव्यय 5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 159 20 (릸) 159 20 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 5.00 254.20 259.20 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 5.07 2473.01 2478.08 यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants/Appropriations are required for: रक्षा लेखा विभाग में न्यायिक आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 0.05 करोड़ के (क) meeting additional expenditure of ₹ 0.05 crore arising out of (a) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। court decrees in Defence Accounts Department. The above expenditure will entail cash outgo; रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, सीमा सड़क संगठन, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा (ख) (b) meeting additional expenditure of ₹ 633.87 crore under various संपदा संगठन के विभिन्न स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत ₹ 633.87 करोड़ के establishment related heads for Department of Defence, अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत Department of Defence Productions, Border Roads कैन्टोनमेंट बोर्ड को ₹ 64.45 करोड़ का अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान Organisation, Defence Accounts Department, Defence Estates देने, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को ₹ 1.96 करोड़ का अतिरिक्त Organisation; additional grants-in-aid general of ₹ 64.45 crore सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए। अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते to Cantonment Boards under Defence Estates Organization; हू ए इसमें ₹ 695.12 करोड़ का नकद व्यय होगा। additional grants-in-aid general of ₹ 1.96 crore to Institute of Defence Studies and Analysis. Taking into account additional receipts, this will entail ₹ 695.12 crore as cash outgo: तट रक्षक संगठन में न्यायिक आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 0.02 करोड़ का व्यय (ग) meeting expenditure of ₹ 0.02 crore arising out of court decrees (c) पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। in Coast Guard Organisation. The above expenditure will entail a cash outgo: तट रक्षक संगठन के स्थापना से संबंधित शीर्ष के अंतर्गत ₹ 90.78 करोड़ का

(d)

(e)

meeting additional expenditure of ₹ 90.78 crore under

establishment related heads of Coast Guard Organisation. This

meeting additional expenditure of ₹ 124.68 crore under

establishment expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry.

will entail cash outgo;

This will entail cash outgo:

(k)

- (च) कार्यालय भवन के अनुरक्षण एवं मरम्मत के तहत ₹ 0.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (छ) "आप्तिं एवं सामग्री", "सामान्य सहायता अनुदान" और स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत मुख्यत: कैन्टिन भण्डार विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। ₹ 1,247.84 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हु ए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ज) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में ₹ 10 करोड़ अतिरिक्त अंतरण के लिए और ₹ 2 करोड़ अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने और सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण कार्य के लिए ₹ 33 करोड़ की पूंजीगत आस्ति के स्ज़न के लिए अनुदानको पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (झ) कार्यनीतिक सड़कों के लिए राज्य सरकारों को ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने के लिए। अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ट) तट रक्षक संगठन द्वारा मध्यस्थता पंचाट के कारण उत्पन्न ₹ 5 करोड़ का भृगतान। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ठ) जलपोतों, वायुयान और जहाजी बेड़ों के प्रापण के लिए ₹ 80 करोड़ और भूमि अधिग्रहण ₹ 15 करोड़ के तहत कुल ₹ 95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (इ) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अतिरिक्त अंतरण के तहत ₹ 136.64 करोड़ और सीमा सड़कों के निर्माण पर ₹ 31.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, ₹ 159.20 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। अतिरिक्त वस्तियों पर विचार करते हु ए, इसमें ₹ 22.56 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- meeting additional expenditure of ${\mathfrak T}$ 0.23 crore towards maintenance & repairs of office buildings. This will entail cash outgo;
- meeting additional expenditure of Canteen Stores Department (₹ 1,247.84 crore), mainly under 'Supplies and Materials', 'grants in aid general' and establishment related expenditure. Taking into account the additional receipt of ₹ 1,253 crore, this will not entail cash outgo;
- meeting additional transfer of \mathfrak{T} 10 crore to Central Road and Infrastructure Fund and for providing additional Grants in aid General of \mathfrak{T} 2 crore and Grants for creation of Capital assets of \mathfrak{T} 33 crore for Road works of Border Roads Organisation. The above expenditure will entail a cash outgo;
- providing additional grants of ₹ 10 crore to State Governments for strategic roads. Taking into account the additional recoveries, this will not entail cash outgo;
- payment of ₹ 5 crore arising out of arbitration awards, by Coast Guard Organisation. This will entail cash outgo;
- additional expenditure of ₹ 95 crore towards acquisition of Ships, Aircraft and Fleets (₹ 80 crore) and land acquisition (₹ 15 crore). This will entail cash outgo; and
- meeting additional expenditure of $\ref{thmoson}$ 136.64 crore towards additional transfers to Central Road and Infrastructure Fund and $\ref{thmoson}$ 31.50 crore on construction of border roads. After taking into account the savings available within the same section of the grant, supplementary for the balance amount of $\ref{thmoson}$ 159.20 crore is sought. Considering the additional recoveries, this will entail $\ref{thmoson}$ 22.56 crore as cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत ज़ॉद Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 102.92 222254.47 222357.39 पूंजी Capital जोड 222254.47 102 92 222357.39 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 2000.00 2000.00 Revenue पूंजी Capital जोड Total 2000.00 2000.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 2.33 1997.67 2000.00 पूंजी Capital जोड 2000.00 Total 2.33 1997.67 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 105.25 226252.14 226357.39 राजस्व Revenue 105.25 226252.14 226357.39 पूंजी II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना 2076-Defence Services - Army 605.39 (**क**a) 605.39 2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना 2077-Defence Services - Navy 475.74 (खb) 475.74 2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना 2078-Defence Services - Air Force 0.80 (गc) 447.66 (घd) 448.46 2080-रक्षा सेवाएं- अनु संधान और विकास 2080-Defence Services - Research and Development 468.88 (**च**f) 470.41 1.53 (ङe) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 2.33 1997.67 2000.00

(b)

(c)

(d)

यह परक अनदाने/विनियोग निम्निल	त्रेखित हेत	अपेक्षित है

(ग)

(क) 'सेना के वेतन और भते' (₹ 126.62 करोड़), 'संबद्ध बलों के वेतन और भते' (₹ 60 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भते' (₹ 100 करोड़), 'पिवहन' (₹ 500 करोड़), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (₹ 1591.03 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 373.56 करोड़), 'राष्ट्रीय राइफल्स' (₹ 179.72 करोड़), 'राष्ट्रीय केंडेट कोर' (₹ 11.80 करोड़), 'अन्य व्यय' (₹ 0.01 करोड़) तथा 'निरीक्षण-गुणवता आश्वासन महानिदेशक' (₹ 84 करोड़) पर ₹ 3,026.74 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 605.39 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) 'नौसेना के वेतन और भते' (₹ 3.80 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भते' (₹ 94.93 करोड़), 'मरम्मत और पुनर्सज्जा' (₹ 373.85 करोड़), 'भंडार' (₹ 71.83 करोड़) तथा 'संयुक्त स्टॉफ' (₹ 89.72 करोड़) पर ₹ 634.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 475.74 करोड़ का नकद व्यय होगा।

वायुसेना के लिए 'वायुसेना के वेतन और भते' (₹ 1.09 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 0.25 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न ₹ 2.34 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, ₹ 0.80 करोड़ का पूरक अनुदानमांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) 'वायुसेना के वेतन और भते' (₹ 178.91 करोड़), 'पिवहन' (₹ 128.37 करोड़), 'भंडार' (₹ 245.35 करोड़), 'विशेष परियोजना' (₹ 0.11 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 25.17 करोड़) पर ₹ 577.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure of ₹ 3,026.74 crore on pay and allowances of Army (₹ 126.62 crore), 'Pay and Allowances of Auxilary Forces' (₹ 60 crore), 'Pay and Allowances of Civilians' (₹ 100 crore), 'transportation' (₹ 500 crore), 'Ex-servicemen Contributory Health Scheme' (₹ 1,591.03 crore), 'works' (₹ 373.56 crore), 'Rashtriya Rifles' (₹ 179.72 crore), 'National Cadet Corps' (₹ 11.80 crore), 'other expenditure' (₹ 0.01 crore) and 'Inspection-Director General Quality Assurance' (₹ 84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 605.39 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 634.13 crore on 'Pay and Allowances' of Navy (₹ 3.80 crore), 'Pay & Allowances' of Civilians (₹ 94.93 crore), 'repairs & refits' (₹ 373.85 crore), 'stores' (₹ 71.83 crore), and 'Joint Staff' (₹ 89.72 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail cash out go of ₹ 475.74 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 2.34 crore arising out of court cases under 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 1.09 crore), 'works' (₹ 0.25 crore) and 'other expenditure' (₹ 1 crore) for Air Force.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for ₹ 0.80 crore is sought. This will entail cash out go.

meeting additional expenditure of ₹ 577.91 crore on 'Pay and Allowances' of Air Force (₹ 178.91 crore), 'transportation' (₹ 128.37 crore), 'stores' (₹ 245.35 crore), 'special project' (₹ 0.11 crore) and 'other expenditure' (₹ 25.17 crore).

(f)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 447.66 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ङ) 'नागरिकों के वेतन और भते' (₹ 1.68 करोड़) तथा अनु संधान और विकास के 'निर्माण कार्य' (₹ 0.03 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय मामलों के कारण उत्पन्न ₹ 1.71 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 1.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(च) 'प्रशिक्षण' (₹ 1 करोड़), 'अनु संधान' (₹ 151.90 करोड़), 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (₹ 157.57 करोड़), 'भंडार' (₹ 139.50 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹ 18.34 करोड़) के अंतर्गत रक्षा अनु संधान और विकास संगठन के ₹ 468.91 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 468.88 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 447.66 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 1.71 crore arising out of court cases under 'pay and allowances of civilians' (₹ 1.68 crore) and 'works' (₹ 0.03 crore) of Research and Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 1.53 crore.

meeting additional expenditure of ₹ 468.91 crore for Defence Research and Development Organisation under 'training' (₹ 1 crore), 'research'(₹ 151.90 crore), 'Pay and Allowances of Civilians' (₹ 157.57 crore), 'stores' (₹ 139.50 crore), and 'other expenditure' (₹ 18.34 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 468.88 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

Demands for Grants for the year 2	(019-2020)					
					(₹ करॉड़	t) (In ₹ crores)
		भारित		स्वीकृत		ऒड़
		Charged		Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	83.35		103310.96		103394.31
जोड़	Total	<i>83.35</i>		103310.96		103394.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital			0.01		0.01
जोड़	Total			0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:				
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	11.55		6988.45		7000.00
जोड़	Total	<i>11.55</i>		6988.45		7000.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	94.90		110299.42		110394.32
राजस्व	Revenue					•••
पूंजी	Capital	94.90		110299.42		110394.32
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखाया जायेग	П:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be			wing Major H	leads:	
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION	-				
्र मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	11.55	(कa)	6988.45	(खb)	7000.00
~	• •		. ,		. ,	

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सेना के लिए (i) 'निर्माण कार्य ' ₹ 6 करोड़, (ii) वायु सेना के लिए 'भूमि' (₹ 5 करोड़), 'निर्माण कार्य ' (Rs 1.80 करोड़), (iii) रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीन और उपकरण ' (₹ 3.45 करोड़) और (iv) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए 'निर्माण कार्य ' (₹ 15 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय के मामले के कारण उत्पन्न ₹ 31.25 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 11.55 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय

(ख) (i) सेना के लिए 'वायुयान एवं वायुइंजन' (₹ 121.99 करोड़), 'अन्य उपकरण '(₹ 154.51 करोड़ और 'राष्ट्रीय कैडेट कोर' (₹ 25करोड़) पर ₹ 301.51 करोड़, (ii) नौसेना के लिए 'अन्य उपकरण ' (₹ 100 करोड़), 'नौसेना बेड़ा' (₹ 2,001.99 करोड़) और 'नौसेना गोदी ' (₹ 967 करोड़) के अंतर्गत ₹ 3,068.99 करोड़ (iii) वायुसेना के लिए 'अन्य उपकरण ' (₹ 8,427.38 करोड़) और 'निर्माण कार्य' (₹ 523.20 करोड़) पर ₹ 8,950.58 करोड़ (iv)रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'मशीनरी और उपकरण' पर ₹ 8.55 करोड़ (v) गुणवता आश्वासन महानिदेशक के लिए निरीक्षण संबंधी 'कार्यों ' पर ₹ 5 करोड़ (vi) प्रीद्योगिकी विकास के अंतर्गत 'मेक प्रोसीजर ऑफ एयर फोर्स' पर ₹ 33.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए ₹ 6,988.45 करोड़ की शेष राशि के लिए पूर्क अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure of ₹ 31.25 crore arising out of court cases under (i) 'works' (₹ 6 crore) for Army; (ii) 'land' (₹ 5 crore), 'works' (Rs 1.80 crore) for Air Force; (iii) 'machine and equipments' (₹ 3.45 crore) for Defence Ordnance Factories; and (iv) 'works' (₹ 15 crore) for Defence Research and Development Organisation. Taking into account the savings available in the same section of Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 11.55 crore is sought. This will entail cash outgo.

meeting additional expenditure of (i) ₹ 301.51 crore on 'Aircraft and Areoengines' (₹ 121.99 crore), 'other equipments' (₹ 154.51 crore) and 'National Cadet Corps' (₹ 25 crore) for Army; (ii) ₹ 3,068.99 crore under 'other equipments' (₹ 100 crore) and 'Naval Fleet' (₹ 2,001.99 crore), 'Naval dockyard' (₹ 967 crore) for Navy (iii) ₹ 8,950.58 crore on 'other equipments' (₹ 8,427.38 crore) and 'works' (₹ 523.20 crore) for Air Force; (iv) ₹ 8.55 crore on 'machinery and equipments' for Defence Ordnance Factories; (v) ₹ 5 crore on 'works' of inspection for Director General Quality Assurance; (vi) ₹ 33.50 crore on 'make procedure of Air Force' under Technology Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 6,988.45 crore is sought. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 112077.11 112079.57 Revenue 2 46 पूंजी Capital जोड़ 112077.11 112079.57 Total 2.46 **SUPPLEMENTARY GRANT:** पूरक अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital जोड़ Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 3.34 5727.53 5730.87 पूंजी Capital जोड़ 5727.53 Total 3.34 5730.87 जोड़ (मूल और प्रक) 117804.64 117810.44 Total (Original plus Supplementary) 5.80 राजस्व Revenue 5.80 117804.64 117810.44 पूंजी Capital ॥. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 2071-Pensions and other Retirement Benefits 3.34 (कa) 5727.53 (खb) 5730.87

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:		
(क)	न्यायालय डिक्रियों के कारण उत्पन्न भुगतानों को पूरा करने के लिए	(a)	meeting payments arising out of Court decrees (₹ 3.34 crore);	
	(₹ 3.34 करोड़)।		and	
(ख)	मुख्य रूप से बढ़ी हुई मंहगाई राहत तथा पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ने के	(b)	meeting additional expenditure mainly on account of enhanced	
	कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5,727.53 करोड़)।		dearness relief and increase in number of pensioners	
	·		(₹ 5,727.53 crore).	
	इस प्रूक अनुदान में ₹ 5,730.87 करोड़ का नकद व्यय होगा।		This supplementary will entail ₹ 5,730.87 crore as cash outgo.	

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 2292.80 2292.80 पूंजी Capital 767.20 767.20 जोड़ 3060.00 3060.00 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 24.08 24.08 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड Total 24.09 24.09 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 पूंजी Capital 0.01 0.01जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3084.11 3084.11 2316.89 राजस्व Revenue 2316.89 पूंजी 767.22 767.22 Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 0.01 (कa) पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 6885-उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण 0.01 6885-Other Loans to Industries and Minerals 0.01 (खb) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 0.02 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के तहत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (क) providing additional allocation for Externally Aided Project

(b)

(ईएपी) के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना (₹ 12.64 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसी) को ब्याज मुक्त ऋण (ख) प्रदान करने हेत् अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए (₹ 30 करोड़)। अन्दान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

(EAP) under North East Road Sector Development Scheme (₹ 12.64 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing additional funds for Interest free loan to North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFi) (₹ 30.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

remande for Grante for the year 2.	= 3=3,	_		′₹ करॉड़) (In ₹ cr
		भारित	स्वीकृत	जौड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1765.05	1765.05
प् ंजी	Capital	***	141.00	141.00
जोड़	Total		1906.05	1906.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requir	ed:		
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1906.08	1906.08
राजस्व	Revenue	•••	1765.07	1765.07
पूंजी	Capital	•••	141.01	141.01
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षी वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted fo	r under the following Major I	Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनु संधान	3403-Oceanographic Research		0.01	(क a) 0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(i) स्वायत निकाय "राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान" (एनआईओटी) को क्रमशः अपने परिसर के रखरखाव तथा एनआईओटी के कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण और उपदान के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पस निधि सृजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 14.78 करोड़) (ii) वैज्ञानिकों और उनके कर्मचारिवृंद के बढ़े हु ए वेतन और भतों के कारण स्वायत निकाय "राष्ट्रीय धुवीय और महासागर अनुसंधान केन्द्र" (एनसीपीओआर) को वेतन सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) (iii) गहरे महासागर मिशन के अंतर्गत नए क्रियाकलापों, बहु धात्विक नोड्यूल्स (पीएमएन) परियोजनाओं के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चलयान और पर्यावरणीय प्रभाव मृत्यांकन (ईआईए) के अनुरक्षण के लिए महासागर सेवाएं प्रतिरूपण अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओएसएमएआरटी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.04 करोड़) तथा (iv) धुवीय प्रयोगशाला, कंटेनर प्रांगण के निर्माण और मौजूदा प्रयोगशाला ब्लॉक के विस्तार करने के लिए धुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फेयर (पीएसीईआर) स्कीम को पूंजीगत आस्त्वियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) उच्च निष्पादन संगणना (एचपीसी) संविदात्मक सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय और अतिरिक्त 200 जिला कृषि मौसम इकाइयों (डीएएमय्) (चरण-॥) के प्रारंभिक कार्य शुरू करने और प्रेक्षणात्मक नेटवर्क की अत्याधुनिक प्रणालियों, आईएमडी की अवसंरचना का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण (एफएमएस, एचपीसी की एएमसी हेतु एचएमएस) सहित शेष प्राधिकृतियों का भुगतान करने के लिए वायु मंडल और जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण प्रेक्षण प्रणालियां व सेवाएं (अक्रोस) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹ 15.50 करोड़) तथा (॥) अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक कांग्रेस के लिए भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (एसएजीई) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.73 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

providing additional Grant under (i) Grant-in-Aid General (₹ 1 crore) and Grant-in-Aid Salary (₹ 14.78 crore) to Autonomous Body "National Institute of Ocean Technology" (NIOT) for maintenance of NIOT campus and creation of corpus fund with LIC for leave encashment and gratuity of its employees respectively (ii) Grant-in-Aid Salary (₹ 2 crore) to Autonomous Body "National Centre for Polar and Ocean Research" (NCPOR) on account of increased pay and allowances of Scientist and its staff (iii) Grant-in-Aid General (₹ 13.04 crore) to Ocean Services Modelling Application Resources and Technology (OSMART) for new activities under Deep Ocean Mission, maintenance of MoES ship and Environmental Impact Assessment(EIA) for Poly Metallic Nodules (PMN) projects and (iv) Grant for creation of Capital Assets (₹ 12 crore) to scheme Polar Science and Cryosphere (PACER) for construction of Polar lab, container yard and extension of existing lab block.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing additional Grant under (i) Grants-in-Aid General (₹ 8 crore) and Minor Works (₹ 15.50 crore) to Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) for increased expenditure against High Performance Computing (HPC) Contractual Services and starting the preparatory work for additional 200 District Agromet Units (DAMUs) (Phase-II) and Comprehensive Annual Maintenance (AMCs)/AMCs of the state of the art systems of observational network, IMD's infrastructure and payment of pending/ ongoing AMC bills and balance authorizations along with other liabilities (FMS, HMS for AMC of HPC) respectively and (ii) Grant-in-Aid General (₹ 25.73 crore) to Seismological and Geosciences (SAGE) for International Geological Congress.

मांग संख्या DEMAND NO 24

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹	'कराड़')	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6306.00		6306.00
पूंजी	Capital		348.00		348.00
जोड़	Total		6654.00		6654.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		6654.05		6654.05
राजस्व	Revenue		6306.04		6306.04
पूंजी	Capital		348.01		348.01
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	er the following Majo	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.01	(गc)	0.01
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03
·					

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(ग)

(क) पूर्वीत्तर क्षेत्र के विकास के लिए "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेत् व्यय (र 17.80 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

निन्नलिखित के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (i) "आईटी/आटीईएस उद्योगों का संवर्धन" (₹ 20 करोड़), "सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रानिकी/ सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" (₹ 18.70 करोड़), "अनुप्रयुक्तसूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी एवं अनुसंधान सोसाइटी (समीर)" (₹ 10 करोड़) और "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम (जनजातीय उप-योजना)" (₹ 21.84 करोड़) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (ii) "इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र-सी-मेट" से संबंधित पूंजीगत आस्त्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.25 करोड़) (iii) "इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस,ईडीएफ एवं क्लस्टर विनिर्माण)" से संबंधित पेशेवर सेवाएं (₹ 1 करोड़) (iv) सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास के संबंध में अन्य प्रभार(₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

आंकड़ा केन्द्रों और क्लाउड सेवाओं के लिए "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र" के संबंध में मशीनरी और उपकरण के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting an expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 17.80 crore) in respect of "National Knowledge Network Programme" for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an expenditure towards (i) Grants-in-Aid General in respect of "Promotion of IT/ITeS Industries" (₹ 20 crore), "R&D in Information Technology/Electronics/CCBT" (₹ 18.70 crore), "Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research-SAMEER" (₹ 10 crore) and "National Knowledge Network Programme (under Tribal Sub-Plan)" (₹ 21.84 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.25 crore) in respect of "Centre for Materials for Electronic Technology-C-MET" (iii) Professional Services (₹ 1 crore) in respect of "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" (iv) Other Charges in respect of R&D in Information Technology/Electronics/CCBT" (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an expenditure (₹ 10 crore) towards Machinery & Equipment in respect of "National Informatics Centre" for Data Centres and Cloud Services.

मांग संख्या DEMAND NO 25

पर्यावरण, वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये) (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र कराड़) (In र ci	rores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2998.20	2998.20	0
पूंजी	Capital	***	64.52	64.52	2
जोड़	Total		3062.72	3062.7	2
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	0.03	0.03	3
पूंजी	Capital	0.29	0.02	0.3	1
जोड़	Total	0.29	0.05	0.3	4
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	2
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.02	0.0	2
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.29	3062.79	3063.0	8
राजस्व	Revenue		2998.25	2998.2	5
प्ंजी	Capital	0.29	64.54	64.8	3
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major I	Head		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		0.01	(क a) 0.0	1
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	***	0.01	(खb) 0.0 ⁻	1
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.0	2

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा (क) करने के लिए (₹ 1 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 7.50 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1 crore) for Indian Institute of Forest Management.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 7.50 crore) for GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development.

मांग संख्या DEMAND NO 27

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

		भारित		(र कराड़	₹) (In ₹ cr
			स्वीकृत Voted		ਗੋੜ Tetal
	LODICINAL CRANT:	Charged	voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		2044 40		2044.4
नस्व २	Revenue		3211.46		3211.46
गी -	Capital		17208.97		17208.9
इ	Total	···	20420.43		20420.4
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
नस्व •	Revenue		13.69		13.6
ी ।	Capital		33.97		33.9
5	Total		47.66		47.6
`समय आवश्यक रकम का प्र्क रुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ा स् व	Revenue		578.33		578.3
ी	Capital		7536.20		7536.2
5	Total		8114.53		8114.5
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		28582.62		28582.6
ा स् व	Revenue		3803.48		3803.4
ît e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Capital		24779.14		24779.1
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	रगया जायेगा			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th		ad		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	क्षावाज भारत भारित	_{यय} स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
ास्व भाग	REVENUE SECTION	oa.gou	70.04		
य शीर्ष	MAJOR HEAD				
५ साम '5-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		228.16	(= -0)	228.1
75-अन्य सामान्य आयक सवार 175-अन्य देशों के साथ तकनीकी		•••	350.17	(কa) (ন্দ্ৰেচ)	350.1
'आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	•••	330.17	(खb)	330.1
ह (राजस्व भाग)			570 22		578.3
	Total (Revenue Section)	•••	578.33		370.3
नी भाग — - ^ 5	CAPITAL SECTION				
य शीर्ष	MAJOR HEAD			<i>(</i>	
16-मुद्रा, सिक्का निर्माण और साल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint		2900.00	(गc)	2900.0
35-सामान्य वितीय और व्यापारिक	5465-Investments in General Financial and Trading		3753.00	(घd)	3753.0
थानों में निवेश	Institutions				
66-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में १श	5466-Investments in International Financial Institutions		858.20	(ਭ e)	858.2
10-सरकारी कर्मचारियों आदि को ग	7610-Loans to Government Servants, etc.		25.00	(चf)	25.0
इ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		7536.20		7536.2
इ (पूरक)	Total (Supplementary)		8114.53		8114.5
.,		रर्शार्ट गणी तमनियों को	भागिन नहीं किया व	ını 2 (3)	त्यम में मे
	घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do not	take into account th	e recoveries show	vn below,	which are
_	adjusted in reduction of expenditure.				
नी भाग	CAPITAL SECTION				
नी भाग	CAPITAL SECTION				
46-मुद्रा, सिक्का निर्माण और साल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint		(-)2900.00		(-)2900.0
	5465-Investments in General Financial and Trading		(-)2750.00		(-)2750.0
65-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक थानों में निवेश	Institutions		()27 00.00		()=:00:0

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

⁽क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.68 करोड़) (ii) सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 के अंतर्गत स्वर्ण प्रारक्षित निधि को अंतरण (₹ 228.16 करोड़)।

⁽i) Grants in Aid General (₹ 0.68 crore). (ii) Transfer to Gold Reserve Fund under Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹ 228.16 crore)

इसमें ₹ 228.16 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

This will entail a net cash outgo of ₹ 228.16 crore.

(d)

(e)

(f)

- (i) जीआईजेड को सेवाकर (₹ 12.00 करोड़) (ii) एग्जिम बैंक को ब्याज (ख) समकरण सहायता (₹ 373.65 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 350.17 करोड़ का नकद व्यय होगा। स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम, 2015 के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण का मूल्य (₹ 3700 (ग) अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और ₹ 2900 करोड़ की अनुरूपी वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (i) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹ 2750 करोड़) (ii) राष्ट्रीय निवेश और (ঘ) अवसंरचना निधि (₹ 1003 करोड़)। ₹ 2750 करोड़ की अनुरूपी वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1003 करोड़ का नकद व्यय होगा। (i) प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से मूल्य का अन्रक्षण (एमओवी)-(량)
- (1) प्रातिभूतिया को जारि करिश को निष्यक से सूर्य को उनुरक्षण (रिमेजाया)-आईएमएफ बाध्यता (₹ 858.02 करोड़) (ii) ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) को अभिदान- नया विकास बैंक (एनडीबी) (₹ 2220 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। मूल्य का अनुरक्षण (एमओवी)-आईएमएफ बाध्यता संबंधी व्यय प्रतिभृतियों को जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए इसमें ₹ 0.18 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) गृह निर्माण अग्रिम हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

- (i) Service Tax to GIZ (₹ 12.00 crore). (ii) Interest Equilization Support to EXIM Bank (₹ 373.65 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 350.17 crore.
- value of gold mobilized under Gold Monetization Scheme, 2015 ($\stackrel{<}{<}$ 3700 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and matching recoveries of ₹ 2900 crore, this will not entail any additional cash outgo:
- (i) Transfer to National Investment Fund (₹ 2750 crore) (ii) National Investment and Infrastructure Fund (₹ 1003 crore).
- Taking into account the matching recoveries of ₹ 2750 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 1003 crore.
- Meeting expenditure towards (i) Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation (₹ 858.02 crore) through issue of securities. (ii) Subscription to Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS)-New Development Bank (NDB) (₹ 2220 crore)
- The expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-IMF Obligation will be matched through issue of securities. Taking into account the savings within the same section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 0.18 crore.
- meeting expenditure towards House Building Advances. The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 28

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			()	(47KIŞ) (III & CIOI
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
गजस्व	Revenue		400.55		400.55
<u>र्</u> ची	Capital				
गोड़	Total		400.55		400.55
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ाजस्व	Revenue		42.33		42.33
् जी	Capital				
गोड़	Total		42.33		42.33
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		442.88		442.88
ज स् व	Revenue		442.88		442.88
् जी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ब् ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
१०७०-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(क a)	0.01
475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		42.32	(खb)	42.32
नोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	42.33	. ,	42.33

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई तथा चेन्नई के नवीकरण कार्य (₹ 1.78 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) प्रधानमंत्री-िकसान योजना तथा शास्त्री पार्क, दिल्ली तथा हैदराबाद में डाटा केन्द्रों के लिए प्रस्तावित हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की खरीद तथा पीएफएमएस के विकास केन्द्र तथा पीएफएमएस के लिए अनुप्रयोग निष्पादन निगरानी साधन हेतु (₹ 42.32 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

) renovation work of Regional Training Centers, Mumbai and Chennai (₹ 1.78 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

procurement of Hardware & Software proposed for PM-KISSAN Yojna and Data Centres at Shastri Park, Delhi and Hyderabad and Development Centre of PFMS and for Application Performance Monitoring Tool for PFMS (₹ 42.32 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 29

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 1305.16 1305.16 पूंजी Capital 73935.04 73935 04 जोड़ 75240.20 75240.20 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी 2500.00 2500.00 Capital जोड Total 2500.00 2500.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 373.83 373.83 पूंजी Capital 5770 00 5770 00 जोड Total 6143.83 6143.83 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 83884.03 83884.03 राजस्व Revenue 1678.99 1678.99 पूंजी 82205.04 82205.04 Capital ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 2.59 2.59 (कa) 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070-Other Administrative Services 13.17 (खb) 13.17 ... 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235-Social Security and Welfare 58.08 (गc) 58.08 2885-उदयोग और खनिजों पर अन्य परिव्यय 2885-Other Outlays on Industries and Minerals 299.99 299.99 (घd) Total (Revenue Section) जोड़ (राजस्व भाग) 373.83 373.83 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4416-कृषि वितीय संस्थानों में निवेश 4416-Investments in Agricultural Financial Institutions 470.00 470.00 (še) 4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय 4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals 5300.00 5300.00 ... जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 5770.00 5770.00 6143.83 6143.83 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: सचिवालय-डीएफएस के लिए स्थापना संबंधी व्यय (₹ 2.59 करोड)। establishment related expenditure for Secretariat-DFS (a) डसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo; किराया, दर और कर के अंतर्गत ऋण वस्त्री अधिकरण (डीआरटी) (₹ 4.41 (ख) Debts Recovery Tribunals (DRTs) under Rent, Rates and (b) करोड़) तथा पीएफआरडीए के लिए सामान्य सहायता अनुदान और वेतन Taxes (₹ 4.41 crore), Grants-in-aid (General) and Grants-in-सहायता अनुदान (₹ 10.57 करोड़)। aid (Salary) to PFRDA (₹ 10.57 crore), इसमें ₹ 13.17 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 13.17 crore; अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (ग) (c) Grants-in-aid (General) as Incentive (₹ 66.80 crore) under Atal (₹ 66.80 करोड़) और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान Pension Yojana; and Government's co-contribution (₹ 68.14 (₹ 68.14 करोड़)। crore) under Atal Pension Yojana. इसमें ₹ 58.08 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 58.08 crore only: भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का (ঘ) (d) redemption of securities issued to Stressed Assets Stablization मोचन अन्रूपी अतिरिक्त प्राप्तियों से होगा (₹ 299.99 करोड़)। Fund (SASF) and is matched with additional receipts (₹ 299.99 crore). इसमें नकद व्यय नहीं होगा। The above expenditure will not entail cash outgo; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूनर्पूंजीकरण (₹ 470 करोड़)। (ङ) (e) Recapitalisaion of Regional Rural Banks (₹ 470 crore). इसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo; भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को Equity support to India Infrastructure Finance Company Limited (च) पूर्नपूँजीकरण बांड के माध्यम से इक्विटी सहायता (₹ 5300 करोड़)। (IIFCL) through recapitalisation bonds (₹ 5300 crore).

This will not entail cash outgo;

इसमें नकद व्यय होगा।

मांग संख्या DEMAND NO 31

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				(₹ कः	रोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	203457.98		203458.00
पूंजी	Capital		8.73		8.73
जोड़	Total	0.02	203466.71		203466.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		40030.77		40030.77
प्ंजी	Capital	***	8.27		8.27
जोड़	Total	•••	40039.04		40039.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	243505.75		243505.77
राजस्व	Revenue	0.02	243488.75		243488.77
पूंजी	Capital	•••	17.00		17.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc		r Head		
	,	भारित	स्वीकृत		जৗड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	_			
मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		17.11	(कa)	17.11
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services		13.66	(खb)	13.66
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		32400.00	(गc)	32400.00
अन्दान				(- /	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		7600.00	(घd)	7600.00
सहायता अन्दान	•			` '	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		40030.77		40030.77
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services		0.01	(ਭ e)	0.01
पूंजी परिव्यय				` '	
् 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	4059-Capital Outlay on Public Works		8.26	(चf)	8.26
परिव्यय				, ,	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		8.27		8.27
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		40039.04		40039.04
			~ ~ ~		<u> </u>
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में	नाच दशाइ गया वस्तिय	। का शामिल नहा किया	गया ह ।जन	ह व्यय म स
	घटाकर समायोजित किया जाता है !	la	-4 46		bish sas
	Note: The above estimates of additional requirements of	io not take into accou	nt the recoveries sh	own below,	, wnich are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)16200.00		(-)16200.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)3800.00		(-)3800.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)20000.00		(-)20000.00
·	·		e e		÷ •

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) वोडाफोन, केयर्न एंड वेदांता रिसोंसेज, द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय
मध्यस्थता मामलों पर व्यय, फिननेट परियोजना के किराए का भुगतान

(₹ 17.11 करोड़) (ii) 'लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत किराए पर लिए गए
कार्यालय में सिविल तथा वैद्युत संबंधी कार्य के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान

(₹ 3 करोड़)।
इसमें ₹ 17.11 करोड़ नकद व्यय होगा।

(ख)

स्थापना संबंधी व्यय तथा एफएटीएफ को प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंशदान का

इसमें ₹ 17.11 कराइ नकद व्यय होगा। ब) स्थापना संबंधी व्यय तथा एफएटीएफ को प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंशदान का भुगतान (₹ 13.66 करोइ)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(b)

(a) (i) expenditure on international arbitration matters invoked by Vodafone, Cairn and Vedanta Resources, payment of rent as well as for the project FINnet (₹ 17.11 crore), (ii) a token supplementary to undertake the civil and electrical work in hired office space under 'Minor Works' (₹ 3 crore).
 This will entail a cash outgo of ₹ 17.11 crore.

establishment related expenses and towards payment of committed international contributions to FATF (₹ 13.66 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(ग)	जीएसटी के प्रारंभ होने पर राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि हेतु जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 32,400 करोड़ प्रदान करना अर्थात (जीएसटी क्षतिपूर्ति तथा लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि हेतु अंतरण, प्रत्येक के लिए ₹ 16,200 करोड़)। इसमें ₹ 16,200 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(c)	₹ 32,400 crore i.e., ₹ 16,200 crore each for release of GST Compensation and transfer to GST Compensation Fund in Public Account is required to compensate the revenue loss to State Governments on rollout of GST. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 16,200 crore.
(ਬ)	जीएसटी के प्रारंभ होने पर विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को हु ई राजस्व हानि हेतु जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 7,600 करोड़ प्रदान करना अर्थात (जीएसटी क्षतिपूर्ति तथा लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि हेतु अंतरण, प्रत्येक के लिए ₹ 3,800 करोड़)। इसमें ₹ 3,800 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(d)	₹ 7,600 crore i.e., ₹ 3,800 crore each for release of GST Compensation and transfer to GST Compensation Fund in Public Account is required to compensate the revenue loss to UT Governments with Legislatures on rollout of GST. The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3,800 crore.
(ঙ্গ)	माल और सेवा कर नेटवर्क –िवशेष प्रयोजन व्यवस्था में निवेश (₹ 2.56 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक	(e)	Investment in Goods and Services Tax Network-Special Purpose Vehicle (₹ 2.56 crore) Taking into account the savings available in the same section of
(핍)	अनुदान मांगा जाता है। राजस्व भवन का निर्माण (₹ 8.26 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(f)	the Grant, a token supplementary is sought. construction of Rajaswa Bhawan (₹ 8.26 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 32

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 7036.44 7036.44 पूंजी Capital 302.00 302.00 जोड़ 7338.44 7338.44 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड Total 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 181.96 181.96 Revenue पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड Total 181.98 181.98 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 7520.44 7520.44 राजस्व Revenue 7218.40 7218.40 पूंजी 302.04 302.04 Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण 2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure 181.96 181.96 (कa) पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (खb) 0.01 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 4216-Capital Outlay on Housing 0.01 0.01 (गc) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02 ... जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 181.98 181.98 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: वेतन एवं कार्यालयं व्यय (₹ 105 करोड़) तथा स्थापना संबंधी व्यय (₹ 76.96 establishment related expenses including salary (₹ 76.96 crore) करोड)। and Office Expenses (₹ 105 crore) इसमें ₹ 181.96 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 181.96 crore. इरोड में कार्यालय इमारत निर्माण के लिए (₹ 5 करोड), एर्नाकुल्म कोची, केरल (ख) (b) construction of office building at Erode (₹ 5 crore); construction में आयकर भवन के निर्माण लिए (₹ 2 करोड़), डिब्रूगढ़ में कार्यालय इमारत के of Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 2 crore); निर्माण (₹ 1 करोड)। construction of office building at Dibrugarh (₹ 1 crore) अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक Taking into account the savings available in the same section of पूरक अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. अजमेर विकास प्राधिकरण में आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए भूमि की (ग) purchase of land from Development Authority, Ajmer for (c) खरीद (₹ 18.45 करोड़)। construction of residential colony (₹ 18.45 crore) अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अन्दान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 34

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(t 97 t l	5) (III (CI OI e S)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	177.69	4832.22	5009.91
पूंजी	Capital		16.00	16.00
जोड़	Total	177.69	4848.22	5025.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		27.39	27.39
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	27.39	27.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		88.00	88.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		88.00	88.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	177.69	4963.61	5141.30
राजस्व	Revenue	177.69	4947.61	5125.30
पूंजी	Capital		16.00	16.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit		88.00	88.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'एक आईएएडी, एक प्रणाली' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Information Technology for "One IAAD, One System" .

The above expenditure will entail a cash outgo.

संख्या NO. 36 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1, 0	rkiş / (III k Civies)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	5983187.09		5983187.09
जोड़	Total	5983187.09		5983187.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	363201.91		363201.91
जोड़	Total	363201.91		363201.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6346389.00		6346389.00
राजस्व	Revenue		•••	
पूंजी	Capital	6346389.00	•••	6346389.00
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted	d for under the following Ma	jor Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	363201.91		363201.91

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋणों (स्विचिंग) की वापसी अदायगी 91/364 दिन राजकोषीय हुंडिया, नकद प्रबंधन हुंण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम, अंतराष्ट्रीय वित्त संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का मोचन, एनएसएसएफ तथा स्वर्ण मौद्रिकरण योजना (₹ 363201.91 करोड़) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन।

विनियोग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, शेष के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की प्राप्तियों द्वारा पूर्ति की जाएगी। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

repayment of market loans(switching), 91/364 days T Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Redemption of securities issued to International Financial Institutions, Redemption of Securities issued to NSSF and Gold Monetization Scheme (₹ 363201.91 crore).

Taking into account the savings available in the Appropriation, supplementary for the balance is sought. This will not entail cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO 37

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(<i>t a</i> nd) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	380.10	49184.90		49565.00
पूं जी	Capital				
जोड़	Total	380.10	49184.90		49565.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***			
प् ंजी	Capital				
जोड़	Total	•••			•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
ाजस्व	Revenue	5.00	1995.00		2000.00
<u>र्</u> ची	Capital				
नोड़	Total	5.00	1995.00		2000.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>385.10</i>	51179.90		51565.00
गजस्व	Revenue	<i>385.10</i>	51179.90		51565.00
ग ूंजी	Capital				
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will b			leads:	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	5.00	(क a) 1995.00	(खb)	2000.00

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की छुट्टी के नकदीकरण के भुगतान के प्रति अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना;

(ख) पेंशनभोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण अधिक आवश्यकता, सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर14% होने तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान विलंबित जमा पर ब्याज की अदायगी, सरकारी सेवकों की मृत्यु / अपंगता पर राहत में वृद्धि तथा मंहगाई राहत में वृद्धि की अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting higher requirements towards payment of leave encashment to Judges of High Court; and

meeting higher requirement arising out of increase in number of pensioners, increase in Government contribution from 10% to 14% and payment of interest on delayed deposits of contributions under Defined Contributory Pension Scheme, increase in relief on death/disability of Government servants and increase in dearness relief.

The above supplementary will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 38

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores

			(र कः	राइ) (In र crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	120466.22	32480.00	152946.22
पूंजी	Capital	19823.28	***	19823.28
जोड़	Total	140289.50	32480.00	172769.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1000.00	0.01	1000.01
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total	1000.00	0.01	1000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2243.66		2243.66
पूंजी	Capital	5276.72		5276.72
जोड़	Total	<i>7520.38</i>		7520.38
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148809.88	32480.01	181289.89
राजस्व	Revenue	123709.88	32480.01	156189.89
पूंजी	Capital	<i>25100.00</i>		25100.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be ac	counted for under the f	ollowing Major Heads	::
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	2243.66	(क a)	2243.66
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	5276.72 ((खb)	5276.72
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	7520.38		7520.38
•				

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्थानीय निकायों-शहरी निकायों के लिए बकाया राशि के भुगतान तथा अनुदानों के लिए अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (₹ 2243.66 करोड़)। अनुदान राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए (₹ 5276.72 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुरूपी प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

providing additional allocation for the payment of arrears under Grants for Local Bodies - Urban Bodies (₹ 2243.66 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

providing additional allocation to the States under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block loans) (₹ 5276.72 crore)

Taking into account the matching receipts available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 39

मत्स्य पालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 790.58 790.58 Revenue पूंजी Capital 14.17 14.17 ... जोड Total 804.75 804.75 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital जोड़ Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड़ Total 0.01 0.01 जोड़ (मूल और प्रक) Total (Original plus Supplementary) 804.76 804.76 ... राजस्व Revenue 790.59 790.59 ... पूंजी Capital 14.17 14.17 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Total Voted राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मात्स्यिकी एकीकृत विकास और प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान(₹ 2.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under Tribal Area Sub Plan under the scheme of Integrated Development & Management of Fisheries (₹ 2.12 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 40

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 3301.01 3301.01 पूंजी Capital 41.64 41.64 जोड़ Total 3342.65 3342.65 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital जोड 0.02 Total 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 18.65 18.65 पूंजी Capital जोड Total 18.65 18.65 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3361.32 3361.32 3319.68 राजस्व Revenue 3319.68 पूंजी Capital 41.64 41.64 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2403-पश् पालन 0.01 2403-Animal Husbandry 0.01 (कa) 2404-डेयरी विकास 2404-Dairy Development 18.63 18.63 (खb) 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गc) 0.01 18.65 18.65

2002 (4111)		2002 North Edition 7 toda
जोड़ (राजस्व भाग		T) Total (Revenue Section)
	यह पूरक अनुदाने	। निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
	(क) (i)	खुर एवं मुँह रोग और ब्रुसलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 253.56 करोड़), अनुस्चित जाति उप-योजना (₹ 46.89 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 29.05 करोड़) और विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 9.30 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
	(ii)	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।
	(iii)	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
	(ख) (i)	दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 18.63 करोड़)।
	(ii)	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुस्चित जाति उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.51 करोड़)
		अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
	(ग)	पशुधन गणना तथा एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)।

अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- Grants-in-aid General for General Component (₹ 253.56 crore), for Schedule Caste Sub Plan (₹ 46.89 crore), for Tribal Area Sub Plan (₹ 29.05 crore) and for Advertising & Publicity (₹ 9.30 crore) under the scheme of National Animal Disease Control Programme for Foot & Mouth Disease and Brucellosis.
 - (ii) Grants-in-aid Salary for Veterinary Council of India (₹ 0.30 crore).
 - Grants-in-aid General under the scheme of Livestock Health and Disease Control (₹ 0.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional expenditure for Supply & Materials under Delhi Milk Scheme (₹ 18.63 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General under Scheduled Castes Sub Plan under National Programme for Dairy Development (₹ 0.51 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Grants-in-aid General under the scheme of Live Stock Census and Integrated Sample Survey (₹ 2 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये) (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड) (In ₹ crores)

			(<i>र करा</i> .	\$) (IN & Cror
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ाजस्व राजस्व	Revenue		1196.60	1196.60
र् गुजी	Capital			
जोड़	Total		1196.60	1196.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
 गजस्व	Revenue		0.01	0.01
र् च ी	Capital			
गोड़	Total	•••	0.01	0.01
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
ज स् व	Revenue		0.01	0.01
जी	Capital			
गेड़	Total		0.01	0.01
गोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1196.62	1196.62
ज स् व	Revenue		1196.62	1196.62
् जी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
गजस्व भाग	REVENUE SECTION			
गु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमताओं के सूजन/विस्तार की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 42.02 करोड)।
- (ii) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिकेंज के सृजन की योजना के अनतर्गत सामान्य सहायता अन्दान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 9.96 करोड़)।
- (iii) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रबन्धन (एनआईएफटीईएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदानों (₹ 6.37 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.34करोड़) हेत् अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।
- (iv) एकीकृत प्रशीतन शृंखलाएं तथा मृल्य वर्धन अवसंरचना की योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 36.66 करोड़)।
- (v) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की योजना के अन्तर्गत अनुस्चित जाति उप योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.45 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- i) Grants-in-aid General under the Scheme for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹ 42.02 crore).
- (ii) Grants-in-aid General under the Scheme for Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 9.96 crore).
- (iii) Grants-in-aid General (₹ 6.37 crore) and Grants in Aid-Salaries (₹ 3.34 crore) for National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management.
- (iv) Grants-in-aid General under the Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure (₹ 36.66 crore),
- (v) Grants-in-aid General under Scheduled Caste Sub Plan under the scheme for Agro Processing Clusters (₹ 2.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 42

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

			(₹ करोड़ ,) (In ₹ crore	25)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		90145.25		90145.25	
पूंजी	Capital		2890.20		2890.20	
जोड़	Total		93035.45		93035.45	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		0.07		0.07	
पूंजी	Capital		0.02		0.02	
जोड़	Total		0.09		0.09	
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.05		0.05	
पूंजी	Capital		55.01		55.01	
जोड़	Total		55.06		55.06	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		93090.60		93090.60	
राजस्व	Revenue		90145.37		90145.37	
पूंजी	Capital		2945.23		2945.23	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und					
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa)	0.01	
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01	
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(ਬd)	0.01	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ਝe)	0.01	
अनुदान						
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.05		0.05	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		55.00	(चf)	55.00	
4211-परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4211-Capital Outlay on Family Welfare		0.01	(<u>छ</u> g)	0.01	
जोड़ (प्ंजी भाग)	Total (Capital Section)		55.01		55.01	
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		55.06		55.06	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत (स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) के प्रावधान सहित) सामान्य सहायता अनुदानः।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) भारतीय रेडक्रास सोसायटी (₹ 0.40 करोड़) (2) सेंट जॉन एम्ब्लेंस (₹ 0.04 करोड़) (3) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीटयूट, दिल्ली (₹ 26.70 करोड़) (4) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 7.50 करोड़) (5) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 39.36 करोड़) (6) चिकित्सा शिक्षा और अन् संधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 129.99 करोड़) (7) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनु संधान स्नातकोत्तर संस्थान, पुदुचेरी (₹ 280.09 करोड़) (8) कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा (₹ 20.70 करोड़) (9) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 16.99 करोड़) (10) नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र (₹ 0.70 करोड़) (11) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 42.10 करोड़) और (12) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 30.25 करोड़) ॥. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 853.40 करोड़) - एचईएफए ऋण में वृद्धि (₹ 50 करोड़), एचईएफए ऋण पर ब्याज (₹ 70 करोड़), निधियों का सीआरआईएफ से जीबीएस घटक में अंतरण (₹ 10 करोड़) और अतिरिक्त व्यय (₹ 733.40 करोड़) (2) राष्ट्रीय नशा म्क्ति कार्यक्रम-एनडीडीटीसी,एम्स, नई दिल्ली (₹ 1.50 करोड़) The supplementary Grants are required for:

(i) Grant-in-aid General (including provision for Swachhta Action Plan (SAP)under the schemes:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Indian Red Cross Society (₹ 0.40 crore) 2- St. John Ambulance (₹ 0.04 crore) 3- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 26.70 crore) 4- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 7.50 crore) 5- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 39.36 crore) 6- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 129.99 crore) 7- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pudducherry (₹ 280.09 crore) 8- Kasturba Health Society, Wardha (₹ 20.70 crore) 9-Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 16.99 crore) 10- New Delhi T.B Centre (₹ 0.70 crore) 11- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 42.10 crore) and 12-National Institute of Biological, Noida (₹ 30.25 crore) II- To meet additional expenditure under the following Schemes: 1- Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 853.40 crore)

(ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सूजन के लिए अनुदानः I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 10.50 करोड़) (2) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 97.55 करोड़) (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 247.89 करोड़) (4) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 72.38 करोड़) (5) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 325 करोड़) (6) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनु संधान स्नातकोत्तर संस्थान, पुदुचेरी (₹ 259.90 करोड़) (7) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.80 करोड) (8) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 12 करोड़) और (9) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 3.30 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 1.90 करोड़) (2) राज्यों में परा चिकित्सा विज्ञान राज्य संस्थानों की स्थापना और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में व्यय हेत् परा चिकित्सा शिक्षा कॉलेजों की स्थापना (₹ 6.85 करोड़) (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अन्दानः।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीटय़्ट, दिल्ली (₹ 28.30 करोड़) (2) चित्ररंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 29.45 करोड़) (3) अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 25.73 करोड़) (4) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 1045 करोड़) (5) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, पृद्चेरी (₹ 560 करोड़) (6) कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा (₹ 50 करोड़) (7) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 62 करोड़) (8) नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र (₹ 4.75 करोड़) (9) भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर (₹ 11.50 करोड़) और (10) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (₹ 12.85 करोड़) ॥. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा योजना (₹ 16 करोड़) (2) राष्ट्रीय नशा म्क्ति कार्यक्रम (₹ 4.75 करोड़)-एनडीडीटीसी, एम्स, नई दिल्ली (₹ 3.75 करोड़) तथा निमहंस, बेंगलुरू (₹ 1 करोड) (iv) निम्नलिखित के लिए अन्य व्ययः I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 10 करोड), वेतन (₹ 2.50 करोड़), डीटीई (₹ 0.12 करोड़), ओई (₹ 0.10 करोड़), आरआरटी (₹ 0.02 करोड़), ओएई (₹ 0.34 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 0.05 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 5.60 करोड़) तथा व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.27 करोड़) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल - आपूर्ति और सामग्री की अधिप्राप्ति -आपूर्ति और सामग्री के लिए एनएलईपी (₹ 1.30 करोड) (2) (₹ 28.50 करोड) की विश्व बैंक पूल निधि के ईएसी घटक सहित राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आपूर्ति और सामग्री की अधिप्राप्ति - अन्य व्यय (₹ 460 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अन्रूपी बचतें (₹ 3465.72 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 34.32 करोड़), (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 17.15 करोड़), (3) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुद्दिकरण (₹ 1.30 करोड़), (4) एनआरएचएम- नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, (₹ 7.92 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदानः।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में

- Increase in HEFA loan (₹ 50 Crore), Interest on HEFA loan (₹ 70 Crore). Transfer of funds from CRIF to GBS component (₹ 10 Crore) and additional expenditure ₹ 733.40 Crore. 2. National Drug De-addiction Programme - NDDTC, AIIMS, New Delhi (₹ 1.50 crore) (ii) Grant-in-Aid for creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 10.50 crore) 2- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 97.55 crore) 3- All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 247.89 crore) 4- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 72.38 crore) 5- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 325 crore) 6- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research , Pudducherry (₹ 259.90 crore) 7- Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.80 crore) 8- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 12 crore) and 9- National Institute of Biological, Noida (₹ 3.30 crore) II- To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- National Mental Health Programme (₹ 1.90 crore) 2- Setting up of State Institutions of Paramedical Sciences in States and Setting Up of Colleges of Paramedical Education for expenditure in UT of Dadra & Nagar Haveli (₹ 6.85 crore). (iii) Grant-in-Aid Salaries:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi - (₹ 28.30 crore) 2- Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 29.45 crore) 3- All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 25.73 crore) 4- Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 1045 crore) 5- Regional Post Graduate Centre, Jawahar Lal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pudducherry (₹ 560 crore) 6- Kasturba Health Society, Wardha (₹ 50 crore) 7- Lala Ram Swaroop Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (₹ 62 crore) 8- New Delhi T.B Centre (₹ 4.75 crore) 9- Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 11.50 crore) and 10- National Institute of Biological, Noida (₹ 12.85 crore) II - To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- Pradhan Mantri Swasthva Suraksha Yoiana (₹ 16 crore) 2. National Drug De-addiction Programme(₹ 4.75 crore) - NDDTC, AIIMS, New Delhi (₹ 3.75 crore) & NIMHANS, Bengaluru (₹ 1 crore) (iv) Other Expenditure: I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. (₹ 10 crore) - Salaries (₹ 2.50 crore), DTE (₹ 0.12 crore), O.E (₹ 0.10 crore), RRT (₹ 0.02 crore), OAE (₹ 0.34 Crore), Supplies & Material (₹ 0.05 crore), Advertisement & Publicity (₹ 5.60 crore) & Professional Services (₹ 1.27 crore). II- To meet additional expenditure under the following Scheme: 1- Flexible Pool for Communicable Diseases - Procurement of Supplies and Material - NLEP for Supplies and Material (₹ 1.30 crore). 2. Procurement of Supplies & Materials under National AIDS & STD Control Programme - Other Expenses (₹ 460 crore) including EAC Component of World Bank Pool Fund amounting to (₹ 28.50 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 3465.72 crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grant-in-aid General: I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 34.32 crore) 2- International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 17.15 crore) 3- Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 1.30 crore) (4) NRHM - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. (₹ 7.92 crore) (ii) Grant-in-aid for creation of

(ख)

अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.73 करोड़) और (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 53.40 करोड़), (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अन्दानः ।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 29.20 करोड़) और (2) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान, मुंबई (₹ 13.50 करोड़), (iv) निम्नलिखित के लिए अन्य व्ययः । निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए : (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 48.46 करोड़) (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - वेतन के लिए (₹ 5.69 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 6.80 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली वेतन के लिए (₹ 10.80 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 13.20 करोड़) तथा (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) वेतन के लिए (₹ 2 करोड़) और अन्य प्रभारों के लिए (₹ 2.05 करोड़) (2) एनयू एचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 4.57 करोड़) - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली अन्य प्रभारों के लिए (₹ 3.94 करोड़) और (ख) आय्ष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) अन्य प्रभारों के लिए (₹ 0.63 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 205.33 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिएः (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹ 1833.77 करोड़) (क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल- सामान्य के लिए (₹ 360.26 करोड़), अनुसूचित जातियों और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 144.11 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - (₹ 582.09 करोड़) सामान्य के लिए (₹ 157.24 करोड़), अनु सूचित जातियों और (₹ 270.08 करोड़) अनु सूचित जनजातियों के लिए (ग) आयुष्मान भारत - केन्द्र स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 82.35 करोड़), अनुस्चित जातियों के लिए (₹ 17.55 करोड़), और अनु सूचित जनजातियों के लिए (₹ 35.10 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सीबल पूल- (₹ 50.10 करोड़) - (क) एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 15.17 करोड़), अन्सूचित जातियों के लिए (₹ 7.38 करोड़), और अन्सूचित जनजातियों के लिए (₹ 2.55 करोड़) (ख) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 15.25 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 6.50 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 3.25 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अन्दानः निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिएः (1) एनआरएचम-आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 76.56 करोड़), अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 17.48 करोड़) और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 30.01 करोड़), (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन -फ्लेक्सीबल पूल- (क) एनयू एचएम - एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 2.07 करोड़), अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 0.82 करोड़), और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 0.28 करोड) II. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन केन्द्र (क) नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन (₹ 128.11 करोड़) (iii) निम्नलिखित के लिए वेतन सहायता अनुदानः I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: (क) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तेजपुर (₹ 5 करोड़)। अन्दान की इसी भाग में अन्रूपी बचतें (₹ 1866.66 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः ।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप (d)

Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 4.73 crore) and 2- International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 53.40 crore) (iii) Grant-in-aid Salaries:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: 1- National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 29.20 crore) and (2) International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 13.50 crore) (iv) Other Expenditure:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool (₹ 40.54 Crore) - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. UT without legislature - for Salaries (₹ 5.69 crore) and for Other Charges (₹ 6.80 crore), (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) (for Salaries (₹ 10.80 crore) and for Other Charges (13.20 crore) and (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 2 crore for Salaries and ₹ 2.05 crore for Other Charges). (2) NUHM - RCH Flexible Pool (₹ 4.57 Crore) - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) (₹ 3.94 crore for Other Charges) and (b) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres under NUHM (GBS) (₹ 0.63 crore for Other Charges). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 205.33 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant in Aid General :- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool (₹ 1833.78 Crore) - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc. – (₹ 360.26 crore) for General, (₹ 96.07 crore) for SC and (₹ 144.11 crore) for ST, (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 671.02 crore) for General, (₹ 157.24 crore) for SC and (₹ 270.08 crore) for ST, (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) -(₹ 82.35 crore) for General, (₹ 17.55 crore) for SC and (₹ 35.10 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool (₹ 50.10 Crore) - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - ₹ 15.17 crore for General, ₹ 7.38 crore for SC and ₹ 2.55 crore for ST. (b) AYUSHMAN Bharat -Health and Wellness Centres (GBS) - ₹ 15.25 crore for General, ₹ 6.50 crore for SC and ₹ 3.25 crore for ST. (ii) Grantin-Aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 76.56 crore) for General, (₹ 17.48 crore) for SC and (₹ 30.01 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) NUHM-Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - (₹ 2.07 crore) for General, (₹ 0.82 crore) for SC and (₹ 0.28 crore) for ST. II - To meet additional expenditure under the following Scheme: (1) Human Resources for Health and Medical Education - (a) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 128.11 crore). (iii) Grant in Aid for Salaries: I - To meet additional expenditure under the following Scheme: (a) Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Medical Sciences, Tejpur (₹ 5 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 1866.66 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant in Aid General :- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component

(ग)

व्यय नियमित करने के लिएः (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल -(क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - सामान्य के लिए (₹ 2764.16 करोड़), ईएसी के लिए (₹ 5 करोड़), अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 1258.72 करोड़) और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 549.27 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 4896.85 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1860.59 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 701.16 करोड़) (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 735.61 करोड़), अन्सूचित जातियों के लिए (₹ 313.54 करोड़), और अनुसूचित जनजातियों के लिए (₹ 156.77 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सीबल पूल (क) एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 59.98 करोड़), ईएसी के लिए (₹ 291.61 करोड़), अन् सचित जातियों के लिए (₹ 149.63 करोड़), और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 74.82 करोड़) (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आय्ष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 139.67 करोड़), अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 56.09 करोड़), और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 28.04 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानः ।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिएः (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 495.41 करोड़), अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 237.29 करोड़), और अनु सूचित जनजातियों के लिए (₹ 98.69 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली -सामान्य के लिए (₹ 6.11 करोड), ईएसी के लिए (₹ 32.39 करोड), अनु सचित जातियों के लिए (₹ 16.63 करोड़) और अन् सूचित जनजातियों के लिए (₹ 8.31 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 14928.24 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदानः I. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिएः (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल -(क) नेमी टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - सामान्य के लिए (₹ 33.64 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 11.82 करोड़) (ख) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 34.99 करोड) और अनु सूचित जातियों के लिए (₹ 12.93 करोड़) (ग) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 3.65 करोड़) और अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 1.35 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन -फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 18.28 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 6.62 करोड़) (ख) आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्र (जीबीएस) - सामान्य के लिए (₹ 0.33 करोड़) और अन् सूचित जातियों के लिए (₹ 0.21 करोड़) (ii) निम्नलिखित के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानः ।. निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत एनआईएफ प्रावधान के जीबीएस घटक में अंतरण के परिणामस्वरूप व्यय नियमित करने के लिए: (1) एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनआरएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 3.88 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए (₹ 1.44 करोड़) (2) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सीबल पूल - (क) एनयू एचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - सामान्य के लिए (₹ 2.65 करोड़) और अन्सूचित जातियों के लिए (₹ 0.74 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें (₹ 140.60 करोड़ के एनआईएफ सहित) प्रत्याशित हैं।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत मशीनों और उपकरणों की अधिप्राप्ति/मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए: (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 37 करोड़), (2) डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 23.58 करोड़-मशीनरी और उपकरण (₹ 4 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹ 19.58 करोड़-)), (3) स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया (₹ 5.53 करोड़) मशीनरी और उपकरण के लिए, (4) डब्ल्यू एचओ एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण (₹ 55 करोड़) मुख्य निर्माण कार्यों के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 55 करोड़ की अनुरूपी बचतें प्रत्याशित हैं जिन्हें बाद में अभ्यर्पित कर दिया जाएगा। अतः डब्ल्यू एचओ एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली के पुनर्निर्माण पर अतिरिक्त व्यय के लिए पूक अनुदान मांगा जाता है। व्यय की शेष मदों के लिए केवल सांकेतिक पूक

under the following Scheme: (1) NRHM - RCH Flexible Pool -(a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National lodine Deficiency Disorder Control Programme etc. -(₹ 2764.16 crore) for General, (₹ 5 crore) for EAC, (₹ 1258.72 crore) for SC and (₹ 549.27 crore) for ST. (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 4896.85 crore) for General, (₹ 1860.59 crore) for SC and (₹ 701.16 crore) for ST. (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) – (₹ 735.61 crore) for General, (₹ 313.54 crore) for SC and (₹ 156.77 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) - (₹ 59.98 crore) for General, ₹ 291.61 crore for EAC, (₹ 149.63 crore) for SC and (₹ 74.82 crore) for ST. (b) AYUSHMAN Bharat under National Urban Health Mission- Health and Wellness Centres (GBS) -(₹ 139.67 crore) for General, (₹ 56.09 crore) for SC and (₹ 28.04 crore) for ST. (ii) Grant-in-aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - ₹ 495.41 Crore for General, (₹ 237.29 crore) for SC and (₹ 98.69 crore) for ST. (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)- for General (₹ 6.11 crore), for EAC (₹ 32.39 crore), for SC (₹ 16.63 crore) and for ST (₹ 8.31 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 14928.24 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant-in-aid General:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) RCH Flexible pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorder Control Programme etc.- for General (₹ 33.64 crore) and for SC (₹ 11.82 crore). (b) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) -for General (₹ 34.99 Crore) and for SC (₹ 12.93 crore). (c) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) -for General (₹ 3.65 crore) and for SC (₹ 1.35 crore). (2) National Urban Health Mission - Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS) (₹ 18.28 crore) and for SC (₹ 6.62 crore). (b) AYUSHMAN Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.33 Crore) and (₹ 0.21 crore) for SC. (ii) Grant-in-aid for Creation of Capital Assets:- I - To regularise expenditure consequent to transfer of NIF provision to GBS component under the following Scheme: (1) NRHM-RCH Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NRHM (GBS) - (₹ 3.88 crore) for General and (₹ 1.44 crore) for SC. (2) National Urban Health Mission -Flexible Pool - (a) Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)- for General (₹ 2.65 crore) and for SC (₹ 0.74 crore). Matching savings (inclusive of NIF of ₹ 140.60 Crore) are anticipated in the same Section of the Grant.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) For meeting additional Capital Expenditure on Procurement of Machinery and Equipment/ Major Work under the following Institutions:- (1) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 37 crore), (2) Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 23.58 crore) - Machinery and Equipment (₹ 4 crore) and Major Work (₹ 19.58 Crore), (3) Health Sector Disaster Preparedness and Response (₹ 5.53 crore) for Machinery and Equipment, (4) Re-Construction of WHO-SEARO Building, New Delhi (₹ 55 crore) for Major Work. Matching savings of ₹ 55 Crore are anticipated in the Revenue Section of the Grant. Which will be surrendered subsequently. Hence Technical Supplementary

(량)

(च)

(g)

अनुदान मांगा जाता है।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त प्ंजीगत व्यय पूरा करने के लिएः (1) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई (₹ 2.40 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में अनुरूपी बचतें प्रत्याशित हैं।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

grant is sought for additional expenditure on Re-Construction of WHO-SEARO Building, New Delhi. For the remaining items of expenditure only token supplementary grant is sought.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

For Meeting additional Capital Expenditure on Major Work under the Institution Family Welfare Training and Research Centre Mumbai (₹ 2.40 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अन्संधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये) (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

			(र कराड़)) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3374.65		3374.65
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total		3374.65		3374.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total		0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		50.01		50.01
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		50.01		50.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3424.67		3424.67
राजस्व	Revenue		3424.67		3424.67
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted fo		Head		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		50.00	(कa)	50.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	50.01		50.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता अन्दान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) आंतरिक तथा बाह्य अनुसंधान कार्यकलापों/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईसीएमआर (₹ 77.57 करोड), (ii) आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनु संधान इकाइयों की स्थापना की स्कीम (₹ 2 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत विदयमान बजटीय प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹ 784.82 करोड़); पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 175.21 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹ 514.62 करोड़) और एनआईएफ का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 1474.65 करोड़) और एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को एनआईएफ वसूलियों की कटौती (₹ 1474.65 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 50 करोड़ का नकद व्यय होगा।

आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अन्संधान इकाइयों की स्थापना स्कीम के अंतर्गत पूर्वीतर क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 2 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता के अंतर्गत प्रावधानों का अंतरण सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत आईसीएमआर को करना (₹ 64 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सजन हेत् अनुदान (₹ 6 करोड़) तथा एनआईएफ के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान न किए जाने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईसीएमआर के गैर-एनआईएफ शीर्षों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

Meeting requirements under Grant Aid General in respect of (i) ICMR for funding of intra mural and extra mural research activities/projects (₹ 77.57crore), (ii) the scheme of Establishment of Model Rural Health Research Units (₹ 2 crore) and (iii) for transfer of existing budgetary provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR under Grant in Aid General (₹ 784.82 crores); under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 175.21 crores) and Grant in Aid Salaries (₹ 514.62 crores) and Inter-Account Transfer of NIF (₹ 1474.65 crores) and Deduct Recoveries on account of NIF (₹ 1474.65 crores) to the Non-NIF Heads of ICMR on account non-provisioning of allocations under NIF.

> Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 50 crore. Meeting requirement under Grant-in-Aid General for North East Areas under the scheme of Establishment of Model Rural Health Research Units (₹ 2 crore) and (ii) transfer of provisions under Support from National Investment Fund (NIF) to the ICMR under Grant in Aid General (₹ 64 crores); under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crores) and Grant in Aid Salaries (₹ 10 crores) to the Non-NIF Heads of ICMR under North East Areas on account of non-provisioning of allocations

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख)

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

Demands for Grants for the year 2019-2020) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Total Charaed Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.02 4584.39 4584.41 पूंजी Capital 311.40 311.40 जोड़ 0.02 Total 4895.79 4895.81 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 8820.64 8820.64 Revenue पूंजी Capital जोड Total 8820 64 8820.64 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 3398.85 3398.85 Revenue पूंजी Capital 9 28 9 28 जोड Total 3408.13 3408.13 जोड़ (मूल और प्रक) 17124.58 Total (Original plus Supplementary) 17124.56 0.02 राजस्व Revenue 0.02 16803.88 16803.90 पूंजी Capital 320.68 320.68 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी 3454-Census Surveys and Statistics 490.70 (कa) 490.70 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 2908 15 2908.15 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 3398.85 3398.85 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative (गc) 9.27 9.27 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 0.01 4250-Capital Outlay on other Social Services 0.01 (된d) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 9.28 9.28 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 3408.13 3408.13 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अधीक्षण के तहत जनगणना सर्वेक्षण (क) Census Surveys and Statistics (i) under Superintendence under और सांख्यिकी (₹ 644.50 करोड़) (ii) महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार (अन्य प्रभार) Grants in aid General (₹ 644.50 crore) (ii) Improvement of Vital Statistics (Other Charges)(₹ 27.00 crore) and (iii) National (₹ 27 करोड़) और (iii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (₹ 40 करोड़)। Population Register under Grants-in-aid-General (₹ 40.00 crore). अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू एइसमें ₹ 490.70 Taking into account the savings available within the same करोड़ का नकद व्यय होगा। section of Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 490.70 crore. करों की निवल आय के राज्य के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख (ख) (b) Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh as State संघ राज्य क्षेत्र (₹ 2908.15 करोड)। Share of Net Proceed of Taxes' (₹ 2908.15 crore). इसमें निवल नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a net cash outgo: (i) मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जनगणना (₹ 37 करोड़) (ii) मोटर वाहनों (ग) (i) Census under Machinery and Equipment (₹ 37.00 crore) (ii) के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय (₹ 0.08 करोड़)। National Fire Service College under Motor Vehicles (₹ 0.08 crore). अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए इसमें ₹ 9.27 Taking into savings available under the same section of the करोड़ का नकद व्यय होगा। Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 9.27 crore. कार्यालय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (ਬ) National Institute of Disaster Management under Office Building (d) (Major Works) (Rs 4.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

अन्दान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

bernands for Grants for the year 20	19-2020)			
			(₹ करोड़	₹) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	828.85	828.85
पूंजी	Capital			
 जोड़	Total	•••	828.85	828.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
 गजस्व	Revenue		0.01	0.01
र् ग्जी	Capital			
नोड़	Total		0.01	0.01
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	1 :		
ा जस् व	Revenue		96.42	96.42
र् द्जी	Capital			
नोड़	Total		96.42	96.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		925.28	925.28
ाजस्व	Revenue		925.28	925.28
(ंजी	Capital	•••	•••	
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगाः		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		l:	
	, ,	भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-		
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers		96.42	96.42
•				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री के वायु यान का अनु रक्षण (अन्य प्रभार) (₹ 176.44 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 96.42 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

Maintenance of Prime Minister's Aircraft (Other Charges) (₹ 176.44 Crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo ₹ 96.42 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस **POLICE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

emands for Grants for the year 201	19-2020)				
				(₹ करोड़	') (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	7.49	88707.75		88715.24
<u>र्</u> जी	Capital	6.33	10811.89		10818.22
गोड़	Total	13.82	99519.64		99533.46
रूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
गजस्व	Revenue		3387.48		3387.48
र् जी	Capital		0.01		0.01
गेड़	Total		3387.49		3387.49
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
ज स् व	Revenue		2903.15		2903.15
जी	Capital		0.01		0.01
गेड़	Total		2903.16		2903.16
गेड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	13.82	105810.29		105824.11
ज स् व	Revenue	7.49	94998.38		95005.87
जी	Capital	6.33	10811.91		10818.24
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	Π:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
<i>ज∓व</i> भाग	REVENUE SECTION	-			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
055-पुलिस	2055-Police		1998.81	(क a)	1998.81
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		121.34	(खb)	121.34
602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		783.00	(गc)	783.00
नुदान	•			` '	
गेड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	2903.15		2903.15
रुंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 1055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(ਬd)	0.01
				/	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जोड़ (पूरक)

(ख)

(i) वेतन और राशन की लागत (₹ 909.20 करोड़) (ii) मजदूरी (₹ 3.86 करोड़) (क) (iii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 497.94 करोड़) (iv) विदेश यात्रा व्यय (₹ 13.03 करोड़) (v) विज्ञापन और प्रचार (₹ 6.76 करोड़) (vi) आपूर्ति और सामग्री (₹ 5.35

करोड़) (vii) प्रस्कार (₹ 0.25 करोड़) (viii) कार्यालय व्यय (₹ 162.31 करोड़) (ix) हथियार और गोला बारूद (₹ 79.47 करोड़) (x) आरआरटी (₹ 6 करोड़) (xi) प्रकाशन (₹ 11.70 करोड़) (xii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 375.30 करोड़) (xiii) चिकित्सा उपचार (₹ 69.40 करोड़) (xiv) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 5.28 करोड़) (xv) पीओएल (₹ 0.03 करोड़) (xvi) लघु निर्माण कार्य (₹ 52.86 करोड़) (xvii) अन्य प्रभार (V) (₹ 167.42 करोड़) (xiii) एलपीएआई के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 150 करोड़) (xix) अन्य प्रभार (अनु संधान) (₹ 50.29 करोड़) (xx) अन्य प्रभारों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा स्कीम

Total (Supplementary)

(₹ 11.26 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1290.64 करोड़ को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 708.17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(i) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (एनई) (₹ 105 करोड़) और (ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (एलडब्ल्यूई) (₹ 59.50 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 121.34 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Salaries and Cost of Ration (₹ 909.20 crore), (ii) Wages: (₹ 3.86 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 497.94 cr) (iv) Foreign Travel Expenses (₹ 13.03 crore) (v) Advertising and Publicity (₹ 6.76 crore), (vi) Supplies and Material(₹ 5.35 crore), (vii) Rewards (₹ 0.25 crore), (viii) Office Expenses (₹ 162.31 crore), (ix) Arms and Ammunition (₹ 79.47 crore), (x) RRT (₹ 6.00 crore), (xi) Publications (₹ 11.70 crore), (xii) Professional Services (₹ 375.30 crore) (xiii) Medical Treatment (₹ 69.40 crore) (xiv) Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 5.28 crore), (xv) POL(₹ 0.03 crore) (xvi) Minor Works (₹ 52.86 crore), (xvii) Other Charges (V) (₹ 167.42 crore), (xviii) Grants for creation of Capital Assets for Land Port Authority of India(LPAI) (₹ 150.00 crore), (xix) Other Charges (Research) (₹ 50.29 crore) (xx) Coastal Security Scheme under Other Charges(₹ 11.26 crore) .

2903.16

2903.16

Taking into account the savings available in the same Section and ₹ 1290.64 crore in the Capital Section of the Grant, the net cash outgo of ₹ 708.17 crore.

(i) Security Related Expenditure(SRE), North East(NE) (₹ 105.00 crore) and (ii) Security Related Expenditure(SRE). Left Wing Extremism(LWE) affected states (₹ 59.50 crore) Taking into account the savings within the same section of the

Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 121.34 crore.

(d)

(ग) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (जेएंडके) (₹ 688 करोड़) और (एसआरई)(आरएंडआर) (₹ 100 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 783 करोड़ का नकद व्यय होगा।

 (घ)
 (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के संबंध में कार्यालय भवन (₹ 223 करोड़) (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के संबंध में आवासीय भवन (₹ 245 करोड़) (iii) मशीनरी और उपकरण (₹ 81.96 करोड़) (iv) मोटर वाहन (₹ 34.76 करोड़) और (v) सीमा पर पोस्ट (आईटीबीपी) (₹ 6 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Security Related Expenditure(SRE) (Jammu &Kashmir) (₹ 688.00 crore) and SRE, Relief and Rehabilitation (R&R) (₹ 100.00 crore).

Taking into account the savings available within the same section of Grant, this will entail a cash outgo of $\ref{thm:properties}$ 783.00 crore.

(i) Office Building in respect of various organisation under Major Works (₹ 223.00 crore) (ii) Residential Building in respect of various organisation under Major Works (₹ 245.00 crore), (iii) Machinery and Equipments (₹ 81.96 crore), (iv) Motor Vehicles (₹ 34.76 crore) and (v) Border Out Post (ITBP) (₹ 6.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

				(₹ करोड़)	(In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
गस्व जस्व	Revenue	0.01	4285.99		4286.00
जी	Capital		601.58		601.58
ोड़	Total	0.01	4887.57		4887.58
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue		0.03		0.03
जी	Capital		0.01		0.01
ोड़ र	Total		0.04		0.04
प्त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व	Revenue		216.15		216.15
जी	Capital		0.20		0.20
ोड़	Total		216.35		216.35
ोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5103.96		5103.97
जस् व	Revenue	0.01	4502.17		4502.18
जी	Capital		601.79		601.79
	॥. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under t		or Head		
	This supplementary stante will be accounted for under t	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	J	. 5100		. 0.01
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(æa)	0.01
552-साववालय-सामान्य स्वार 451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		2.00	(कa) (खb)	2.00
२२१-सायपासय- जायक संयार १२९-भू-राजस्व	2029-Land Revenue		4.00	(खb) (गc)	4.00
·	2055-Police		10.00	, ,	10.00
055-पुलिस 059-लोक निर्माण कार्य				(ਬd) (ਵਰ)	
059-लाक निमाण काय 070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2059-Public Works		4.00	(ਝe) (ਵਾਨ	4.00
७७७-अन्य प्रशासानक सवार २०२-सामान्य शिक्षा	2070-Other Administrative Services 2202-General Education		11.00 5.00	(चf) (छत्र)	11.00 5.00
202-सानान्य सिंदा। 210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health			(छg)	
२१७-१चाकरसा और जन स्वास्थ्य २१५-जलापूर्ति और स्वच्छता			4.00 6.00	(जh) (झi)	4.00 6.00
215-अलापूत आर स्वच्छता 225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2215-Water Supply and Sanitation 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		2.00		2.00
ट25-जनु सूचित जाति, जनुसूचित जनजाति, न्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities		2.00	(टj)	2.00
235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		8.00	(ठk)	8.00
200-सामाजिक सुरक्षा आर कल्पाण 401-कृषि कार्य			0.01		0.01
405-मृत्स्य पालन	2401-Crop Husbandry 2405-Fisheries		0.01	(롱l) (콩m)	0.01
405-मत्स्य गालन 515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(ढm) (णn)	0.01
801-विद्युत	2801-Power	•••	117.09	(ਰਜ) (तo)	117.09
50 1-14व्युरा 851-ग्राम एवं लघ् उदयोग	2851-Village and Small Industries		0.01	(গত) (থp)	0.01
885-उदयोग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		0.01	(प्र _{P)} (द्(q)	0.01
051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		20.00	(५५) (धr)	20.00
052-नौवहन १९६८ - नौवहन	3052-Shipping		3.00	(ਖਾ <i>)</i> (ਜs)	3.00
225-दूरसंचार सेवाएं	3225-Telecommunication Services		20.00	(पाउ) (पाt)	20.00
१८७-पूर्वाय रायार ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	216.15	(11)	216.15
ंजी भाग	CAPITAL SECTION	•••	210.13		210.10
<i>छा भाग</i> ख्य शीर्ष					
	MAJOR HEAD		0.04	(TT : .)	0.04
)55-पुलिस पर पूंजी परिव्यय)55-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(फu)	0.01
)59-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय १८० अन्य प्रभागनिक मेनाओं पर पूंजी परिवास	4059-Capital Outlay on Public Works	•••	0.01	(ৰv)	0.01
)70-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(Hw)	0.01
202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(मx)	0.01
रेट्यय	Culture		001	/ - \	0.0
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(यy)	0.01
रिट्यय १९४५	4045 O-12-1-1 O-11-1-1-1-1 W. 1 O		0.04	/ - \	001
215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation		0.01	(₹z)	0.01
346 3 11311 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	4046 Comital Outless and Harrainan				
216-आवास पर पूंजी परिव्यय 217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing 4217-Capital Outlay on Urban Development	***	0.01 0.01	(क1A1) (ख1B1)	0.01 0.01

4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare		0.01	(ग1C1)	0.01
परिव्यय					
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(घ1D1)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry		0.01	(ङ1E1)	0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	***	0.01	(च1F1)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी	4515-Capital Outlay on Other Rural Development		0.01	(छ1G1)	0.01
परिव्यय	Programmes				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(ज1H1)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		0.01	(鉙111)	0.01
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		0.01	(ਟ1J1)	0.01
परिव्यय					
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping		0.01	(ठ1K1)	0.01
5054-सड़क और पुतों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(ਤ1L1)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport		0.01	(ढ1M1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		0.01	(ण1N1)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.20		0.20
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)	•••	216.35		216.35

जोड़ (प्रंजी भाग) जोड़ (प्रक)	Total (Capital Section) Total (Supplementary)	
यह पूरक अनुदाने (क)	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: वक्फ बोर्ड के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.03 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।	The s
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए । इसमें ₹ 2 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(b)
(ग)	वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(c)
(ঘ)	वेतन और अन्य स्थापना के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 10 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(d)
(량)	मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(e)
(핍)	वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें र 11 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(f)
(ভ)	वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 5 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(g)
(ज)	वेतन, अन्य स्थापना व्यय, ऊर्जा व जल प्रभारों के लंबित भुगतान तथा एएनआईएसएचआई स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 4 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(h)
(耔)	मजदूरी और लघु निर्माण कार्यों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 6 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(i)
(₹)	सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए । इसमें ₹ 2 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(j)
(ত)	विधवा/निराश्रित/वृद्धावस्था/नि:शक्तता पेंशन तथा आईसीडीएस को अन्य संघ राज्य क्षेत्र अंशदान जैसी सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें र 8 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(k)
(₹)	पौध संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।	(1)
(&)	₹ 0.58 करोड़ की कुल अतिरिव्त आवश्यकता पूरी करने के लिए - ₹ 0.15 करोड़ पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु ₹ 0.43 करोड़	(m)

supplementary Grants are required for:

meeting the additional requirement for expenditure for GIA-

Salaries in respect of Waqf Board (₹ 0.03 crore)

Taking into account the savings available in the same section

of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General.

The above expenditure will entail a net cash outgo of ${\mathfrak T}$ 2 crore.

meeting the additional requirement for expenditure for Salaries and other establishment.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{c}}$ 4 crore.

meeting the additional requirement for expenditure for Salaries and other establishment.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{t}}$ 10 crore.

meeting the additional requirement for expenditure for wages and minor works.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{c}}$ 4 crore.

meeting the additional requirement for payment of Salaries, Wages and other Establishment Expenditure.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{x}}$ 11 crore.

meeting the additional requirement for expenditure for Salaries.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{c}}$ 5 crore.

meeting the additional requirement for expenditure for salary, other establishment expenses, pending payment for energy & water charges and for ANISHI health insurance scheme.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{x}}$ 4 crore.

meeting the additional requirement for expenditure towards wages and minor works.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{f}}$ 6 crore

meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{2}}$ crore.

meeting the additional requirement for expenditure towards Social Welfare Schemes such as Widow/Destitute/Old age/Disability pensions & other UT contribution to ICDS.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{x}}$ 8 crore.

meeting the additional requirement for expenditure on subsidies under Plant Protection Scheme (\P 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the total additional requirement of ₹ 0.58 crore - ₹ 0.15 crore for Grants for Creation of Capital Assets, and

जनजातीय क्षेत्रों में विकास के अंतर्गत सब्सिडियों पर व्यय हेत् (₹ 0.58 करोड)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के संबंध में वेतन सहायता अनुदान हेतु (n) (呵) व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। विदय्त उत्पादन और अन्य संबद्ध खर्चों के लिए आईओसीएल से पीओएल (ਜ) की अधिप्राप्ति हेत् अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 117.09 करोड)। पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 74.81 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हु ए, ₹ 42.28 करोड़ का नकद पूरक अनुदान और ₹ 74.81 करोड़ का तकनीकी प्रक अनुदानमांगा जाता है। सामान्य सहायता अनुदान हेत् व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने (왼) (p) के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (द) लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास स्कीम (q) (एलएएनआईडीएस) – 2018 के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.01 करोड)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। तट के अगले भाग के क्षेत्र के पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त (ध) (r) आवश्यकता पूरी करने के लिए। इसमें ₹ 20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। अंतर्दवीपीय पोतों के लिए पीओएल पर व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी (s) (न) करने के लिए। इसमें ₹ 3 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। उपग्रह ट्रांसपोंडरों के किराए की लागत हेतु अतिरिकृत आवश्यकता पूरी करने (प) (t) इसमें ₹ 20 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। पुलिस भवन की मरम्मत/निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी (फ) (u) करने के लिए (₹ 1 करोड)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। लोक निर्माण कार्यों तथा अन्य विभाग के सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त (v) (ब) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.65 करोड़)। अन्दानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अन्दानमांगा जाता है। विभिन्न अग्निशमन भवनों की मरम्मत /निर्माण/नवीकरण की अतिरिक्त (위) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। सकुल की इमारत, कॉलेजों, सटेडियमों आदि की मरममत/निर्माण/नवीकरण (ਸ) (x) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.15 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सा विभाग के अन्य सिविल कार्यों की (य) (y) मरम्मत/अन्रक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.20 अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक नई पाइप लाइनें बिछाने, पानी की पाइप लाइन की मरम्मत, अन्रक्षण, **(₹)** प्रतिस्थापन तथा पानी की टंकियों के निर्माण हेत् अतिरिकृत आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.30 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। 'सामान्य पुल व्यवस्था' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण हेत् (क1) (A1) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक परक अनदानमांगा जाता है। सड़क किनारे से इतर नालों के निर्माण/नवीकरण हेत् अतिरिक्त आवश्यकता (ख1) (B1) पूरी करने के लिए (₹ 0.90 करोड़)।

₹ 0.43 crore for expenditure on subsidies under the Development in Tribal Areas (₹ 0.58 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for expenditure for GIA-Salaries in respect of Zilla Parishads & Panchayat Samities (\mathfrak{F} 3.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for procurement of POL from IOCL for Power Generation and other related expenses (₹ 117.09 crore).

Taking into account saving of ₹ 74.81 crore available under Capital Section, a Cash Supplementary of ₹ 42.28 crore and a technical supplementary of ₹ 74.81 crore are sought.

meeting the additional requirement for expenditure towards GIA-General (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure for Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands Industrial Development Scheme (LANIDS)-2018 (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for expenditure on POL for Foreshore Sector vessels.

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 20 crore.

meeting the additional requirement for expenditure on POL for Inter Island vessels.

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\mathbf{c}}$ 3 crore.

meeting the additional requirement for the cost for hiring of Satellite Transponders.

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 20 crore.

meeting the additional requirement for repair/ construction/ renovation of Police Building (\mathfrak{T} 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for Public works and undertaking civil works of Other Department (₹ 7.65 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for repair/construction/ renovation of various Fire Station Buildings (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for repair/construction/renovation of School Building, Colleges, Stadiums etc. (\P 2.15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for undertaking repair/maintenance of Hospitals, Dispensaries & other Civil works of Medical Department (₹ 3.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for laying of new water lines, repairs, maintenance, replacement of water pipe line and construction of water tanks (₹ 8.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for construction/renovation of residential building under 'General Pool Accommodation' (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for construction/renovation of non-road side drains (₹ 0.90 crore).

	*		
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/नवीकरण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.50 करोड़)।	(C1)	meeting the additional requirement for construction/renovation of various Anganwadi Centers (₹ 3.50 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
	पूरक अनुदान मांगा जाता है।		of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ1)	आईटीआई के कार्याशाला भवन, बाल छात्रावास आदि के निर्माण के लिए	(D1)	meeting the additional requirement for construction workshop
	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.70 करोड़)।		building of ITI, Boys Hostel etc. (₹ 1.70 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
(량1)	प्रूक अनुदान मांगा जाता है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के जारी सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त	(E1)	of the Grant, a token supplementary is sought.
(51)	आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.15 करोड़)।	(L1)	meeting the additional requirement for ongoing civil works of Animal Husbandary & Veterinary Services (₹ 0.15 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च1)	मात्स्यिकी क्वार्टरों के जारी सिविल कार्यों तथा अन्य जारी सिविल कार्यों के	(F1)	meeting the additional requirement for ongoing civil works of
	लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.16 करोड़)।		fisheries quarters and other ongoing civil works (₹ 1.16 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रूक अनुदानमांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ1)	पंचायत निदेशालय के जारी भवन निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त	(G1)	meeting the additional requirement for ongoing civil building
	आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.80 करोड़)।		works of Directorate of Panchayat (₹ 2.80 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रूक अनुदानमांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज1)	विभिन्न बिजली घरों के जारी निर्माण कार्यों तथा मशीनरी और उपस्करों की	(H1)	meeting the additional requirement for ongoing works at
	अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 6.00 करोड़)।		various Power Houses and procurement of machinery and equipment (₹ 6.00 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
	पूरक अनुदान मांगा जाता है।		of the Grant, a token supplementary is sought.
(朝1)	सागरिका सरकारी एम्पोरियम के जारी नवीकरण संबंधी निर्माण कार्यों तथा अन्य सिविल निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए	(11)	meeting the additional requirement for ongoing renovation works of Sagarika Govt. Emporium and other Civil works
	(₹ 1.20 करोड़)।		(₹ 1.20 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट1)	रीच स्टैकर व एम्प्टी कंटेनर हैंडलर की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त	(J1)	meeting the additional requirement for procurement of Reach
(5.)	आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.65 करोड़)।	(0.)	Stacker & Empty Container Handler (₹ 8.65 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित		Taking into account the savings available in the same section
	है।		of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ1)	डॉकयार्ड के विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी	(K1)	meeting the additional requirement for undertaking various
	करने के लिए (₹ 2.35 करोड़)।		civil works of Dockyard (₹ 2.35 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित		Taking into account the savings available in the same section
(74)	ξ1	(1.4)	of the Grant, a token supplementary is sought.
(ਤ1)	जिला सइकों के अंतर्गत सइकों और पुतों के निर्माण/नवीकरण, जिला और अन्य सइकों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तथा सामान्य सइकों के लिए	(L1)	meeting the additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads, Tribal Area sub plan
	जन्य सङ्कों के लिए जनजातीय दोत्र उप-योजना तथा सामान्य सङ्कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए		for District & Other Roads and Tribal Area sub plan for
	(₹ 25.80 करोड़)।		General Roads (₹ 25.80 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section
	पूरक अनुदान मांगा जाता है।		of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ1)	विभिन्न बस अड्डों के निर्माण/नवीकरण, क्वार्टरों और अन्य निर्माण कार्यों	(M1)	meeting the additional requirement for construction/renovation
	के लिए अतिरिक्त आवश्यकता प्री करने के लिए (₹ 2.47 करोड़)।		of various bus terminus, quarters and other works ($ \mathfrak{T} $ 2.47 crore).
	अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण1)	राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर के वार्षिक अनुरक्षण, मरम्मत और रखरखाव	(N1)	meeting the additional requirement for annual repair,
. ,	तथा अन्य निर्माण कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।	. ,	maintenance & upkeep of Rajiv Gandhi Water Sports Complex and other works (₹ 1.00 crore).
	(1:00 -1/15/1		
	अन्दानों के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक		Taking into account the savings available in the same section

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 42.01 4309.48 4351.49 पूंजी Capital 25.00 376.63 401.63 जोड़ 4686.11 4753.12 Total 67.01 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue पूंजी Capital 60.00 60.00 ... जोड Total 60.00 60.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now required: अनुमान: राजस्व 75.08 75.08 Revenue पूंजी Capital 21.00 21.00 ... जोड 96.08 Total 96.08 4782.19 4909.20 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 127.01 राजस्व 4426.57 Revenue 42.01 4384.56 पूंजी Capital 85.00 397.63 482.63 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2014-न्याय प्रशासन 2014-Administration of Justice 0.04 (**क**a) 0.04 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (खb) 0.01 2203-तकनीकी शिक्षा 2203-Technical Education 0.01 (गc) 0.01 ... 2217-शहरी विकास 2217-Urban Development 75.00 (घd) 75.00 2235-सामाजिक स्रक्षा और 2235-Social Security and Welfare 0.01 (ङe) 0.01 2408-खादय भंडारण और भाण्डागारण (चf) 2408-Food Storage and Warehousing 0.01 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 75.08 75.08 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय 4055-Capital Outlay on Police 0.01 (छg) 0.014059-लोक निर्माण कार्यो पर पुंजी 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 (जh) 0.01 परिव्यय 4202-शिक्षा, खेल, कला और 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and 0.01 (耔i) 0.01 संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Culture 4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर 4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation 0.01 (टj) 0.01 पूंजी परिव्यय 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 4216-Capital Outlay on Housing 0.01 (ठk) 0.01 4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय 4217-Capital Outlay on Urban Development 12.97 (뢰) 12 97 4235-सामाजिक सुरक्षा और 4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare 0.01 (ढm) 0.01 कल्याण पर पूंजी परिव्यय 4405-मत्स्य पालन पर पुंजी परिव्यय 0.01 0.01 4405-Capital Outlay on Fisheries (णn) 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर 4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life 0.01 (ਰ0) 0.01 पुंजी परिव्यय 5054-सड़क और पूलों पर पूंजी परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 0.01 (욉p) 0.01 5055-सड़क परिवहन पर पूंजी 5055-Capital Outlay on Road Transport 7.94 7.94 (दq) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 21.00 21.00 ...

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

96.08

96.08

जोड़ (पूरक)

Total (Supplementary)

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

(b)

(c)

(q)

(d)

राजस्व भाग 2014-न्याय प्रशासन पूंजी भाग 4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय

(ढ)

(왼)

(द)

REVENUE SECTION 2014-Administration of Justice

CAPITAL SECTION

4217-Capital Outlay on Urban Development

Total (Supplementary)

(-)35.00

(-)35.00

(-)180.00(-)180.00

-215.00

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14वें वित आयोग के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.04 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते आदि की बढ़ी हु ईराशि का भुगतान करने (ख) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.52 करोड़)।

> अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, बकाया पेंशन, (ग) मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी लाभों का भ्गतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.01 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

(i) आपदा अन् क्रिया सहायता प्रणाली स्थापित करने, विभिन्न पुलिस स्टेशनों (छ) के नवीकरण के लिए ₹ 4.03 करोड़ और (ii) धनस में 336 टाइप-II पुलिस आवासों के निर्माण के लिए ₹ 14.99 करोड़ अर्थात इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 19.02 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) खेल परिसर- सेक्टर 42 में बिलियईस और स्नूकर्स के लिए लघु खेल (朝) अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹ 2.83 करोड़ और (ii) शौचालयों के नवींकरण, कला महाविदयालय - सेक्टर 10 में एसी और कूलरों का प्रावधान करने के लिए ₹ 0.27 करोड़ अर्थात इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 3.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) विभिन्न जगहों पर क्रेचों के निर्माण और मलोया, नाबालिग गृह सेक्टर 25 आदि में लिफ्टों और रेम्पो के प्रावधान के लिए ₹ 1.84 करोड़ (ii) नारी निकेतन, सेक्टर 26 में लिफ्टों का प्रावधान करने के लिए ₹ 0.15 करोड़ और (iii) वृद्ध आश्रम सेक्टर 15 के नवीकरण के लिए ₹ 0.06 करोड़ अर्थात इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।

विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों के चौड़ीकरण और उनकी री-कारपेटिंग की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.59 करोड़)।

अन्दान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

(i) विभिन्न सीटीयू डिपो I, II और III में अग्निशमन प्रणाली, एलईडी फिटिंग्स और वाटर प्रूफिंग आदि के लिए ₹ 0.65 करोड़ और (ii) परिवहन विभाग द्वारा खरीदी जा चुकी बसों के भुगतान के लिए आवश्यक ₹ 7.29 करोड़ अर्थात इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 7.94 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के

अन्दान की पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

नगर निगम, चंडीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ঘ)

अनुदान की पुंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त वस्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

चंडीगढ़ की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा वृद्ध एवं असहाय लोगों हेत् (ङ) (e) घर के लिए अल्पसंख्यक वित और विकास निगम को भूगतान करने हेत् अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting the additional requirement for the payment of 14th Finance Commission to State Legal Services Authority (₹ 0.04 crore).

-215.00

Taking into account the additional recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting the additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. (₹ 0.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for the payment of Salaries. Pension Arrears, Monthly pension and Retirement Pensionary Benefits of employees working in Punjab Engineering College

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the total additional requirement under this head of ₹ 19.02 crore (i) ₹ 4.03 crore for setting up of Emergency Response Support System, renovation of various Police Stations and (ii) ₹ 14.99 crore for construction of 336 Type -II Police Houses at Dhanas.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the total additional requirement under this head of ₹ 3.10 crore (i) ₹ 2.83 crore for construction of Mini Sports Infrastructure for Billiards and Snookers in Sports Complex-Sector 42 and (ii) ₹ 0.27 crore for renovation of toilets provision of ACs and Water Coolers in Arts College, Sector-10. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the total additional requirement under this head of ₹ 2.05 crore (i) ₹ 1.84 crore for construction of creches at various locations and provision of lifts and ramps for street children at Maloya, Juvenile Home Sector-25 etc. (ii) ₹ 0.15 crore provision of Lifts in Nari Niketan, Sector -26 and (iii) ₹ 0.06 crore for renovation of Old Age Home Sector-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for widening and re-carpeting of various links/phirni roads of various villages (₹ 0.59 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the total additional requirement under this head of ₹ 7.94 crore (i) ₹ 0.65 crore for providing firefighting system, LED fittings and water proofing etc. in various CTU Depots I, II & III and (ii) ₹ 7.29 crore is required for the payment of buses already purchased by the Transport Department).

Taking into account the additional recoveries available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting the additional requirement for providing to Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 75 crore).

Taking into account the additional recoveries available under the Capital Section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting the additional requirement for the payment to Chandigarh Scheduled Castes, Backward Classes and Minorities Financial and Development Corporation for Home to Old age and Destitutes People (₹ 0.75 crore).

(h)

(k)

(I)

(च) चंडीगढ़ होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्षिक वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते आदि की बढ़ी हु ईराशि का भुगतान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)।

> अनुदानकी इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(ज) आदर्श कारागार, बुरेल में सुरक्षा बैरकों के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.09 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ट) किशनगढ़ ग्राम में पानी के ट्यूबवेल भाग-4 के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।

(ठ)

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

विभिन्न सरकारी आवासों में 5 केडब्ल्यूपी के एसपीवी सौर संयंत्र की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.64 करोड़)।

अनुदानकी इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(इ) अंधेरा वाली जगहों पर रोशनी करने, स्ट्रीट लाइटों के परिरक्षण और धरोहर इमारतों की मरम्मत, सेक्टर 17 में शहरी पार्कों का पुनर्नवीकरण, सेक्टर 9 में संघ राज्य क्षेत्र कार्यालय के लिए सरकारी भवन का निर्माण, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण और उनकी री-कारपेटिंग, विभिन्न सरकारी भवनों, साइकल पथ, बस शेल्टरों का उन्नयन तथा आईटी पार्क आदि के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 12.97 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ण) सेक्टर 6 में गहरे बोर ट्यूबवेल तथा 11 फिश टेंकों और शौचालयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.20 करोड़)।

> अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(त) पक्षी पार्क के निर्माण तथा 30 फीट ऊंचे जल प्रपात की ऊंचाई बढ़ाने आदि हेतु (०) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1 करोड़)।

> अनु दान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनु दान मांगा जाता है।

meeting the additional requirement for the payment of Annual Increment and increase in DA etc. to Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology (₹ 0.06 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for construction of Security Barracks at Model Jail, Burail (₹ 0.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for construction of Water Tubewell Part-4 in Village Kishangarh (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for providing SPV Solar Plant of 5 KWP in various Govt. Houses (₹ 8.64 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional additional requirement for removal of dark spots, street lighting preservation and restoration of heritage buildings, revitalization of Urban Parks in Sector 17, Construction of Govt. Building for U.T. Office in Sector 9, widening and re-carpeting of various roads, up-gradation of various Govt. buildings, cycle tracks, bus queue shelters and various developments works of IT Park etc. (₹ 12.97 crore).

Taking into account the additional recoveries available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting the additional requirement for installation of Deep Bore Tubewell and 11 Number of Fish Tanks and toilets in Sector-6 (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for Construction of Bird Park and raising a Water Fall of Height 30 Feet etc. (₹ 1.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 51

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये) (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(र करा	\$) (In & crore
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	867.82	867.83
पूं जी	Capital		317.06	317.06
जोड़	Total	0.01	1184.88	1184.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
ग ्रंजी	Capital		5.00	5.00
जोड़	Total		5.02	5.02
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
ाजस्व	Revenue		3.35	3.35
र् रजी	Capital			
नोड़	Total	•••	3.35	3.35
नोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1193.25	1193.26
राजस्व	Revenue	0.01	871.19	871.20
पूंजी	Capital	***	322.06	322.06
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ıd:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		3.35	3.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आयोजना विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.35 करोड़)। सिलवासा स्मार्ट सिटी लि. को वर्ष 2018-19 के लिए संघ राज्य क्षेत्र का लंबित हिस्सा जारी करने के लिए ₹ 74.72 करोड़ अतिरिक्त निधियां आवश्यक है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 3.35 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for releasing grants-in-aid to Planning Development Authority ($\stackrel{?}{\raisebox{-3.5pt}{$<\>}}$ 3.35 crore). Further additional funds of $\stackrel{?}{\raisebox{-3.5pt}{$<\>}}$ 74.72 crore are required for releasing pending UT Share for the year 2018-19 to Silvassa Smart City Limited.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of $\Im 3.35$ crore.

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

	an th r		•	(₹ करोड़	') (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जोड़ र-४-१
	LODIONAL ODANT.	Charged	Voted		Total
मू<i>ल अनुदान:</i> जस्व	I. ORIGINAL GRANT:	0.00	4575.00		4570.00
·	Revenue	0.02	1575.98		1576.00
जी —	Capital		342.48		342.48
ोड़ 	Total	0.02	1918.46		1918.48
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue				
जी	Capital				
ोड़	Total	•••			•••
प्त समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
नु मान:					
जस्व	Revenue		203.00		203.00
जी	Capital		0.04		0.04
ोड़	Total		203.04		203.04
ोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	2121.50		2121.52
ज स् व	Revenue	0.02	1778.98		1779.00
जी	Capital		342.52		342.52
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the				
	The supplementary status this se descention is: under a	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	onargoa	70.04		1000
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
			203.00	(T a)	203.00
801-विद्युत ं - 	2801-Power		203.00	(कa)	203.00
्रंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी रिट्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(खb)	0.01
202-शिक्षा, खेल, कला और	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and	***	0.01	(गc)	0.01
स्कृति पर पूंजी परिव्यय	Culture				
054-सड़क और पुलों पर पूंजी रिट्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(ঘd)	0.01
 452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		0.01	(ਤ _e)	0.01
गेड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.04	(50)	0.04
गेड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		203.04		203.04
'T \ \ P '' /	(ouppromonus)		20.07		_00.04
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे घटाकर समायोजित किया जाता है!	ा दर्शाई गयी वस्लियों को शानि	नेल नहीं किया गर	ग है जिन्हें व	यय में से
	Note: The above estimates of additional requirements do no adjusted in reduction of expenditure.	ot take into account the re	coveries show	n below, wl	hich are
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
801-विद्युत	2801-Power		(-)203.00		(-)203.00
ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपे 5)	र्गिक्षेत हैं: ।गत में वृद्धि होने के कारण अन्य प्रभारों के अंतर्गत (a)	mentary Grants are requir meeting the additional		nder Other	Charges du
	ाता न पृथ्प हाल के कारण अन्य प्रनारा के अंतर्णत (a) 1ओं को पूरा करने के लिए (₹ 203 करोड़)।	increase in cost of pur	•		•

(क)	बिजली की खरीद लागत में वृद्धि होने के कारण अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 203 करोड़)।	(a)	meeting the additional requirement under Other Charges due to increase in cost of purchase of Power (₹ 203 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुरूपी वस्िलयों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रमुख कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)।	(b)	meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Circuit Houses at Diu (₹ 10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	दीव में शिक्षा हब का प्रमुख कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting the additional requirement under Major Works of Education Hub at Diu (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e)

(घ) दमन जिले में एमडीआर और ओडीआर सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने और चार लेन करने, भूमि अधिग्रहण करने और विभिन्न एमडीआर सड़कों का निर्माण करने के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ङ) दमन फोर्ट के विकास और सौंदर्यीकरण, मोती दमन चिल्ड्रेन मेमोरियल गार्डेन और जैटी गार्डेन आदि के सौंदर्यीकरण एवं मुख्य विस्तार और दीव जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 20 करोइ)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

meeting the additional requirement under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of various MDR Roads in Daman District (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement under Major Works for development and beautification of Daman fort, beautification and extension of Moti Daman children memorial garden and jetty garden etc. and various projects in Diu District (₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये) (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 1117.11 1117.11 पूंजी Capital 186.38 186.38 जोड़ 1303.49 Total 1303.49 ... पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital जोड Total 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 39.27 39.27 पूंजी Capital 0.010.01जोड Total 39.28 39.28 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1342.78 1342.78 राजस्व 1156.39 1156.39 Revenue पूंजी 186.39 186.39 Capital ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2055-पुलिस 2055-Police 7.35 (कa) 7.35 2059-लोक निर्माण कार्य 2059-Public Works 1.00 (खb) 1.00 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.40 (गc) 0.40 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health (ਬd) 2.50 2.50 2403-पश् पालन 2403-Animal Husbandry 1.20 (ङe) 1.20 2801-विद्युत 2801-Power 18.15 (**च**f) 18.15 2852-उदयोग 2852-Industries 8.67 8.67 (छg) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 39.27 39.27 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4801-विदय्त परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय 0.01 4801-Capital Outlay on Power Projects 0.01 (जh) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 39.28 39.28 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: भारतीय रिजर्व बटालियन तथा पुलिस कार्मिकों के भत्तों का भ्गतान करने के meeting the additional requirement for payment of allowances (क) (a) लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। of India Reserve Battalion and Police personnel इसमें ₹ 7.35 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 7.35 crore. लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के भतों के भ्गतान के लिए अतिरिक्त (ख) (b) meeting the additional requirement for payment of allowances आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। of staff of Public Works Department. इसमें ₹ 1 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1 crore. शिक्षा विभाग के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के यात्रा व्यय के meeting the additional requirement for payment of travel expenses (ग) (c) भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। of teaching and non-teaching staff of Education Department. इसमें ₹ 0.40 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 0.40 crore. आउटसोर्स की गई विशेषज्ञता सेवाओं के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को (ਬ) (d) meeting the additional requirement for payment of outsourced पूरा करने के लिए। speciality services इसमें ₹ 2.50 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2.50 crore. सहायक पश्-शल्यचिकित्सकों के भत्तों के भ्गतान की अतिरिक्त आवश्यकता (e) meeting the additional requirement for payment of allowances (ङ) को पूरा करने के लिए। of Veterinary Assistant Surgeons इसमें ₹ 1.20 करोड़ का नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1.20 crore. लक्षदवीप दवीपसमूह में बिजली उत्पादन के लिए डीजल खरीदने की लागत का (f) (च) meeting the additional requirement for payment of cost of भगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 18.15 purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands (₹ 18.15 crore).

Taking into account the saving available in the Capital Section

of the Grant, the above expenditure will not entail any additional

cash outgo

अन्दान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए अतिरिक्त नकद

व्यय होगा।

(छ) बीएसएनएल के इंटरनेट बैण्डविड्थ के आवर्धन से संबंधित प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

इसमें ₹ 8.67 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ज) लक्षद्वीप द्वीपसमृह में बिजली उत्पादन के लिए डीजल की खरीद की लागत का (h) भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 0.25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। meeting the additional requirement for payment of the charges related to augmentation of internet bandwidth to BSNL.

The above expenditure will entail a cash outgo of \mathfrak{T} 8.67 crore. meeting the additional requirement for payment of cost of purchase of Diesel for Power generation in Lakshadweep Islands (\mathfrak{T} 0.25 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

					कराड़) (In र crore:	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	91.81	35421.29		35513.10	
पूंजी	Capital	71.92	19472.42		19544.34	
जोड़	Total	163.73	54893.71		55057.44	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	9.10	0.02		9.12	
पूंजी	Capital		0.03		0.03	
जोड़	Total	9.10	0.05		9.15	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:				
राजस्व	Revenue	0.01	0.03		0.04	
पूंजी	Capital	***	79.44		79.44	
जोड़	Total	0.01	79.47		79.48	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	172.84	54973.23		55146.07	
राजस्व	Revenue	100.92	35421.34		35522.26	
पूंजी	Capital	71.92	19551.89		19623.81	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:	:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will			leads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2216-आवास	2216-Housing	0.01	(कa) 0.01	(खb)	0.02	
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.01	(गc)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(ਬd)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.03		0.04	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		8.50	(ਤੌe)	8.50	
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		70.93	(चf)	70.93	
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development		0.01	(छg)	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		79.44		79.44	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	79.47		79.48	

(c)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अन्य प्रशासनिक व्यय, लघु निर्माण कार्य, िकराया, दर व कर के अंतर्गत राष्ट्रपति संपदा के लिए प्रावधान (₹ 8.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक फूक अनदान मांगा जाता है।

(ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के माध्यम से जुटाए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान करने के लिए (₹ 330 करोड़) (ii)सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.49 करोड़), (iii) सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जीपीआरए) का अनुरक्षण (₹ 24 करोड़), (iv) संसदीय आवासों का अनुरक्षण (₹ 4 करोड़) और (v) जीपीआरए पर सेवा प्रभार, किराया, विद्युत और पानी के बिलों का भुगतान (₹ 20 करोड़) के अंतर्गत स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को भुगतान।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसार दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के कर्मचारियों के लिए पेशन स्कीम का भुगतान करने के लिए भारत की समेकित निधि में से आहरित अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (₹ 15.44 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

President's Estate under OAE, Minor Works, Rent, Rate & Taxes (₹ 8.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) making payment of interest for loan raised through National Small Savings Fund(NSSF) under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)(Urban) (₹ 330 crore), (ii) payment to Real Estate Regulatory Authority (RERA) under Grants-in-aid General (₹ 2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.49 crore), (iii) maintenance of General Pool Residential Accommodation(GPRA) (₹ 24 crore), (iv) maintenance of parliamentary residences(₹ 4 crore) and (v) payment of service charges Rent, Electricity and Water bills on GPRA(₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for making payment of pension scheme for Delhi Urban Art Commission (DUAC)'s employees as per CAT order under Grants-in-aid Salaries (₹ 15.44 crore)

(g)

- (घ) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (d) (एनईआरयूडीपी) (₹ 37.23 करोड़)।
 अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
 जनपथ होटल का नवीकरण और मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत अफ्रीका एवेन्यू (e) पर इस्पात निर्मित संरचना का निर्माण (₹ 8.50 करोड़)।
 अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत एमपी फ्लैटों के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 70.43 करोड़) और (ii) केलोनिवि द्वारा अननुरक्षित कॉलोनियों के पूंजीगत कार्यों के लिए नया लेखा शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य खोलने का प्रावधान (₹ 0.50 करोड़)।
 - अनुदान की राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए गौण ऋण में वृद्धि (₹ 361.17 करोड़)।

अनुदानकी इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(छ)

- North Eastern Regional Urban Development Project(NERUDP) under Grants-in-aid General (₹ 37.23 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- renovation of Janpath Hotel and construction of Steel Structure at Africa Avenue under Major Works (₹ 8.50 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (i) meeting expenditure for M. P. Flats under Major Works (₹ 70.43 crore) and (ii) provisioning of New head of Account Major Works for Capital work of Non-CPWD maintained Colonies (₹ 0.50 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- augmentation of Subordinate Debt for various Metro Projects (\mathfrak{F} 361.17 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

	,				ोड़) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत	,	<i>ज</i> ोड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
गुजस्व राजस्व	Revenue		97585.76		97585.76
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		97585.76		97585.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
 राजस्व	Revenue		0.04		0.04
प् ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
अनुमान:					
ाजस्व	Revenue	***	5012.03		5012.03
ग्रंजी	Capital				
नोड़	Total		5012.03		5012.03
नोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		102597.83		102597.83
ाजस्व	Revenue		102597.83		102597.83
<u></u> ट्ंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2 २२०२-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		5012.00	(कa)	5012.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
भनुदान					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	***	0.01	(घd)	0.01
को सहायता अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		5012.03		5012.03
		ोचे दर्शाई गयी वसूलियों व	को शामिल नहीं किया ग	ाया है जिन्हें व	त्र्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account	the recoveries show	wn below, w	hich are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		(-)4877.46		(-)4877.46
202 (110110 4 101411					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		(-)134.54		(-)134.54

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एनसीईआरटी (₹ 81.42 करोड़) (2) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 1892.22 करोड़)। (3) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 85.63 करोड़) और (4) समग्र शिक्षा (₹ 21 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) एनसीईआरटी (₹ 21.79 करोड़) (2) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 486.78 करोड़) (3) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 316.18 करोड़) और (4) समग्र शिक्षा (₹ 2.50 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 4256.52 करोड़) (2) नवोदय विद्यालय संगठन (₹ 397.29 करोड़) (iv) केंद्रीय सड़क अवसरंचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹ 5012 करोड़)।

केंद्रीय सड़क अवसरंचना निधि में उपलब्ध ₹ 5012 करोड़ की अनु रूपी वस्लियों और आंतरिक बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख)
 (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 74.80 करोड़) (2) समग्र शिक्षा (₹ 69.72 करोड़) (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) NCERT (₹ 81.42 crore), (2) KVS (₹ 1892.22 crore), (3) NVS (₹ 85.63 crore) and (4) Samagra Shiksha (₹ 21 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NCERT (₹ 21.79 crore), (2) KVS (₹ 486.78 crore), (3) NVS (₹ 316.18 crore) and (4) Samagra Shiksha (₹ 2.50 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme KVS (₹ 4256.52 crore), and NVS (₹ 397.29 crore). (iv) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (₹ 5012 crore).

Taking into account the matching Recovery available of ₹ 5012 crore in Central Road Infrastructure Fund and internal Savings, the expenditure will not entail any additional Cash outgo.

(i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) KVS (₹ 74.80 crore),(2) Samagra Shiksha (₹ 69.72 crore).(ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme of 1) KVS

(c)

(d)

- (1) केंद्रीय विद्यालय संगठन (₹ 13.34 करोड़) (2) समग्र शिक्षा (₹ 40 करोड़) (iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान
- (₹ 46.40 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग)
 (i) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 472.15 करोड़)
 (ii) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान
 (₹ 180 करोड़)।
 - अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) (i) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 581.61 करोड़) (ii) समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 118.39 करोड़)।
 - अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(₹ 13.34 crore), (2) Samagra Shiksha (₹ 40 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme of KVS (₹ 46.40 crore)

- (i) GIA General under the scheme Samagra Shiksha (₹ 472.15 crore). (ii) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme Samagra Shiksha (₹ 180 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) GIA General under the scheme Samagra Shiksha (₹ 581.61 crore).
 (ii) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme Samagra Shiksha (₹ 118.39 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

				(₹ करोड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	52058.84		52058.84
पूंजी	Capital		2120.00		2120.00
जोड़	Total	•••	54178.84		54178.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	od:			
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	54178.90		54178.90
राजस्व	Revenue		52058.90		52058.90
प्ंजी	Capital		2120.00		2120.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(क a)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (1)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 222.87 करोड़), (2) केन्द्र सरकार दवारा संवर्धित मानित विश्वविदयालय (₹ 80 करोड़), (3) गारंटी निधि के लिए ब्याज सब्सिडी और अंशदान (₹ 86.27 करोड़) (4) राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय (₹ 7 करोड़) (5) नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान (₹ 21.98 करोड), (6) विश्व स्तरीय संस्थान (₹ 152 करोड़) तथा (7) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 430 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) राष्ट्रीय डिजीटल प्स्तकालय (₹ 5 करोड़) (2) केन्द्रीय विश्वविदयालयों को अनुदान (₹ 188 करोड़) तथा (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) सरकार दवारा संवर्धित मानित विश्वविदयालय (₹ 90 करोड़), (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (₹ 260 करोड़), और (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 2128.27 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुरूपी वसूली को ध्यान में रखते हु ए इस मुख्य शीर्ष में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-एचईएफए ऋण की मूल राशि चुकाने के लिए निधियां (₹ 160 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (₹ 22.70 करोड़), (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 406.90 करोड़), (4) नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केंद्र (₹ 2.65 करोड़), (5) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 16 करोड़) (6) एनआईटी और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 41.61 करोड़), और (7) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 500 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्रियों के स्नुन के लिए अनुदान (1) उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल (₹ 82.89 करोड़), (2) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 6 करोड़), (3) भारतीय प्रबंधन

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the schemes (1) University Grants Commission (UGC) [₹ 222.87 crore], (2) Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 80 crore], (3) Interest Subsidy and contribution for guarantee fund [₹ 86.27 crore], (4) National Digital Library [₹ 7 crore], (5) Grants to National Book Trust [₹ 21.98 crore], (6) World Class Institutions (₹ 152 crore) and (7) Grants to Central Universities [₹ 430 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the schemes (1) National Digital Library [₹ 5 crore], and (2) Grants to Central Universities [₹ 188 crore] and (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes (1) Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 90 crore], (2) University Grants Commission (UGC) [₹ 260 crore], and (3) Grants to Central Universities [₹ 2128.27 crore].

Taking into account the savings available and matching recovery in the same section of the Grant, a token supplementary in this Major Head is sought.

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Indian Institutes of Technology (IITs)- Funds for repayment of Principal of HEFA loan [₹ 160 crore], (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 22.70 crore], (3) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 406.90 crore], (4) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 2.65 crore], (5) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 16 crore], (6) Support to NITs and IIEST (₹ 41.61 crore) and (7) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 500 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the following schemes: (1) Startup India Initiative for Higher Educational Institutions [₹ 82.89 crore],

(ख)

संस्थानों को सहायता (₹ 50 करोड़), (४) नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केंद्र (₹ 4.13 करोड़), (5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 711 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 150 करोड़) तथा (६) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 400 करोड़), (ііі) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) (₹ 1822.90 करोड़), (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईटी) (₹ 1822.90 करोड़), (3) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 16 करोड़), और (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी (₹ 100 करोड़), तथा (іv) शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृति एवं वृतिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृति/वृतिका (₹ 10 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुरूपी वसूली को ध्यान में रखते हु ए इस मुख्य शीर्ष में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) और (ii) (1)एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 45 करोड़) और (2) एनआईटी और आईआईईएसटी को सहायता (₹ 220.39 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (2) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 6 crore], (3) Support to Indian Institutes of Management [₹ 50 crore], (4) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 4.13 crore], (5) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 711 crore], Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 150 crore], and (6) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 400 crore], (iii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes: (1) Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 1822.90 crore], (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 17.3 crore], (3) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 16 crore], and (4) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST [₹ 100 crore] and (iv) Scholarship/ Stipends' under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends [₹ 10 crore]

Taking into account the savings available and matching recovery in the same section of the Grant, a token supplementary in this Major Head is sought.

(i) Grants-in-aid General under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 8 crore] (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme (1) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 45 crore] and 2. Support to NITs and IIEST (₹ 220.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)

मांग संख्या DEMAND NO 59

स्चना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(₹ क राइ) (I		
		भारित	स्वीकृत	जৗड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4361.67	4361.67	
पूंजी	Capital	***	13.54	13.54	
जोड़	Total		4375.21	4375.21	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4375.22	4375.22	
राजस्व	Revenue		4361.68	4361.68	
पूंजी	Capital		13.54	13.54	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major Head	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	***	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नया उपशीर्ष चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीमों, विस्तृत शीर्ष इश्य श्रव्य सेवाएं खोलने के लिए तथा प्रयोजन शीर्ष अर्थात अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएं सामान्य अनुदान सहायता तथा अन्य प्रभारों के लिए (₹ 0.50 करोइ), (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत नए रीजनल सेंटर्स आफ इण्डियन इंस्टीट्यूट्स मास कम्यूनिकेशन (आईआईएमसी) खोलने के लिए (₹ 0.30 करोइ) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.67 करोइ), (iii) सामान्य अनुदान सहायता के अन्तर्गत सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो म्वमेंट इण्डिया (₹ 0.65 करोइ), (iv) प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया (₹ 1.55 करोइ) तथा (v) वेतन अनुदान सहायता के अन्तर्गत सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट् (एसआरएफटीआई) (₹ 0.50 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(I) for opening of new Sub-Head Champion Services Sector Schemes, Detailed Head Audio Visual Services and object Heads viz. Other Administrative Expenses, Professional Services, Grants-in-aid General & Other Charges(₹ 0.50 crore), (ii) Opening of new Regional Centres of Indian Institutes Mass Communication(IIMC) under Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.67 crore), (iii) Supporting Community Radio Movement India under Grants-in-aid General (₹ 0.65 crore), (iv) Press Council of India (PCI) under Grants-in-aid Salaries (₹ 1.55 crore) and (v) Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) under Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 60

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79-80 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 79-80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 7890.15 7890.15 पूंजी Capital 0.01 414.46 414.47 8304.62 जोड 0.01 8304.61 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital जोड Total 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue पूंजी 0.02 0.02 Capital जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.01 8304.64 8304.65 7890.16 राजस्व Revenue 7890.16 पूंजी Capital 0.01 414.48 414.49 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय 0.01 4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation 0.01 (कa) 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय 4702-Capital Outlay on Minor Irrigation 0.01 0.01 (खb) ... जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02

(a)

(b)

	(र 5.65 कराइ)
	अनुदान के इसी भाग में उपलबंध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	भूमि जल प्रबंधन योजना और विनियमन स्कीम के अन्तर्गत मुख्य निर्माण
	कार्य (₹ 9.47 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।

मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

The supplementary Grants are required for:

Development of Water Resource Information System under Machinery & Equipment (₹ 5.65 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme of Ground Water Management and Regulation (₹ 9.47 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 61

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये) (See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(र कराः		
	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue		27766.70	27766.70	
Capital		•••		
Total		27766.70	27766.70	
SUPPLEMENTARY GRANT:				
Revenue		0.02	0.02	
Capital				
Total	•••	0.02	0.02	
Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
Revenue	***	0.01	0.01	
Capital		***		
Total		0.01	0.01	
Total (Original plus Supplementary)		27766.73	27766.73	
Revenue		27766.73	27766.73	
Capital				
II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		ead:		
· · · · ·	भारित	स्वीकृत	जॊड़	
	Charged	Voted	Total	
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	0.01	
	Revenue Capital Total SUPPLEMENTARY GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now require Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस प्रूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के II. This Supplementary Grant will be accounted for u	Charged I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital SUPPLEMENTARY GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major He AREVENUE SECTION MAJOR HEAD	शारित Chargedस्वीकृत VotedI. ORIGINAL GRANT:27766.70Revenue27766.70Capital27766.70Total27766.70SUPPLEMENTARY GRANT:0.02Revenue0.02Capital0.02Supplementary Estimate of the amount now required:0.01Revenue0.01CapitalTotal0.01Total (Original plus Supplementary)27766.73Revenue27766.73CapitalII. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II.II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:अगरितस्वीकृतKEVENUE SECTION MAJOR HEADVoted	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य कार्यक्रम घटक (₹ 194.44 करोड़) (ii) अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 49.06 करोड़) और (iii) जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 22.30 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing Grant-in-Aid General to State Governments for (i) programme component (₹ 194.44 crore) (ii) Special Component Plan for Schedule Caste (₹ 49.06 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan (₹ 22.30 crore) under Jal Jeevan Mission (erstwhile National Rural Drinking Water Programme).

मांग संख्या DEMAND NO 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये) (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 11151.65 11151.65 पूंजी Capital 32.44 32.44 जोड़ Total 11184.09 11184.09 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व Revenue 0.03 0.03 पूंजी Capital 5.10 5.10 जोड Total 5.13 5.13 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 पूंजी Capital जोड Total 0.02 0.02 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 11189.24 11189.24 राजस्व Revenue 11151.70 11151.70 पूंजी 37.54 37.54 Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 2230-Labour, Employment and Skill Development 0.01 0.01 (कa) 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हैतु अपेक्षित है:

(क)

(i) "कर्मचारी पेन्शन योजना" योजना के अन्तर्गत अंशदान (₹ 10.00 करोड़)

(ii) "असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना" योजना के अन्तर्गत अंशदान

(₹ 175.59 करोड़) (iii) "केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के लिए" योजना के अन्तर्गत

वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है।

(ख)

(i) 'कर्मचारी पेन्शन स्कीम " योजना के अन्तर्गत अंशदान (₹ 90.00 करोड़) हेतु
व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme', (ii) Contribution (₹ 175.59 crore) under the scheme 'Bima Yojana for Unorganized Workers' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹ 3.00 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: Contribution (₹ 90.00 crore) under the scheme 'Employees Pension Scheme'.

मांग संख्या DEMAND NO 63

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

				(₹ करॉड़) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
इस्व	Revenue	***	3020.11		3020.11
Ì	Capital	***	135.00		135.00
5	Total		3155.11		3155.11
क अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्व	Revenue				
†	Capital				
5	Total	•••			
समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:				
उ अनु मान:					
स्व	Revenue	***	183.27		183.27
Ì	Capital		0.01		0.01
•	Total		183.28		183.28
(मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3338.39		3338.39
स्व	Revenue		3203.38		3203.38
ì	Capital		135.01		135.01
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दि	देखाया जायेगाः			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the				
		भारित	स्वीकृत		जॊड
		Charged	Voted		Total
ास्व भाग	REVENUE SECTION	ŭ			
य शीर्ष	MAJOR HEAD				
14-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	•••	0.01	(कa)	0.01
52-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(এb)	0.01
)1-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		183.25	(गc)	183.25
दान		•		(/	
(राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		183.27		183.27
गे भाग	CAPITAL SECTION				
य शीर्ष	MAJOR HEAD				
'0-अन्य प्रशासनिक सेवाओं	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(घd)	0.01
पूंजी परिव्यय	1070 Supilar Sullay on Sullar Administrative Solvioss	***	0.01	(40)	0.0
इ (प्रक)	Total (Supplementary)		183.28		183.28
		दर्शाई गयी वस्लियों को शा	मिल नहीं किया गया	है जिन्हें व्यय	में से घटाकर
	Note: The above estimates of additional requirements do not	t take into account the r	ecoveries shown b	elow, whic	h are
	adjusted in reduction of expenditure.			, -	
ास्व भाग	REVENUE SECTION				
) 1-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)40.00		(-)40.00
दान	222. Statio ii. ala to stato dovorimonio	•	() 10.00		() 10.00
पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु ३	भपेक्षित है: The supple	ementary Grants are rec	quired for:		
	नादमी के सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त (a)	meeting additional	-	r Grant in	Aid Genera
व्यय को पूरा करने व		National Judicial Ad	-		

3601-राज्य सर अनुदान	कारा का सहायता 3601-Grants-ın-aid to State Governments			(-)40.00	(-)40.00
यह पूरक अनुदा	ने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:	The supplem	nentary Grants are requ	ired for:	
(क)	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	National Judicial Aca	demy (₹ 5 crore). he savings available i	ant in Aid General of in the same section of ont.
(ख)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था हेतु अवसंरचना सुविधा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 26.70 करोड़)।	(b)	•	•	r the scheme of orth Eastern Region
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the Grant, a token su	=	in the same section of nt.
(ग)	(i) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़) (ii) न्यायिक व्यवस्था हेतु अवसंरचनागत सुविधा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 240.30 करोड़)। निर्भया निधि में से ₹ 40 करोड़ की वस्लियों, अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 97.05 करोड़ की बचतों तथा पूंजी भाग के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ की बचत के	(c)	under the National M (ii)meeting additional Infrastructural Facilitie Taking into account t	Mission for Safety of al expenditure und es for Judiciary (₹ 240 he recoveries of ₹ 40	Track Special Courts Women (₹ 40 crore). der the scheme of 0.30 crore). 0 crore from Nirbhaya the same Section and

अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 118.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु मशीनरी तथा उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। surrender of savings of ₹ 25 crore under the Capital Section, the above will entail net cash outgo of ₹ 118.25 crore.

meeting additional expenditure under Machinery & Equipment

for making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails (₹ 50 crore). Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये) (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(\ 7") (III CLIDIES
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	269.46		269.46
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	269.46		269.46
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	20.58		20.58
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	20.58		20.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue	6.51		6.51
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total	6.51		6.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	296.55		296.55
राजस्व	Revenue	296.55		296.55
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted		or Head:	
	.,	भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	6.51		6.51

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

चिकित्सा उपचार (₹ 1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.20 करोड़), कार्यालयी व्यय (₹ 0.51 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 4.80 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Medical Treatment (\mathfrak{T} 1 crore), Domestic Travel Expenses (\mathfrak{T} 0.20 crore), Office Expenses (\mathfrak{T} 0.51 crore) and Information Technology (\mathfrak{T} 4.80 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 66

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			((4/(13 / (111		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6984.27	6984.27	
पूंजी	Capital		27.02	27.02	
जोड़	Total	•••	7011.29	7011.29	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02	0.02	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		7011.31	7011.31	
राजस्व	Revenue		6984.29	6984.29	
प्ंजी	Capital		27.02	27.02	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	der the following Major I	Head		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(कa) 0.01	
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	***	0.01	(खb) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) (i) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.26 करोड़), (ii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 10.10 करोड़), (ii) 'राष्ट्रीय अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति हब केन्द्र' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.23 करोड़), (iv) 'खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.25 करोड़), (v) 'पारंपिरक उदयोगों के पुनरुद्भवन लिए निधि की योजना (स्पूर्ति)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) और प्ंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) तथा (vi) 'प्रधानमंत्री रोजगार स्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 9.90 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) 'ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 115.16 करोड़), (ii) 'अधिप्राप्ति और विपणन सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 53.64 करोड़), (iii) 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹ 89.90 करोड़), (iv) 'संवर्धनात्मक सेवा संस्थान कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 57.91 करोड़), (v) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 51.18 करोड़), (vi) 'नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹ 0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अन्दान(₹ 8 करोड़), (vii) 'खादी अन्दान' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 8.75 करोड़), (viii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 120.72 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.80 करोड़), (ix) 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़), (x) 'क्वॉयर विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) तथा (xi) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्भवन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 32.65 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 21.65 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards: (i) GIA General (₹ 9.26 crore) under the scheme 'Promotional Service Institution Programme', (ii) Contribution (₹ 10.10 crore) under the scheme 'Fund of Funds', (iii) GIA General (₹ 5.23 crore) under the scheme 'National Schedule Cast/Schedule Tribe Hub Centre', (iv) GIA General (₹ 3.25 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (v) GIA General (₹ 3.50 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)', (vi) Subsidies (₹ 9.90 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 115.16 crore) under the scheme 'Credit Linked Capital Subsidy and Technology Upgradation Scheme', (ii) GIA General (₹ 53.64 crore) under the scheme 'Procurement and marketing Support Scheme', (iii) Contribution (₹ 89.90 crore) under the scheme 'Fund of Funds', (iv) GIA General (₹ 57.91 crore) under the scheme 'Promotional Services Institutions and programme', (v) GIA General (₹ 51.18 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (vi) FTE (₹ 0.01 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 8.00 crore) under the scheme 'Establishment of New technology Centres', (vii) GIA General (₹ 50.00 crore) and GIA Salary (₹ 8.75 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (viii) Subsidies (₹ 120.72 crore) and GIA General (₹ 6.80 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)', (ix) GIA Salary (₹ 0.20 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation', (x) GIA Salary (₹ 3.00 crore) under the scheme 'Coir Vikas Yojana', (xi) GIA General (₹ 32.65 crore) and Grant for creation of Capital Assets (₹ 21.65 crore) under the scheme 'Scheme for Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)'.

मांग संख्या DEMAND NO 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 4599.98 4599.98 पूंजी Capital 100.02 100.02 जोड़ 4700.00 Total 4700.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital जोड 0.01 Total 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 पूंजी Capital 60.00 60.00 जोड Total 60.02 60.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4760.03 4760.03 4600.01 राजस्व 4600.01 Revenue पूंजी 160.02 Capital 160.02 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235-Social Security and Welfare 0.01 (कa) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (खb) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4225-अन् सूचित जाति, अन् सूचित जनजाति, 4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, 60.00 60.00 (गc) अन्य पिछड़े वर्गीं और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर Scheduled Tribes , Other Backward Classes and पूंजी परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 60.02 60.02 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for:

(क)	विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण
	स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।
	अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
	अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन
	के लिए अनुदान (₹ 118.86 करोड़)।
	की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान
	मांगा जाता है।
(ग)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित निगम में निवेश (₹ 60 करोड़)।
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए,
	इसमें कोई अतिरिव्त नकद व्यय नहीं होगा।

a) Grants-in-Aid General under the scheme Upgrading Skill and Training in traditional Arts/Crafts for Development (₹ 10 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (₹ 118.86 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Investment in National Minorities Development and Finance Corporation (₹ 60 Crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 69

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ -1/\)	y / (III \ CIOICS
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5209.83	5209.83
पूंजी	Capital		45.00	45.00
जोड़	Total		5254.83	5254.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		60.00	60.00
जोड़	Total	•••	60.01	60.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5314.85	5314.85
राजस्व	Revenue		5209.85	5209.85
पूंजी	Capital		105.00	105.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		nd:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़) (ii) सब्सिडियों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.00 करोड़) प्रदान करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing "Grants-in-aid General" (₹ 4.00 crores) and "Grants for Creation of Capital Assets" (₹ 2.00 crores) under National Institute of Wind Energy for subsidies.

मांग संख्या DEMAND NO 71

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores,

			(र कराड़	ाड़) (In र crore.	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		19.38	19.38	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		19.38	19.38	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:			
राजस्व	Revenue	***	23.23	23.23	
पूंजी	Capital			•••	
जोड़	Total		23.23	23.23	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		42.62	42.62	
राजस्व	Revenue	•••	42.62	42.62	
प्ंजी	Capital				
	 इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं 	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un				
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		23.23	23.23	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सभी राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के लिए स्वना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid-General under Information Technology for implementation of National eVidhan Application to make the functioning of all State Legislatures paperless.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 72

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जोद Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 96.99 1483.71 1580.70 पूंजी 139.24 Capital 6.65 145.89 जोड 103.64 1622.95 1726.59 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड Total 0.02 0.02 ... इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 66.41 66.41 पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड 66.42 66.42 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 103.64 1689.39 1793.03 राजस्व Revenue 96.99 1550.12 1647.11 पूंजी Capital 6.65 139.27 145.92 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 0.01 (**क**a) 0.01 2051-लोक सेवा आयोग 2051-Public Service Commission 50.00 (खb) 50.00 ... 2055-पुलिस 2055-Police 7.03 (गc) 7.03 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070-Other Administrative Services 9.37 (ਬd) 9.37 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 66.41 66.41 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय 4055-Capital Outlay on Police 0.01 0.01 (ङe) Total (Supplementary) 66.42 66.42 जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वायत्त निकाय (₹ 0.85 करोड़)। Autonomous bodies Grants General under in-aid-(क) (₹ 0.85 Crores). अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. विभिन्न अभिकरणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा लंबित (ख) (b) making payment of pending bills by Staff Selection बिलों का भगतान करने के लिए (₹ 50 करोड)। Commission(SSC) for various agencies(₹ 50 crore). अन्दान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अन्रूपी बचतों को ध्यान में Taking into account the matching savings available in the रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्मिकों को वेतन और भत्तों का भुगतान (ग) (c) payment of Pay and allowances to staff of Central Bureau of करने के लिए (₹ 7.03 करोड)। Investigation (CBI) (₹ 7.03 crores). अनुदान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अनुरूपी वस्लियों को ध्यान Taking into account the matching savings available in the में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo: व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत लाल बहाद्र शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (ঘ) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (एलबीएसएनएए) के लिए (₹ 9.37 करोड)। (LBSNAA) under Professional Services (₹ 9.37 crores). अनुदान के इसी भाग के भारित आबंटन में उपलब्ध अनुरूपी बचतों को ध्यान में Taking into account the matching savings available in the रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Charged allocation of same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यू रो (सीबीआई) के व्यापक आधुनिकीकरण और उसके लिए (ङ) Comprehensive Modernisation and purchase of (e) भूमि की खरीद/ कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण के लिए (₹ 10 करोड़)। land/construction of office/residence buildings for Central Bureau of Investigation(CBI) (₹ 10.00 crores). अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 73 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Voted Total Charged ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: राजस्व Revenue 35.55 35 55 पूंजी Capital जोड़ 35.55 35.55 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 1.10 1.10 पूंजी Capital जोड 1.10 1.10 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 36.65 36.65 राजस्व 36.65 36.65 Revenue पूंजी Capital II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2062-Vigilance 2062-सतर्कता 1.10 1.10

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 0.88 करोड़) और कार्यालयी व्यय (₹ 0.22 करोड़) हेतु भुगतान करने के विग

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

making payment towards Salaries(₹ 0.88 crore) and Office

Expenses (₹ 0.22 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 74

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

			(₹ क	(₹ करोड़) (In ₹ cr		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
जस्व	Revenue	···	42440.78	42440.78		
जी	Capital		1667.31	1667.31		
इ	Total		44108.09	44108.09		
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ज स् व	Revenue	···	1000.00	1000.00		
जी	Capital					
इ	Total		1000.00	1000.00		
न समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:					
क अनुमान:						
ज स् व	Revenue		393.77	393.77		
जी	Capital	•••				
इ	Total		393.77	393.77		
इ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		45501.86	45501.86		
ज स् व	Revenue		43834.55	43834.55		
जी	Capital		1667.31	1667.31		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	der the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
जस्व भाग	REVENUE SECTION					
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		393.77	393.77		

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2802-पेट्रोलियम 2802-Petroleum ... (-)345.51 (-)345.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों की बकाया राशि का निपटान करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 127.76 करोड़)।
- (ii) (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹ 345.51
 - ₹ 345.51 करोड़ की राशि केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से अंतरित की जाएगी तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 48.26 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में ₹ 79.50 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds to clear the arrears of subsidies under the scheme 'Direct Benefit Transfer - LPG' (₹ 127.76 crore).
- transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 345.51 crore).

An amount of ₹ 345.51 crore will be transferred from Central Road Infrastructure Fund and surrender of saving of ₹ 48.26 crore in the Capital Section of the Grant and after utilizing the savings of ₹ 79.50 crore in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO 75

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड) (In ₹ crores

			(र कराड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		582.29	582.29
पूंजी	Capital		1.11	1.11
जोड़	Total		583.40	583.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		22.18	22.18
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total	***	22.18	22.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	•		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		605.59	605.59
राजस्व	Revenue	···	604.48	604.48
पूंजी	Capital	***	1.11	1.11
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		l:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सिहत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (₹ 15 करोड़) और (ii) वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (₹ 6.15 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilisation (₹ 15 crore) and (ii) Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (₹ 6.15 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 76

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये) (See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

ees page se or and bernamas is: s		.0.0 _0_0,		(₹ करोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	18956.36	18956.36
पूंजी	Capital	***	3365.92	3365.92
जोड़	Total	•••	22322.28	22322.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:		
राजस्व	Revenue	***	578.00	578.00
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total		578.01	578.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	22900.29	22900.29
राजस्व	Revenue		19534.36	19534.36
पूंजी	Capital		3365.93	3365.93
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षी II. This Supplementary Grants will be accounted fo		r Head	
	,	भारित ं	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		200.00	(क a) 200.00
2801-विद्युत	2801-Power		378.00	(खb) 378.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		578.00	578.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		578.01	578.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 204.58 करोड़)।
 - (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.50 करोड़) और प्जीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 173.50 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 200 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 204.58 करोड़ की बचतों के उपयोग के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत वेतन के संवितरण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 5.42 करोड़)।
 - (ii) ब्याज भुगतानों तथा भारत सरकार पूर्णतः शोधित बांड निर्गमन व्यय और ब्याज (आरईसी बांड) स्कीम के अंतर्गत निर्गमन खर्चों के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 319.79 करोड़)।
 - (iii) विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत एनएचपीसी और पीजीसीआईएल द्वारा जारी बांड पर प्रतिबद्ध ब्याज भुगतानों और खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)।
 - (iv) एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के वितीय समापन हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 382.27 करोड़)।
 - अनुदान के प्रजी भाग में उपलब्ध ₹ 378 करोड़ के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 329.54 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ग) खातों का निपटान करने के लिए कारगिल के रास्ते श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. पारेषण लाइन में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)।
 - अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (i) providing additional Grants for creation of capital assets under the scheme Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim (₹ 204.58 crore).
 - (ii) providing additional Grants-in-Aid General (₹ 26.50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 173.50 crore) under the scheme Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim.
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 200 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 204.58 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) providing additional funds for disbursement of salaries under Central Electricity Authority (₹ 5.42 crore);
 - (ii) providing additional Grants-in-Aid General for interest Payments and issuing expenses under the scheme GoI fully serviced bond issue expenditure and interest (REC Bonds) (₹ 319.79 crore).
 - (iii) providing additional Grants-in-Aid General for meeting committed for interest payments and expenses on the Bond issued by NHPC & PGCIL under the scheme Power System Development Fund (PSDF) (₹ 0.06 crore).
 - (iv) providing additional Grants for creation of Capital Assets for financial closer of projects under the scheme Integrated Power Development System (IPDS) (₹ 382.27 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 378 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 329.54 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - providing fund for meeting additional expenditure in 220 KV transmission line from Srinagar to Leh via Kargil to settle the accounts (₹ 0.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 79

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

Sometime for Grante for the year 2010	2020)		(₹ करॉड	.) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	्र जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_		
राजस्व	Revenue	1.52	399.52	401.04
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.52	399.52	401.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		20.00	20.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		20.00	20.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.52	419.53	421.05
राजस्व	Revenue	1.52	419.53	421.05
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ead:	
	,	भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	-		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सदस्यों के तहत प्रयोजन शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत निधियों की अभिवृद्धि (₹ 0.20 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक फूक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

augmentation of funds under the Object Head 'Subsidies' under Members (₹ 0.20 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 82

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102-103 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये

(See page 102-103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: 272709.68 राजस्व Revenue 474.28 272235.40 पूंजी Capital 36.31 227430.55 227394.24 जोड़ Total 510.59 499629.64 500140.23 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड़ Total 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue पूंजी Capital 817.49 0.01 817.50 जोड Total 817.49 817.50 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1328.08 499629.66 500957.74 राजस्व Revenue 474.28 272235.40 272709.68 पूंजी Capital 853.80 227394.26 228248.06 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads. भारित जॊड स्वीकृत Charged Voted Total पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर 817.50 5002-Capital Outlay on Indian Railways -817.49 (कa) 0.01 (खb) पूंजी परिव्यय Commercial Lines

(a)

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) न्यायालय के निर्णयों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 817.49 करोड़)।अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अनुरूपी बचत को ध्यान में रखते हु ए₹ 817.49 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से पूरा किए जाने वाले केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को ₹ 2,000 करोड़ अतिरिक्त अंतरण और रेल संरक्षा कार्य पर ₹ 2,000 करोड़ व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में

उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

meeting additional expenditure arising out of court decrees (₹ 817.49 crore). Taking into account matching savings available in the revenue section of the Grant, a technical supplementary for ₹ 817.49 crore is sought:

meeting expenditure on additional transfer of ₹ 2,000 crore to Central Road and Infrastructure Fund and on Railway Safety works for ₹ 2,000 crore to be met from Central Road and Infrastructure Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 83

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 21619.82 21619.82 पूंजी Capital 10.00 142829.16 142819.16 जोड़ Total 10.00 164438.98 164448.98 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड़ Total 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now required: अन् मान: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital 2167 64 2167 64 जोड़ 2167.66 2167.66 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 10.00 166606.66 166616.66 राजस्व Revenue 21619.84 21619.84 पूंजी Capital 10.00 144986.82 144996.82 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित जॊड स्वीकृत Charged Total Voted राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3055-सड़क परिवहन 3055-Road Transport 0.01 0.01 (कa) 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments 0.01 (खb) 0.01 को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5054-सड़क और पुलों पर पूंजी 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 2167.64 (गc) 2167.64 परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 2167.66 2167.66 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. पूंजी भाग CAPITAL SECTION पूंजी भाग CAPITAL SECTION 5054-सड़क और पूलों पर पूंजी 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges (-)1063.82(-)1063.82परिट्यय

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना हेतु राष्ट्रीय डाटा बेस पर व्यय को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹ 55 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 137.85 करोड़) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 137.85 करोड़)। इस प्रयोजनार्थ नया व्यय-शीर्ष खोला जाना है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) Professional Services for meeting expenditure on National Data Base for E-Transport Mission Mode Project (₹ 55 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants for creation of Capital Assets for roads in Union Territory of Jammu & Kashmir (₹ 137.85 crore) and inter-account transfer of funds to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 137.85 crore). A new expenditure head is to be opened for this purpose.

- (ग) (i) सझक निर्माण कार्य ईएपी (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 140 करोड़)।
 - (ii) अंडमान और निकोबार में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 0.20 करोड़)।
 - (iii) चंडीगढ़ में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 0.05 करोड़)।
 - (iv) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 2.89 करोड)।
 - (v) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 150 करोइ)।
 - (vi) सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों हेतु मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय सीआरआईएफ से पूरा किया जाना है (₹ 90 करोड़)।
 - (vii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूलभूत निर्माण कार्य सामान्य घटक के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 1922 करोड़) और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर लेखा-अंतरण (₹ 1000 करोड़) ।
 - (viii) सङ्क निर्माण कार्य ईएपी (एशियाई विकास बैंक) के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 140 करोड़)।
 - (ix) लद्दाख में सड़कों के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर व्यय (₹ 103.82 करोड़)और सीआरआईएफ को निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 103.82 करोड़) ।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) additional expenditure on Major Works for Road Works EAP (Japan International Cooperation Agency) (₹ 140 crore).
- (ii) additional expenditure on Major Works for roads in Andaman and Nicobar to be met from CRIF (₹ 0.20 crore).
- (iii) additional expenditure on Major Works for roads in Chandigarh to be met from CRIF (₹ 0.05 crore).
- (iv) additional expenditure on Major Works for roads in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu to be met from CRIF (₹ 2.89 crore).
- (v) additional expenditure on Major Works under the National Highways Original Works-Tribal Sub Plan to be met from CRIF (₹ 150 crore).
- (vi) additional expenditure on Major Works for Road Development Works under Road Wing to be met from CRIF (₹ 90 crore).
- (vii) additional expenditure on Major Works under the National Highways Original Works-General Component (₹ 1922 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF (₹ 1000 crore).
- (viii) additional expenditure on Major Works for Road Works EAP (Asian Development Bank) (₹ 140 crore).
- (ix) expenditure on Major Works for roads in Ladakh
 (₹ 103.82 crore) and inter-account transfer of funds to CRIF
 (₹ 103.82 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 84

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये) (See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

Joinando foi Granto foi tric	, ,			(₹ कर	ोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	•	जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Ţ.			
राजस्व	Revenue		191770.34		191770.34
पूंज <u>ी</u>	Capital		100.00		100.00
जोड	Total	•••	191870.34		191870.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.06		0.06
पूंजी	Capital	•••			0.00
जोड	Total		0.06		0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now	•••	0.00		0.00
अनुमानः	required:				
राजस्व	Revenue		16003.64		16003.64
पूंजी	Capital	•••	10000.04		10000.04
जोड	Total		16003.64		16003.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	207874.04		207874.04
राजस्व	Revenue	•••	207774.04		207774.04
पूंजी		***			
पूजा	Capital		100.00		100.00
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde		_		_5_
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment		16003.62	(कa)	16003.62
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(खb)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		16003.64		16003.64
	दिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में न	नीचे दर्शाई गयी वस्लियों	को शामिल नहीं किया	गया है जिन्हें	व्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into accoun	t the recoveries sho	wn below, v	which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	***	(-)7301.81		(-)7301.81
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)3483.45		(-)3483.45
अनुदान					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)216.55		(-)216.55
को सहायता अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)11001.81		(-)11001.81

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (₹ 7301.81 करोड़) ; और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में अंतरण (₹ 11001.81 करोड़)।

चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा इसलिए अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2300.00 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 5001.81 करोड़ का नकद व्यय होगा।

महातमा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत (ख) प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 3483.45

The supplementary Grants are required for:

(i) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 7301.81 crore); and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 11001.81 crore). As the expenditure under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program will be met

from National Employment Guarantee Fund, and after utilising the savings of ₹ 2300.00 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5001.81 crore.

providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 3483.45 crore).

(c)

चूंकि इस योजना के अंतर्गत व्यय को अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

 (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मृहैया कराना (₹ 216.55 करोड़)।

> इस योजना के अंतर्गत व्यय अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा, अत: इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

As the expenditure under the scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund, out of the savings available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹ 216.55 crore)

As the expenditure under the scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund, out of the savings available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये) (See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र करा	\$) (In & crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5510.09	5510.11
पूंजी	Capital		90.00	90.00
जोड़	Total	0.02	5600.09	5600.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		54.00	54.00
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total		54.01	54.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5654.11	5654.13
राजस्व	Revenue	0.02	5564.10	5564.12
पूंजी	Capital		90.01	90.01
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	inder the following Major Hea	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण स्कीम (₹ 52.50 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 4.50 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹ 18.55 करोड़), तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹ 3 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (ii) स्वायत संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 15 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants- in- aid General' for Science and Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 52.50 crore), for Disha Programme for women in Science under Science and Technology Institutional and Human Capacity Building Scheme (₹ 4.50 crore), for Research and Development (₹ 18.55 crore) and for Innovation, Technology Development and Deployment (₹ 3 crore) and (ii) Grants- in- aid salary for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 15 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

			(₹ करॉ	ड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2580.34	2580.34
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total	•••	2580.34	2580.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2580.35	2580.35
राजस्व	Revenue		2580.35	2580.35
पूंजी	Capital	•••		•••
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अ	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	nder the following Major Head	I:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) स्वायतशासी संस्थानों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.89 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत अंशदान (₹ 17.35 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक फूक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary for Autonomous Institutions (\mathfrak{T} 9.89 crore) and (ii) Contribution under Research and Development (\mathfrak{T} 17.35 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 88

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(5 978)	ș / (III CIUI es)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4886.24	4886.24
पूंजी	Capital		9.65	9.65
जोड़	Total		4895.89	4895.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		4895.90	4895.90
राजस्व	Revenue		4886.25	4886.25
प्ंजी	Capital		9.65	9.65
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्निलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (1) (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर (₹ 50 करोड़), (ii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के खोजकर्ताओं और नवोन्मेषकों को अभिप्रेरित करने का कार्यक्रम (₹ 1.88 करोड़) (iii) एनआरडीसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के वाणिज्यिकरण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास (पीडीटीसी) हेतु कार्यक्रम (₹ 0.18 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान और (2) प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एशिया एवं प्रशांत केंद्र को अंशदान (एपीसीटीटी) (संयुक्त राष्ट्र निकाय) (₹ 1.40 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) CSIR under National Laboratories (₹ 50 crore) (ii) Programme for Inspiring Inventors & Innovators (PIII) of NRDC (PSE) (₹ 1.88 crore) (iii) Programme for Development of Technologies for Commercialization (PDTC) of NRDC (PSE) (₹ 0.18 crore) and 2. Contribution to Asian & Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) (UN Body) (₹ 1.40 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये) (See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

	year 2019-2020)			(₹ करॊड़) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ा. जस्व	Revenue		1955.99		1955.99
जी	Capital		526.57		526.57
ोड़	Total	•••	2482.56		2482.56
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue		0.05		0.05
जी	Capital		22.87		22.87
ोड़	Total	•••	22.92		22.92
प्त समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
नुमान:					
जस्व	Revenue		115.19		115.19
जी	Capital		33.00		33.00
ोड़	Total		148.19		148.19
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2653.67		2653.67
जस्व	Revenue	•••	2071.23		2071.23
जी	Capital	•••	582.44		582.44
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
852-उद्योग	2852-Industries		115.17	(कa)	115.17
051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		0.01	(खb)	0.01
052-नौवहन	3052-Shipping		0.01	(गc)	0.01
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	115.19		115.19
ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		33.00	(घd)	33.00
र पूंजी परिव्यय					
ोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		148.19		148.19
		चे दर्शार्द गयी वस्त्रियों को शा	मिल नहीं किया गया	है जिन्हें ट्यर	र में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !	4 4 (11) 2 1 11 4 (11) 11 11 (11)	ierci ergi i i i i i i i i i i	(1010 (1 -	
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account the r	ecoveries shown	below, which	ch are
	adjusted in reduction of expenditure.	account the			
जी भाग	CAPITAL SECTION				
जी भाग	CAPITAL SECTION				
			(-)33.00		(-)33.00
051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses				

(क)		हु गली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के ₹ 60.74 करोड़ के भारत सरकार के ऋण और उस पर प्रोदभूत ₹ 54.43 करोड़ के बकाया ब्याज की माफी।
		अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ख)		मरमुगांव पत्तन न्यास को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक
		अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	(i)	भारत और मालदीव के बीच अनुसूचीबद्ध नौभार सेवा संचालन के लिए
		भारतीय पोत परिवहन निगम को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.52 करोड़)।

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के लिए लोक वित प्रबंधन प्रणाली में व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मोइयूल कार्यान्वित करने के लिए प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान(₹ 0.01 करोइ)।

- The supplementary Grants are required for:
- (a) waiver of Government of India loan (₹ 60.74 crore) and accrued interest (₹ 54.43 crore) outstanding against Hoogly Dock Port Engineers Limited.
- Hence, Technical Supplementary Grant has been sought.

 (b) Grants-in-aid General to Mormugao Port Trust (₹ 15 crore).

 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid General to Shipping Corporation of India for running a scheduled cargo service between India and Maldives (₹ 3.52 crore).
 - (ii) Grants for creation of Capital Assets towards implementing Expenditure, Advance and Transfer (EAT) Module in Public Finance Management System for Indian Maritime University (₹ 0.01 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ঘ)

प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत महानिदेशालय के अंतर्गत जलयान यातायात (d) प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 33 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में अनुरूपी वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Other Capital Expenditure for upgradation and maintenance of Vessels Traffic System under Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹ 33 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 91

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये) (See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

			-	47(15)	(In ₹ cı
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
नस्व	Revenue		8429.99		8429.9
जी	Capital		455.01		455.0
इ	Total	•••	8885.00		8885.0
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस् व	Revenue		0.03		0.0
नी	Capital	***	0.01		0.0
इ	Total		0.04		0.0
समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ज स् व	Revenue		0.02		0.0
जी	Capital		0.01		0.0
इ	Total		0.03		0.0
इ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		8885.07		8885.0
जस् व	Revenue		8430.04		8430.0
ती	Capital		455.03		455.0
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	टेखाया जायेगा			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड
		Charged	Voted		Tota
जस्व भाग	REVENUE SECTION	J			
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
. २ २५-अनु स्चित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(कa)	0.0
न्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities	***	0.01	(1.4)	0.0
235-सामाजिक स्रक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(खb)	0.0
इ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	(45)	0.0
जी भाग	CAPITAL SECTION		0.02		
<i>जा जान.</i> डय शीर्ष	MAJOR HEAD				
225-अन् सूचित जाति, अन् सूचित जनजाति,	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes,		0.01	(गc)	0.0
न्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर	Scheduled Tribes , Other Backward Classes and		0.01	(410)	0.0
जी परिव्यय	Minorities				
			0.03		0.0
इ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.03		0.0
इ पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Gran	to are required for			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in aid General i		neme (*	1) Pre l
	the contract of the contract o	in ald General of			

(१) निम्नालाखत स्काम क अंतगत सामान्य सहायता अनुदान (१) अनुस्राचत
जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 50 करोड़) और (2) ओबीसी, डीएनटी,
ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता (₹ 10 करोड़) (ii) निम्नलिखित
स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (1) ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेश
अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (₹ 12 करोड़) और (2)
अनु सूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा (₹ 40 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है।
भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य
सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित और विकास निगम स्कीम के अंतर्गत निवेश
(₹ 30 करोड़)।
अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है।

- Development of OBCs, DNTs and EBCs (₹ 10 crore) (ii) Scholarships/Stipend under the scheme (1) Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for OBCs and EBCs (₹ 12 crore) and (2) Top Class Education for SCs (₹ 40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in aid General under the scheme Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars (₹ 20 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Investments under the scheme National Backward Classes Finance and Development Corporation (₹ 30 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 92

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			((4)(15) (11	ii Cibies	'/
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1163.69	1	163.69	
पूंजी	Capital	***	41.21		41.21	
जोड़	Total	•••	1204.90	1	204.90	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	}				
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02	
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total	•••	0.02		0.02	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1204.92	1	204.92	
राजस्व	Revenue		1163.71	1	163.71	
पूंजी	Capital	•••	41.21		41.21	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	ांतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Major H	lead			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(क a)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क)
 (1) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹ 17.38 करोड़) (अनुस्चित जाति के लिए ₹ 12.57 करोड़ तथा अनुस्चित जनजाति के लिए ₹ 5.05 करोड़) (2) राष्ट्रीय संस्थान (₹ 14.36 करोड़) और (3) निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 की स्कीम (₹ 15 करोड़), (ii) राष्ट्रीय संस्थान स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.55 करोड़)।
 अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) निःशक्तजनों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016 की स्कीम (₹ 15 करोड़) और (2) दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास स्कीम (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (i) GIA General under the schemes:- (1) Deendayal Disabled Rehabilitation Schemel ₹ 17.38 crore) (For SCs ₹ 12.57 crore, and for STs ₹ 5.05 crore), (2) National Institutes (₹ 14.36 crore) and (3) Scheme for Implementation of Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016 (₹ 15 crore). (ii) GIA Salary under the scheme National Institutes (₹ 20.55 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants in aid General under the Scheme (1) Implementation of the Persons with Disabilities Act (₹ 15 crore) and (2) Scheme of Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 93

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Voted Total Charaed I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.60 5874.12 5874.72 पूंजी Capital 0.40 6598.14 6598.54 जोड़ 12472.26 12473.26 Total 1.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 666.00 666.00 जोड Total 666 01 666.01 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1.00 13138.29 13139.29 राजस्व Revenue 5874.14 5874.74 0.60 पूंजी 7264.15 7264.55 Capital 0.40 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3402-अंतरिक्ष अन् संधान 0.01 3402-Space Research 0.01 (कa) पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5402-अंतरिक्ष अनु संधान पर पूंजी परिव्यय 5402-Capital Outlay on Space Research 0.01 (खb) 0.01 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क)
 (i) अई-चालक प्रयोगशाला के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 10 करोइ), और
 (ii) इसरो प्रणोदन परिसर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोइ)
 हेत् व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) पीएएलवी संयोजन सुविधा के लिए मशीनरी और उपकरण/मुख्य निर्माण कार्य (₹ 25 करोइ), सेमी-क्रायोजनिक इंजन विकास परियोजना के लिए (₹ 18 करोइ), कार्टोसेट 3 के लिए (₹ 22 करोइ), ट्राईसोनिक विंड टनल सुविधा के लिए (₹ 35 करोइ), तथा (ii) सेमी-क्रायोजनिक इंजन विकास परियोजना के लिए अन्य प्जीगत व्यय (₹ 65 करोइ), रिओर्ससेट उएस एवं उएसए (₹ 3.50 करोइ), आदित्य एल1 (₹ 7.01 करोइ) और सेमी-क्रायोजनिक चरण विकास परियोजना (₹ 18 करोइ) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) for Semi-Conductor Laboratory and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for ISRO Propulsion Complex.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipments/Major Works for PSLV Integration Facility (₹ 25 crore), for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 18 crore), for Cartosat 3 (₹ 22 crore), for Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 35 crore) and (ii) Other Capital Expenditure for Semi-cryogenic Engine Development Project (₹ 65 crore), Resourcesat 3S & 3SA (₹ 3.50 crore), Aditya L1 (₹ 7.01 crore) and for Semi-cryogenic Stage Development Project (₹ 18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये) (See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 4/1/	3 / (III \ CIUIES)	′
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		5216.33	5216.33	
पूंजी	Capital	***	14.73	14.73	
जोड़	Total	•••	5231.06	5231.06	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5231.08	5231.08	
राजस्व	Revenue		5216.35	5216.35	
पूंजी	Capital		14.73	14.73	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	***	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत (₹ 31.46 करोड़) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 51.98 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting an additional expenditure under the scheme Capacity Development ($\stackrel{?}{ }$ 31.46 crore) and Grants-in-aid Salary towards Indian Statistics Institute, Kolkata ($\stackrel{?}{ }$ 51.98 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 96

कपडा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये) (See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

Demands for Grants for the year 2019-2020) (₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 4800.57 4800.57 पूंजी Capital 30.91 30.91 जोड़ 4831.48 Total 4831.48 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 0.03 0.03 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड Total 0.04 0.04 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital 17 00 25 79 8 79 जोड Total 17.00 8.81 25.81 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 17.00 4840.33 4857.33 4800.62 राजस्व 4800.62 Revenue पूंजी 39.71 56.71 Capital 17.00 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 0.01 (खb) 0.01 0.02 0.02 Industries 8.79 8.79 (गc) 17.00 (घd) 17.00 8.79 17.00 25.79 17.00 25.81 e supplementary Grants/Appropriations are required for: Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 0.47 crore)

		2852-Industries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4851-Capital Outlay on Village and S 6860-Loans for Consumer Industries Total (Capital Section) Total (Supplementary)	
यह पूरक अनुदाः (क)	अनुदानहेतु व्यय पूरा करने के लिए (न" स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता ₹ 0.47 करोड़)।	The (a)
(평)	अनुदान मांगा जाता है। (i) "वस्त्र आयुक्त" स्कीम के अंतर्गत समिति के सहायक" स्कीम के अंत अनुदान (₹ 10 करोड़) और (iii) "ए	ातों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक त अन्य प्रभार (₹ 0.64 करोड़), (ii) "वस्त्र र्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए कीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) यों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 26.50	(b)
(ग)	अनुदान मांगा जाता है।	ातों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक न योजना" स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण 8.79 करोड़)।	(c)
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ह इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं	बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, ों होगा।	
(घ)	हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम (₹ 17.00 करोड़) बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, iं होगा।	The stand (a) पूरक "वस्त्र (b) लिए टीपी) 16.50 पूरक कोर्माण (c)

Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 0.47 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: (i) Other Charges (₹ 0.64 crore) under the scheme 'Textile Commissioner' (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Assistant to Textile Committee' and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.50 crore) under the scheme 'Scheme for Integrated Textile Parks (SITP)'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards: Major Works (₹ 8.79 crore) under the scheme 'Infrastructure and Technology Development Scheme'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

Meeting expenditure towards: Loans and Advances (₹ 17.00 crore) under the scheme 'British India Corporation'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 97

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये) (See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र करा	5) (III (CIOLES)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2189.21	2189.21
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	2189.22	2189.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	···	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2189.24	2189.24
राजस्व	Revenue		2189.23	2189.23
पूंजी	Capital		0.01	0.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ıd:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता स्कीम के अंतर्गत होटल प्रबंधन केटरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्तपोषाहार संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.30 करोड़) प्रदान करने के लिए।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing "Grants in Aid General" to Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition under the scheme of Assistance to IHMs/FCls/ IITTM/ NIWS (₹ 1.30 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये) (See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(₹ १ २१ <i>६)</i> (१		(In < crores)		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	5659.27	1155.69		6814.96	
पूंजी	Capital		80.00		80.00	
जोड़	Total	<i>5659.27</i>	1235.69		6894.96	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	185.00	0.01		185.01	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total	185.00	0.02		185.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	137.87	122.33		260.20	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	137.87	122.33		260.20	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>5982.14</i>	1358.04		7340.18	
राजस्व	Revenue	<i>5982.14</i>	1278.03		7260.17	
प्ंजी	Capital		80.01		80.01	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be account			Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		122.33	(क a)	122.33	
अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities					
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	137.87	(खb)		137.87	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	137.87	122.33		260.20	

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

करोड़)।

(क) (i) (1) चिकित्सीय व्यय (₹ 0.05 करोड़), (2) कार्यालय व्यय (₹ 0.30 करोड़), (3) लघु निर्माण कार्य (₹ 0.05 करोड़) हेतु राष्ट्रीय अनुस्चित जनजाति आयोग के अंतर्गत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ii) (1) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹ 1 करोड़), (2) निगरानी और मूल्यांकन (₹ 1.50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य प्रभार (iii) (1) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता (₹ 45.50 करोड़) (2) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (₹ 0.98 करोड़) (3) लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 59.43 करोड़) (4) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा (₹ 1 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (iv) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सूजन के लिए अनुदान (₹ 14.68 करोड़) (v) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.24

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 122.33 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) (1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति (₹ 35 करोड़) (2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृति (₹ 92.87 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता स्कीम' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Additional requirement for expenditure under National Commission for Scheduled Tribes towards (1)Medical Exp (₹ 0.05 crore),(2) Office Exp. (₹ 0.30 crore), (3) Minor Works (₹ 0.05 Crores) (ii) Other Charges under the scheme (1)Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore) (2) Monitoring & Evaluation (₹ 1.50 crore) (iii) Grants in aid-General under the scheme (1) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 45.50 crore) (2) Eklavya Model Residential School (₹ 0.98 crore)(3) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 59.43 crore) (4) Tribal Festival, Research information and mass Education (₹ 1 crore) (iv) Grant for creation of capital assets under the scheme' Eklavya Model Residential School' (₹ 14.68 crore) (v)Grants in aid- Salary under the scheme ' Eklavya Model Residential School' (₹ 0.24 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 122.33 crore

Grants in aid -General under the scheme (1) Pre- Matric Scholarship (₹ 35 crore) (2) Post Matric Scholarship (₹ 92.87 crore) (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Support to Tribal Research Institutes' (₹ 10 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये) (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 75 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 29664.89 29664.89 पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड़ 29664.90 Total 29664.90 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital 5.00 5.00 जोड Total 5.02 5.02 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 पूंजी Capital जोड Total 0.02 0.02 ... जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 29669.94 29669.94 29664.93 राजस्व Revenue 29664.93 पूंजी Capital 5.01 5.01 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235-Social Security and Welfare 0.01 0.01 (कa) 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (₹ 319.70 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता (क) Grants in aid General under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (₹ 319.70 Crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अन्दान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. राष्ट्रीय पोषण मिशन - कार्यक्रम घटक (₹ 764 करोड़) योजना के अंतर्गत के (ख) Grants in aid General under the scheme National Nutrition

Mission- Programme Component (₹ 764 crore)

the Grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the same section of

सामान्य सहायता अनुदान के लिए।

अन्दान मांगा जाता है।

अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2019-2020 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये) (See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2019-2020 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2019-2020)

			((₹ करॉड़)	(In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2181.90		2181.90	
पूंजी	Capital	***	35.02		35.02	
जोड़	Total	•••	2216.92		2216.92	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	225.01		225.01	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	225.01		225.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		325.00		325.00	
पूंजी	Capital		10.00		10.00	
जोड़	Total	•••	335.00		335.00	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		2776.93		2776.93	
राजस्व	Revenue		2731.91		2731.91	
प्ंजी	Capital		45.02		45.02	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc	der the following Major I	Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		308.00	(कa)	308.00	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		17.00	(खb)	17.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	325.00		325.00	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4552-पूर्वीतर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		10.00	(गc)	10.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		335.00		335.00	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 25.99 करोड) और (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 2.60 करोड़) (सामान्य ₹ 1.46 करोड़, कॉर्पस निधि- ₹ 0.09 करोड़, एसएपी ₹ 0.05 करोड़, एससी ₹ 0.50 करोड़ और एसटी ₹ 0.50 करोड़) (3) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹ 6.33 करोड़) (4) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹ 1.654 करोड़) (सामान्य ₹ 1.244 करोड़, एससी ₹ 0.244 करोड़ और एसटी ₹ 0.166 करोड़), (5) राष्ट्रीय यवा तथा किशोर विकास कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड). (6) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (₹ 4.50 करोड़) (सामान्य ₹ 2.61करोड़, एसटी- ₹ 1.89 करोड़), (7) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 45 करोड़) (सामान्य ₹ 5 करोड़, एससी ₹ 26 करोड़ और एसटी ₹ 14 करोड़), (8) खेलो इंडिया (₹ 0.16 करोड़), (9) सीडब्ल्यूजी 2010-भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों का नवीनीकरण (₹ 26 करोड़), (9) जम्मू-कश्मीर में खेल स्विधाओं को बढ़ाना (₹ 5.37 करोड़) और (10) राष्ट्रीय खेल परिसंघ (₹ 33.69 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 56.53 करोड़), (2) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 4.44 करोड़), (3) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 16 करोड़), (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अन्दान (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 9.20 करोड़) (सामान्य ₹ 5.46 करोड़, एससी ₹ 2.42 करोड़ और एसटी ₹ 1.32 करोड़), (2) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनु संधान केंद्र (₹ 20 करोड़), (3) जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधा को बढ़ाना (₹ 14.63 करोड़), (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹ 7.15 करोड़), (v) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघ् निर्माण कार्य (₹ 18 करोड़), (vi) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (1) युवा नेतृत्व कार्यक्रम (₹ 11 करोड़), (2) विशेष नकद पुरस्कार (₹ 12 करोड़), गुणवान खिलाड़ियों के लिए पेंशन (₹ 10 करोड़), (vii) युवा नेतृत्व कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और (viii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹ 2.05 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(i) GIA General under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 25.99 crore) and (2) Rajiv Gandhi National institute of Youth Development (₹ 2.60 crore)(Gen.- ₹ 1.46 crore. Corpus Fund- ₹ 0.09 crore. SAP- ₹ 0.05 crore. SC-₹ 0.50 crore & ST- ₹ 0.50 crore), (3) International Co-operation (₹ 6.33 crore), (4) Young Leader Programme (₹ 1.654 crore))(Gen.- ₹ 1.244 crore, , SC- ₹ 0.244 crore & ST- ₹ 0.166 crore), (5) National programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.50 crore), (6) National Service Scheme (₹ 4.50 crore)(Gen.- ₹ 2.61 crore, ST- ₹ 1.89 crore), (7) Sports Authority of India (₹ 45 crore)(Gen.- ₹ 5 crore, SC- ₹ 26 crore & ST- ₹ 14 crore), (8) Khelo India (₹ 0.16 crore), (9) CWG2010-SAI Stadia Renovation (₹ 26 crore), (9) Enhancement of Sports Facility at J&K (₹ 5.37 crore) and (10) National Sports Federation (₹ 33.69 crore), (ii) GIA Salary under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 56.53 crore), (2) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 4.44 crore), (3) Sports Authority of India (₹ 16 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Rajiv Gandhi National institute of Youth Development (₹ 9.20 crore)(Gen.-₹ 5.46 crore, SC- ₹ 2.42 crore & ST- ₹ 1.32 crore), (2) National Centre of Sports Science and Research (₹ 20 crore), (3) Enhancement of Sports Facility at J&K (14.63 crore). (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 7.15 crore), (iv) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 18 crore), (v) Other Charges under the scheme (1) Young Leader

इसमें ₹ 308 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख)
 (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) युवा नेतृत्व (b) कार्यक्रम (₹ 0.194 करोड़), और (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 15 करोड़) और (ii) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 2 करोड़)।
- इसमें ₹ 17 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा। (ग) पूर्वीतर में खेल विश्वविद्यालय स्कीम हेतु मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत (c) आवश्यक अतिरिक्त व्यय (₹ 10 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

Programme (₹ 11 crore), (2) Special Cash Award (₹ 12 crore), Pension to Meritorious Sports Persons (₹ 10 crore), (vi) Advertisement & Publicity under the scheme Young Leader Programme (₹ 5 crore) and (vii)Office Expenses under National Service scheme (₹ 2.05 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\overline{\epsilon}$ 308 crore.

(i) GIA General under the scheme (1) Young Leader Programme(0.194 crore) and (2) Sports Authority of India (₹ 15 crore) and (ii) Minor Works under the scheme Youth Hostels (₹ 2 crore)

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 17 crore Additional expenditure is required under Major Works for the scheme Sports University in North East (₹ 10 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

बजट प्रावधान में 5.00 करोड़ रु या उससे अधिक वृद्धि करने से प्रभावित पुनर्विनियोग

अनुबंध हजार रु में

क्रम मुख्य कोड संख्या	पुनर्विनियोजित	स्वीकृति आदेश सं. एवं	कारण
सं. शीर्ष	राशि	तारीख	

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्य	क्षि कर					
1	2042	2042	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क (मुख्य शीर्ष)		पुनर्विनियोजन आदेश सं. 8/बी/10 (135)/एच आरडी/ ईएमसी/2019/ पार्ट-1 दिनांक 12.9.2019	विवाद समाधान) योजना
		00.101	संग्रहण शुल्क (लघु शीर्ष)			
		01	कमिश्नरी			
		01.02	मुख्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)			
		01.02.26	विज्ञापन एवं प्रचार	172500		
2	2042	2042	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क		पुनर्विनियोजन आदेश सं. 8/बी/10 (135)/ एचआरडी/ ईएमसी/2019/ पार्ट-3 दिनांक 11.12.2019	क्षेत्रों से निधि की
		00.101	संग्रहण शुल्क (लघु शीर्ष)			
		01	कमिश्नरी			
		01.02	मुख्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)			
		01.02.05	पुरस्कार	150000		
		01.02.14	किराए की दरें और कर	150000		

Re-appropriations having the effect of increasing the budget provision by $\overline{\xi}$ 5.00 crore or more

Annexure

₹ in thousand

S.No.	Major Head	Code No.		Amount re- appropriated	Sanction Order No. and date	Reasons
Indire	ct Tax		•			
1	2042	2042	Collection Charges under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax (Major Head)		F.No.8/B/10(135)/HRD/ EMC/2019/Pt-I Re- appropriation order dated 12.09.2019	For the Advertising & Publicity plan for Sabka Vishwas (legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019
		00.101	Collection Charges (Minor Head)			
		01	Commissionerates			
		01.02	Headquarters (including field offices)			
		01.02.26	Advertising & Publicity	172500		
2	2042	2042	Collection Charges under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax (Major Head)		F.No.8/B/10(135)/HRD/ EMC/2019/Pt. Re- appropriation order 3 dated 11.12.2019	For meeting additional demand of funds from different CGST Zones
		00.101	Collection Charges (Minor Head)			
		01	Commissionerates			
		01.02	Headquarters (including field offices)			
		01.02.05	Rewards	150000		
		01.02.14	Rent Rates & Taxes	150000		

(₹ करोड़)

1	2	3	4	5	6
क्रम.	मंत्रालय/विभाग	। स्कीम	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग	टिप्पणी
सं.	का नाम		2019-2020	की राशि	
स्वास्थ्य	एवं परिवार कल	याण विभाग			
1.		2211.00.001.10-जनसंख्या	11.50	220.00	कर मांग को पूरा
		स्थिरता कोष (जेएसके)			करने के लिए
2.		2211.00.109.12.14-नेमी टीकाकरण	1.79	11.22	संघ राज्य क्षेत्रों द्वा
		कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण			अधिक मांगों के
		कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता			कारण
		विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि			
		सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल			
		पुल-बिना विधान मंडल वाले संघ			
		•			
		राज्य क्षेत्रों में व्यय		10.00	
3.		2211.00.109.12.23-एनआरएचएम	5.65	13.20	संघ राज्य क्षेत्रों द्वा अधिक मांगों के
		(जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति-			
4		विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली 2211.00.109.12.24-एनआरएचएम	0.04	0.05	कारण संघ राज्य क्षेत्रों द्वा
4.		(जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति-	0.01	2.05	संघ राज्य क्षत्रा द्वा अधिक मांगों के
		विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली			
F			0.04	2.04	कारण संघ राज्य क्षेत्रों द्वा
5.		2211.00.109.13.09-एनयूएचएम (जीबीएस) के अंतर्गत शामिल गति	0.01	3.94	अधिक मांगों के
		विधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली			कारण
6.		2211.00.109.13.11-आयुष्मान भारत	0.01	0.63	संघ राज्य क्षेत्रों द्व
0.		स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्ता केन्द्र (राष्ट्रीय	0.01	0.03	अधिक मांगों के
		निवेश निधि - एनआईएफ से सहायता)			कारण
		बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य			पगरण
		क्षेत्र - ईएसी			
7.		3601.06.101.14-एफडब्ल्यू -	3568.49	542.74	राज्यों द्वारा अधिक
۲.		अवसंरचना अनुरक्षण	3300.49	342.74	मांगों के कारण
8.		3601.06.101.20.05- नए चिकित्सा	1422.20	878.13	राज्यों द्वारा अधिक
0.		महाविद्यालय की स्थापना (जिला	1122.20	070.10	मांगों के कारण
		अस्पतालों का उन्नयन करके)			11 11 47 47101
9.		3601.06.101.21.03 - कैंसर, मधुमेह,	98.69	6.61	राज्यों द्वारा अधिक
•		ह्रदय संबंधी रोगों और स्ट्रोक की	00.00	0.0.	मांगों के कारण
		की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए			
		राष्ट्रीय कार्यक्रम			
10.		3601.06.789.05-एफडब्ल्यू -	1587.98	82.00	राज्यों द्वारा अधिक
		अवसंरचना अनुरक्षण			मांगों के कारण
11.		3601.06.789.15.05 - नए चिकित्सा	315.40	50.19	राज्यों द्वारा अधिक
		महाविद्यालयों की स्थापना (जिला			मांगों के कारण
		अस्पतालों का उन्नयन करके)			
12.		3601.06.796.05 - एफडबल्यू -	724.35	28.00	राज्यों द्वारा अधिक
		अवसंरचना अनुरक्षण			मांगों के कारण
13.		3601.06.789.15.05 - नए चिकित्सा	162.40	30.57	राज्यों द्वारा अधिक
		महाविद्यालयों की स्थापना (जिला			मांगों के कारण
		अस्पतालों का उन्नयन करके)			

					(₹ in Crore)
1	2	3	4	5	6
	Name of the Ministry/ Department	Schemes	Budget Estimates 2019-20	Amount of Reappropriation	Remarks
	Department of	Health & FW			
1		2211.00.001.10 - Janasankhya Sthirta Kosh (JSK)	11.50	22.00	To meet out Tax Demand.
2		2211.00.109.12.14 - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National lodine Deficiency Disorders Control Programme etc Expenditure in UTs without Legislature		11.22	Due to more demand from UTs.
3		2211.00.109.12.23 - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS)		13.20	Due to more demand from UTs.
4		2211.00.109.12.24 - Other Health System for activities covered under NRHM (GBS)		2.05	Due to more demand from UTs.
5		2211.00.109.13.09 - Other Health System for activities covered under NUHM (GBS)		3.94	Due to more demand from UTs.
6		2211.00.109.13.11 - Ayushman Bharat - Health and wellness Centres (Support from National Investment Funds-NIF) UTs Without Legislature-EAC		0.63	Due to more demand from UTs.
7		3601.06.101.14 - FW - Infrastructure Maintenance	3568.49	542.74	Due to more demand from States.
8		3601.06.101.20.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)		878.13	Due to more demand from States.
9		3601.06.101.21.03 - National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke		6.61	Due to more demand from States.
10		3601.06.789.05 - FW - Infrastructure Maintenance	1587.98	82.00	Due to more demand from States.
11		3601.06.789.15.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)		50.19	Due to more demand from States.
12		3601.06.796.05 - FW - Infrastructure Maintenance	724.35	28.00	Due to more demand from States.
13		3601.06.789.15.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)		30.57	Due to more demand from States.